


राजस्थान सुजस



राजस्थान
बजट
2024-25

आओ... बनाएं
विकसित
राजस्थान




राजस्थान बजट 2024-25

**'छूटे न पीछे एक भी'
मिलकर कदम बढ़ायेंगे...**

“है प्रण यही, 'छूटे न पीछे एक भी', मिलकर कदम बढ़ायेंगे।
कोई न रहे गरीब-वंचित, सबको आगे लायेंगे।
रोशन कर विद्या के मंदिर, ज्ञान का उजियारा फैलायेंगे।
'हर पल बढ़े राजस्थान' के नारे से, कीर्ति ध्वजा फहरायेंगे।।
खेत-खलिहान लहराकर, धरापुत्र की बढ़ायें मुस्कान।
सपने हों साकार सभी के, सबका हो सम्मान।
देश नहीं दुनिया में भी, अद्वितीय बनेगा राजस्थान।
हर बच्चा हर जन बोलेगा अब, जय-जय राजस्थान।।”

जय-जय राजस्थान।।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान का मासिक



प्रधान सम्पादक
सुनील शर्मा

सम्पादक
अलका सक्सेना

सह-सम्पादक
डॉ. रजनीश शर्मा

सहायक सम्पादक
मोहित जैन

आवरण छाया
अमित सारस्वत

राजस्थान सुजस में प्रकाशित सामग्री में व्यक्त विचार लेखकों के अपने एवं आंकड़े परिवर्तनशील हैं। आवश्यक नहीं कि शासन उनसे सहमत हो। सुजस में प्रकाशित सामग्री का विभाग किसी भी रूप में उपयोग कर सकेगा।

ग्राफिक डिजाइनिंग
प्रिन्ट 'ओ' लैण्ड

लगत मूल्य : 44.00 रुपये

सम्पर्क
सम्पादक

राजस्थान सुजस (मासिक)
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
सचिवालय, जयपुर-302005
मो नं. 80948-98098

e-mail :
editorsujan@gmail.com
publication.dipr@rajasthan.gov.in

Website :
www.dipr.rajasthan.gov.in



वर्ष : 33 अंक 07-08

इस अंक में

जुलाई-अगस्त (संयुक्तांक), 2024



बजट 2024-25
हर्षनाद... **05**



16वें वित्त आयोग का
राजस्थान दौरा **61**



जनता के साथ... **65**

संपादकीय	04
आधारभूत संरचना - पेयजल	07
ऊर्जा	08
सड़क	10
क्षेत्रीय विकास एवं नागरिक सुविधायें	20
औद्योगिक विकास	22
पर्यटन, कला एवं संस्कृति	23
वन एवं पर्यावरण	26
मानव संसाधन विकास	28
युवा विकास एवं कल्याण	30
शिक्षा	33
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	34
सड़क सुरक्षा	37
सामाजिक सुरक्षा	37
राज्य का विकास पथ	38
सुशासन	42
कार्मिक कल्याण	46
कृषि बजट	47
पशुपालन एवं डेयरी	53
कर-प्रस्ताव	54
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग	55
वाणिज्यिक कर विभाग	55
परिवहन विभाग	56
आबकारी विभाग	56
खान एवं पेट्रोलियम विभाग	56
ऐतिहासिक बजट, ऐतिहासिक उत्साह	62
अपराध मुक्त राजस्थान	64
हट मैदान फतह	74
रामगढ़ क्रेटर - हेरिटेज साइट	76



78 वें स्वतंत्रता दिवस
की झलकियाँ **70**



सार्थक हो रहा
हरियाळी राजस्थान **72**



खादू श्याम जी मंदिर **75**



नव संकल्पों का नव प्रभात

बजट किसी भी सरकार का वह दस्तावेज होता है जो आने वाले दिनों में देश-प्रदेश के विकास की तस्वीर का खाका खींचता है। इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत बजट राज्य के सुनहरे कल की नई उम्मीद जगाने वाला है। एक दर्जन से भी अधिक नई नीतियों, हर क्षेत्र में नवाचार लिए योजनाओं और इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ प्रकृति और मानव संसाधन के विकास के अनेक संतुलित आयाम लिए प्रस्तुत यह बजट प्रदेश के सम्पूर्ण विकास को संकल्पित है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री (वित्त) श्रीमती दिया कुमारी द्वारा बजट भाषण में तीन घंटे के दौरान प्रदेश के विकास का जो ताना-बाना प्रस्तुत किया गया, उसने हर वर्ग में उत्साह का संचार किया है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रस्तुत केन्द्रीय बजट में विकसित भारत की संकल्पना के अनुरूप राज्य सरकार ने दस संकल्पों से आने-वाले दिनों का सुखद संकेत दे दिया है। यह बजट युवा, किसान, श्रमिक, महिला, बालिका आदि सभी वर्गों के लिए “बोलता बजट” है जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, इन्फ्रास्ट्रक्चर, कृषि, परिवहन जैसे हर क्षेत्र के लिए अपूर्व घोषणाओं के साथ आया है।

दिसम्बर, 2023 के बाद से ही राज्य सरकार के लोक कल्याणकारी निर्णयों से जगी उम्मीद को फरवरी में प्रस्तुत लेखानुदान के बाद जुलाई में प्रस्तुत परिवर्तित बजट 2024-25 ने और बढ़ा दिया है। 4 लाख नौकरियां, 25 लाख ग्रामीण घरों में पेयजल, ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, कृषि क्षेत्र में नई योजनाएं, अनेक नई सड़कें, ग्रीन कॉरिडोर, रिकॉर्ड संख्या में पेड़ लगाने और उनके संरक्षण की ठोस योजना, अगले वर्ष ग्रीन बजट का संकल्प जैसी अनेकानेक खूबियां इस बजट में हैं।

बजट के तुरन्त बाद इसकी घोषणाओं को अमली-जामा पहनाने की शुरुआत भी हो चुकी है। कोटा में अर्से से लम्बित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए हाल ही त्रिपक्षीय एमओयू हस्ताक्षरित हुआ। किशनगढ़ एयरपोर्ट पर राज्य के पहले उड़ान प्रशिक्षण केन्द्र का शुभारम्भ हो चुका है। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत हरियाली तीज के अवसर पर 7 अगस्त को सम्पूर्ण प्रदेश में 2 करोड़ से अधिक पौधरोपण कर नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है। बड़ी संख्या में विभिन्न वर्ग के प्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इस बजट के लिए उनका धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं।

“राजस्थान सुजस” का राज्य बजट 2024-25 पर आधारित माह जुलाई-अगस्त का यह संयुक्तांक आप सुधि पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है।

(सुनील शर्मा)
प्रधान संपादक



हर्षनाद...

बजट 2024-25

राज्य सरकार द्वारा परिवर्तित बजट 2024-25 में कृषकों के लिए की गई घोषणाओं से हर्षयि किसानों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निवास पर पहुंचकर गाजे-बाजे के साथ उनका आभार व्यक्त किया।



माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा केन्द्रीय बजट 2024-25 को विकसित भारत के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित करने, समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाने एवं विकसित भारत का मार्ग सुनिश्चित करने वाले बजट के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसी भावना के साथ प्रदेश में भी 'सर्वजन हिताय' आधारित समावेशी विकास के लक्ष्य के साथ मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य का परिवर्तित बजट 2024-25 'अमृत कालखण्ड- विकसित राजस्थान@2047' की कार्ययोजना की झलक लिए 29 जुलाई, 2024 को राज्य विधानसभा में ध्वनिमत से पारित हुआ। इस मौके पर अपने बजट भाषण में मुख्यमंत्री महोदय ने कई नवीन एवं महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इससे पूर्व 10 जुलाई को सदन में बजट प्रस्तुति एवं उस पर सदन में बहस के बाद 16 जुलाई को जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री (वित्त) श्रीमती दिया कुमारी ने भी कई घोषणाएं कीं। प्रस्तुत हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं उप मुख्यमंत्री (वित्त) महोदय के बजट भाषण से सम्पादित अंश...

- 10 जुलाई 2024, आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी, विक्रम संवत् 2081 को राज्य विधानसभा में वर्ष 2024-25 के परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान प्रस्तुत किए गए।
- राज्य सरकार द्वारा राजस्थान को देश के अग्रणी विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की भावना से प्रेरित होकर 8 फरवरी, 2024 को लेखानुदान प्रस्तुत करते समय विरासत की चुनौतियों को स्वीकार कर अर्थव्यवस्था के सुदृढीकरण, आधारभूत संरचना के विकास, नीति निर्धारण की पहल तथा सबसे महत्वपूर्ण आमजन को राहत देने की दिशा निर्धारित की गई है।
- यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री, श्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने कार्यभार संभालते ही नीतिगत दस्तावेज-संकल्प पत्र के माध्यम से जनता से किये गये वायदों को धरातल पर लाने का कार्य शुरू कर दिया है।
 - I. अल्प अवधि में ही 53 प्रतिशत से अधिक बजट घोषणाओं तथा संकल्प पत्र के 45 बिन्दुओं पर कार्यवाही पूरी की जा चुकी है।
 - II. गरीब परिवार की महिलाओं को 450 रुपये में एलपीजी गैस सिलेण्डर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर 8 हजार रुपये किये जाने के साथ-साथ गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 125 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस दिया गया है।
 - III. पेयजल व सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने के लिए ईआरसीपी परियोजना के प्रथम चरण के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर कार्य आदेश जारी कर दिये गये हैं।
 - IV. युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली पेपर-लीक जैसी घटनाओं की न केवल रोकथाम की, बल्कि ऐसी घटनाओं में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई करते हुए 100 से अधिक गिरफ्तारियां भी की गई हैं।
- परिवर्तित बजट में अमृत कालखण्ड-'विकसित राजस्थान @2047' के अन्तर्गत 5 वर्षों की कार्ययोजना बनाकर 'सर्वजन हिताय' आधारित समावेशी विकास का लक्ष्य रखा गया है।

राज्य सरकार के दस संकल्प

1. **350 बिलियन डॉलर इकोनॉमी** :- प्रदेश को 350 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाना।
2. **इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास** :- बुनियादी सुविधाओं-पानी, बिजली व सड़क का विकास।
3. **क्वालिटी ऑफ लाइफ - नागरिक सुविधाएं** :- सुनियोजित विकास के साथ शहरी, ग्रामीण व क्षेत्रीय विकास।
4. **सम्मान सहित किसान परिवारों का आर्थिक सशक्तीकरण।**
5. **इंडस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन** :- बड़े उद्योगों के साथ-साथ एमएसएमई को प्रोत्साहन।
6. **'विरासत भी और विकास भी' की सोच के साथ धरोहर संरक्षण।**
7. **सतत विकास के साथ हरित राजस्थान एवं पर्यावरण संरक्षण।**
8. **मानव संसाधन विकास एवं सबके लिए स्वास्थ्य।**
9. **सोशल सिक्योरिटी** :- गरीब एवं वंचित परिवारों के लिए गरिमामयी जीवन।
10. **गुड गवर्नेंस** :- परफॉर्म, रिफॉर्म एण्ड ट्रांसफॉर्म के साथ सुशासन।

आधारभूत संरचना



पेयजल

- 'जल जीवन मिशन' योजना को गति देते हुए इस वर्ष 15 हजार करोड़ रुपये व्यय कर 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाया जाएगा।
- जल जीवन मिशन के तहत 5 हजार 846 अतिरिक्त गांवों को सतही जल के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए लगभग 20 हजार 370 करोड़ रुपये लागत से अग्रांकित 6 वृहद पेयजल परियोजनाओं का कार्य हाथ में लिया जाएगा।



क्र.सं.	सतही स्रोत आधारित पेयजल परियोजना	लागत
1.	चम्बल नदी आधारित वृहद पेयजल परियोजना- करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी	2 हजार 944 करोड़ रुपये
2.	चम्बल नदी आधारित वृहद पेयजल परियोजना- अलवर, भरतपुर, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा	5 हजार 374 करोड़ रुपये
3.	चम्बल नदी आधारित कालीतीर जलप्रदाय परियोजना-धौलपुर, भरतपुर	710 करोड़ रुपये
4.	जाखम बांध आधारित वृहद पेयजल परियोजना- चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद व उदयपुर	3 हजार 530 करोड़ रुपये
5.	इंदिरा गांधी नहर आधारित वृहद पेयजल परियोजना-सीकर, झुंझुनूं व नीमकाथाना	7 हजार 582 करोड़ रुपये
6.	इंदिरा गांधी नहर आधारित वृहद पेयजल परियोजना-देघू व लोहावट (फलौदी)	230 करोड़ रुपये

- ग्रामीण क्षेत्रों के अनुरूप ही शहरी क्षेत्रों में भी पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अमृत 2.0 योजना के अन्तर्गत-
 - I. प्रदेश के 183 शहरों, कस्बों में पेयजल व्यवस्था में सुधार हेतु लगभग 5 हजार 180 करोड़ रुपये के कार्य 2 वर्षों में करवाये जाएंगे।
 - II. प्रदेश में विभिन्न 32 शहरी जल स्रोत जीर्णोद्धार कार्य 127 करोड़ रुपये की लागत से करवाये जाएंगे।
 - III. अजमेर शहर को पेयजल के लिए सर्विस रिजर्वायर निर्माण तथा नसीराबाद से नौसरघाटी, कोटड़ा क्षेत्र तक पाइपलाइन का कार्य होगा।
 - IV. टोडारायसिंह-केकड़ी, देवली, मालपुरा व अलीगढ़-टोंक हेतु शहरी पेयजल योजनाओं में 50 करोड़ रुपये से अधिक लागत से उच्च जलाशय, पाइप लाइन आदि के कार्य होंगे।
- प्रदेश के विभिन्न शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व पाइपलाइन सम्बन्धी अग्रांकित कार्य करवाये जायेंगे।

क्र.सं.	पेयजल योजना/कार्य	लागत
1.	खाजूवाला-बीकानेर में पेयजल योजना पुनर्गठन शहरी जल प्रदाय योजना	25 करोड़ रुपये
2.	किशनगढ़ बास व 21 गांवों में पेयजल हेतु परियोजना (खैरथल तिजारा)	77 करोड़ 53 लाख रुपये
3.	सीलीसेढ़ क्षेत्र के ट्यूबवैल व पाइप लाइन के माध्यम से अलवर शहर को पेयजल (अलवर)	23 करोड़ 26 लाख रुपये
4.	रानी, बाली, फालना शहरों व 50 गांवों हेतु पेयजल (पाली)	18 करोड़ 90 लाख रुपये
5.	सुमेरपुर के ढोला तालाब से जुड़े 20 गांवों हेतु पेयजल (पाली)	7 करोड़ 90 लाख रुपये
6.	भवानीमण्डी-झालावाड़ में पेयजल हेतु राजगढ़ पेयजल योजना से जोड़ने का कार्य	22 करोड़ 91 लाख रुपये
7.	पाली, सोजत, जैतारण शहरों तथा 245 ग्रामों हेतु पेयजल (पाली, ब्यावर)	23 करोड़ 47 लाख रुपये
8.	थड़ोली से केकड़ी के मध्य भांसू गांव के समीप पाइप लाइन का कार्य (केकड़ी)	24 करोड़ 81 लाख रुपये

क्र.सं.	पेयजल योजना/कार्य	लागत
9.	गोयला से नसीराबाद के मध्य पाइप लाइन का कार्य (अजमेर)	34 करोड़ 95 लाख रुपये
10.	थडोली, केकड़ी, गोयला एवं नसीराबाद पम्प हाउस को डबल फीडर से जोड़कर बस ट्रांसफर सिस्टम लगाने का कार्य (अजमेर व केकड़ी)	5 करोड़ 60 लाख रुपये
11.	जल योजना पूरल (खाजूवाला)-बीकानेर को धोधा नहरी उपशाखा से जोड़ने एवं पुनर्गठन कार्य	4 करोड़ 50 लाख रुपये
12.	शहरी जल योजना श्रीमाधोपुर के पुनर्गठन का कार्य (नीमकाथाना)	8 करोड़ रुपये
13.	उदयपुर शहर में पेयजल पाइप लाइन के कार्य (उदयपुर)	15 करोड़ रुपये

- स्थानीय स्तर पर पेयजल के लिए आवश्यकतानुसार विधानसभा क्षेत्रों में 2 वर्षों में 20-20 हैण्डपम्प एवं 10-10 ट्यूबवैल का निर्माण करवाया जाएगा।
- नगरीय एवं औद्योगिक क्षेत्रों में हाइड्रिड एन्यूटी मॉडल पर सीईटीपी एवं एसटीपी निर्माण एवं संचालन से विभिन्न उपयोगों के लिए जल रीसाइकिल किया जाएगा।
- प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए 33 करोड़ रुपये से अधिक के कार्य चरणबद्ध रूप से करवाये जायेंगे। ये कार्य हैं-

क्र.सं.	पेयजल सम्बन्धी कार्य	लागत
1.	लूणकरणसर के ग्रामों-कतरियासर, मालासर, लाडेरा, मोलानिया एवं करणीसर बीकान में पेयजल योजना के सुदृढीकरण एवं पुनरुद्धार कार्य	16 करोड़ 50 लाख रुपये
2.	जैतारण-ब्यावर में कलालिया, बगड़ी, कोटकिराणा, काणुजा ग्राम पंचायतों को भीमादा बांध पेयजल स्कीम से जोड़ने सम्बन्धी कार्य की DPR	50 लाख रुपये
3.	सोजत, मारवाड़ जंक्शन एवं जैतारण क्षेत्र के 175 ग्रामों की पेयजल आपूर्ति निर्बाध करने हेतु बागावास तालाब में आरडब्ल्यूआर मय पम्प हाउस निर्माण कार्य-पाली	14 करोड़ 60 लाख रुपये
4.	सुथारों की ढाणी, इन्द्रनगर फतेहसागर, डुडियों की ढाणी (सदरी) तथा पुनियों की ढाणी (नौसर) (लोहावट)-फलौदी में टंकी निर्माण कार्य	1 करोड़ 50 लाख रुपये



- प्रदेश में पेयजल सुविधा हेतु लगभग 540 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न कार्य करवाये जायेंगे। ये कार्य हैं :-

क्र.सं.	पेयजल सम्बन्धी कार्य	लागत
1.	आरजीएलसी स्रोत (पीएस-08) से रोहट तक राइजिंगमेन पाइप लाइन (फेज-द्वितीय) का कार्य	75 करोड़ 52 लाख रुपये
2.	बीसलपुर पेयजल योजना में अजमेर (फेज-III)-जयपुर (फेज-II) के लिए कॉमन इन्टेक वेल मय ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण	265 करोड़ 25 लाख रुपये
3.	मालपुरा में 3 उच्च जलाशय, राइजिंग एवं वितरण मेन पाइप लाइन का निर्माण कार्य	35 करोड़ रुपये
4.	टोडारायसिंह में 100 PCD से पर्याप्त दबाव से पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु 3 उच्च जलाशय, राइजिंग व वितरण मेन पाइप लाइन कार्य-केकड़ी	30 करोड़ रुपये
5.	देवली शहर में 4 उच्च जलाशय, पम्प हाउस, वितरण मेन पाइप लाइन का निर्माण कार्य	26 करोड़ रुपये
6.	ताकली बांध में पेयजल के लिए पानी आरक्षित करवाने एवं विस्तृत सर्वे तथा डीपीआर का कार्य (रामगंजमंडी)-कोटा	25 लाख रुपये
7.	कुम्भलगढ़ क्षेत्र के गांवों हेतु बेडच नाका परियोजना का कार्य-राजसमंद	60 करोड़ रुपये
8.	नगरीय जल योजना पोकरण-जैसलमेर का पुनर्गठन कर नई पाइपलाइन, ईएसआर एवं पम्पिंग मशीनरी (पोकरण)-जैसलमेर	37 करोड़ 46 लाख रुपये
9.	बहरोड में पेयजल सप्लाई कार्य	11 करोड़ 33 लाख रुपये

- प्रदेशवासियों को उपलब्ध करवाये जा रहे पेयजल की गुणवत्ता एवं स्वच्छता सुनिश्चित करने की दृष्टि से-

- विभागीय Water Testing Labs को राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा एवं NABL से मान्यता प्राप्त करने हेतु इस वर्ष लगभग 15 करोड़ 50 लाख रुपये का व्यय होगा।
- साथ ही, Water testing samples को Geo Tagging कर online किया जायेगा।



ऊर्जा

- प्रदेश को बिजली संकट से उबारने के लिए सरकार ने आवश्यक कदम उठाने प्रारम्भ कर दिये हैं। साथ ही, 'विकसित राजस्थान @2047' के सपने को साकार करने की दृष्टि से आगामी 10 वर्षों में प्रदेश में विद्युत मांग में संभावित 6 प्रतिशत वृद्धि दर के लिए भी आवश्यक ऊर्जा उत्पादन की कार्ययोजना तैयार की गई है।
- वर्ष 2031-32 तक परम्परागत स्रोतों से 20 हजार 500 मेगावाट क्षमता तथा अक्षय ऊर्जा के स्रोतों से 33 हजार 600 मेगावाट क्षमता (सोलर 22 हजार 200 मेगावाट, पवन 8 हजार 100 मेगावाट एवं हाइड्रो 3 हजार 300 मेगावाट) का उत्पादन सुनिश्चित करने हेतु कार्य प्रारम्भ किया गया है।

इसके अन्तर्गत-

- आरवीयूएनएल एवं केन्द्रीय उपक्रमों यथा- एनटीपीसी, कोल इंडिया लिमिटेड, एनएलसी इंडिया लिमिटेड के मध्य ज्वाइंट वेंचर अण्डरटेकिंग बनाकर 3 हजार 325 मेगावाट (तीन हजार तीन सौ पच्चीस मेगावाट) कोयला एवं लिग्नाइट आधारित परियोजनायें स्थापित करने हेतु एमओयू 10 मार्च, 2024 को किये गये हैं।
- वर्तमान में अनुबंधित 9 हजार मेगावाट सौर ऊर्जा के अतिरिक्त 13 हजार मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए टेरिफ बेस्ड टैण्डर प्रक्रिया से 8 हजार मेगावाट ऊर्जा उत्पादन के साथ ही 'कुसुम योजना' के तहत 5 हजार मेगावाट का कार्य प्रगतिरत है। कुसुम योजना के अन्तर्गत 3 हजार 500 मेगावाट क्षमता की स्थापना के लिए लैटर्स ऑफ इन्टेन्ट जारी भी किये जा चुके हैं।



- इस प्रकार वर्ष 2031-32 तक की ऊर्जा की मांग की पूर्ति हेतु 2 लाख 25 हजार करोड़ रुपये की लागत के कार्य करवाये जाएंगे।
- साथ ही, अक्षय ऊर्जा के उत्पादन को गति देने के लिए आवश्यक लैण्ड पॉलिसी को भी लागू किया जा चुका है। अब निजी क्षेत्र के माध्यम से रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन को भी गति देते हुए 50 हजार मेगावाट से अधिक उत्पादन क्षमता स्थापित करने की दिशा में पूंगल, छतरगढ़-बीकानेर एवं बोडाना-जैसलमेर में सोलर पार्क विकसित किये जाने का कार्य हाथ में लिया जायेगा।
- इसके अतिरिक्त, राज्य में ऊर्जा भंडारण क्षमता विकसित किये जाने हेतु नीति लायी जायेगी। इसके अन्तर्गत पम्प स्टोरेज का भी समावेश किया जायेगा। इस क्रम में बारां, भरतपुर एवं अन्य जिलों में फिजिबिलिटी के आधार पर पम्प स्टोरेज के माध्यम से भी ऊर्जा उत्पादन क्षमता सृजित की जायेगी।
- माननीय प्रधानमंत्री जी के हर घर-हर खेत बिजली निर्बाध रूप से उपलब्ध

कराने के संकल्प को साकार करने के लिए प्रदेश में विद्युत तंत्र को मजबूत एवं विस्तारित किया जा रहा है। ये सुधार कार्य हैं-

A. Energy Access Reforms-

- I. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में 'आदर्श सौर ग्राम' बनाए जाएंगे। प्रत्येक ग्राम में 2 मेगावाट क्षमता तक के विकेन्द्रीकृत सोलर पावर प्लांट्स स्थापित होंगे। इसके लिए 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
- II. प्रदेश के सभी राजकीय कार्यालयों को भी समयबद्ध रूप से सौर ऊर्जा से जोड़ते हुए बिजली की बचत की जाएगी। इस हेतु हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पर राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन के माध्यम से कार्य कराया जाएगा।
- III. बिजली से वंचित रहे 2 लाख 8 हजार से अधिक घरों को आगामी 2 वर्षों में घरेलू बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे।
- IV. 765 केवी के 6, 400 केवी के सात, 220 केवी के 15 व 132 केवी के 40 जीएसएस व सम्बन्धित लाइनों का चरणबद्ध रूप से विस्तार व निर्माण किया जायेगा। प्रथम चरण में करवाये जाने वाले कार्य हैं-

क्र.सं.	जीएसएस/ कार्य का नाम
1.	400 केवी जीएसएस निर्माण कार्य- केचिया -श्रीगंगानगर
2.	220 केवी जीएसएस निर्माण कार्य- जावली (कठुमर)-अलवर; बजाखरा (सागवाड़िया)-बांसवाड़ा; बयाना-भरतपुर; नौखड़ा (कोलायत)-बीकानेर; बेगू-चित्तौड़गढ़; भांवता (बांदीकुई), उदयपुरा (सिकराय)-दौसा; सागवाड़ा-इंगरपुर; जैतारण-ब्यावर; छोटी सादड़ी-प्रतापगढ़; देवगढ़-राजसमंद एवं सलूमबर 220 केवी जीएसएस में क्रमोन्नयन-सुमेरपुर-पाली
3.	132 केवी जीएसएस निर्माण कार्य- भीलवाड़ा; देवाता (जवाजा)-ब्यावर; रेलानव व सेमली फाटक (किशनगंज)-बारां; सेला (सिवाना), पचपदरा, बोरावास (पचपदरा) -बालोतरा; बाछड़ाऊ (चौहटन)-बाड़मेर; गुसाईसर बड़ा एवं ठुकरियासर (इंगरगढ़), केहरली (कोलायत), महाजन (लूणकरणसर), दंतोर (खाजूवाला)-बीकानेर; साहवा, सातडा-चूरू; भांवता-डीडवाना कुचामन; धौला (जमवारामगढ़)-जयपुर; फलसूण्ड (पोकरण), डांगरी -जैसलमेर; फींच, पाल (लूणी), मांडियाई खुर्द (ओसियां)-जोधपुर; सुनेल, रायपुर-झालावाड़; कुडगांव (सपोटरा)-करौली; ईडवा (डेगाना), इन्दावड (मेड़ता), नोखा चांदावता-नागौर; साण्डेराव (सुमेरपुर) -पाली; सुहागपुरा, बम्बोरी (छोटी सादड़ी)-प्रतापगढ़; केलवाड़ा (कुम्भलगढ़)-राजसमंद; शिवाड़ (खण्डार)-सवाई माधोपुर; करडा (रानीवाड़ा)-सांचौर, खाट लबाना (सादुलशहर)-श्रीगंगानगर एवं कोटड़ा (झाडोल)-उदयपुर
4.	33/11 केवी जीएसएस निर्माण कार्य- चाचियावास (पुष्कर)-अजमेर; देवंदी-बाड़मेर; सहजनपुर (छबड़ा) -बारां; नाथडियास (रायपुर), बीएसपी नगर-भीलवाड़ा; मोटानिया जोहड़ा व तारानगर-चूरू; बस्सी (भैसरोडगढ़)-चित्तौड़गढ़; पादरड़ी बड़ी (सागवाड़ा)-इंगरपुर; पांचवा, डीडवाना शहर-डीडवाना कुचामन; बांदीकुई, दौसा शहर, सालिमपुर, लोटवाड़ा (महवा)-दौसा; निदोला (शाहपुरा)-जयपुर; मुकनसर (पोकरण)-जैसलमेर; रोडकला -करौली; अर्जुनपुरा (लाडपुरा) व नॉर्दन बायपास के पास-कोटा; निम्बोला बिश्वा (डेगाना), सोनेली, खियाला (जायल), मूंदियाड (खींवरसर)-नागौर; गुढ़ा (जहाजपुर)-शाहपुरा; रामपुरा (खण्डेला)- सीकर सहित 33/11 केवी के 240 जीएसएस का निर्माण। लगभग 3 हजार 500 करोड़ (तीन हजार पांच सौ करोड़) रुपये व्यय।

B. Energy Leakage Prevention Reforms-

1. रिटैपड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत विद्युत छीजत रोकने तथा आमजन की सुविधा के लिए समस्त विद्युत उपभोक्ताओं के चरणबद्ध रूप से स्मार्ट मीटर्स लगाए जाएंगे। इस वर्ष 25 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर्स लगाये जायेंगे।
- विद्युत प्रसारण तंत्र को सुदृढ़ एवं विकसित करने हेतु 132 केवी या उससे अधिक की हाईटेंशन लाइन के निर्माण हेतु आवश्यक टावर एवं ट्रांसमिशन लाइन्स से किसानों की जमीन प्रभावित होती हैं। किसानों को ऐसी स्थिति में ऐसे ट्रांसमिशन टॉवर बेस के साथ चारों तरफ एक मीटर तक अतिरिक्त क्षेत्रफल की गणना कर डीएलसी दर का दुगुना तथा ट्रांसमिशन लाइन के नीचे आने वाले क्षेत्रफल के पेटे डीएलसी की 30 प्रतिशत की दर से मुआवजा दिया जाएगा।
- एनर्जी ऑडिट के लिए 3 वर्षों में 4 लाख 34 हजार डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स पर चरणबद्ध रूप से स्मार्ट मीटर्स लगाये जायेंगे। इस वर्ष एक लाख से अधिक स्मार्ट मीटर्स लगाये जायेंगे।
- विद्युत प्रसारण तंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु विभिन्न क्षमता के जीएसएस स्थापित किये जायेंगे। ये जीएसएस हैं-

क्र.सं.	जीएसएस
1.	33 केवी जीएसएस- रसिया-डीग, पुंदलोता (डेगाना)-नागौर, मियाला (भीम)-राजसमंद, पांचोली (सिकराय)-दौसा, अटारी (नदबई)-भरतपुर, दरीबा, शिवरती (सहाड़ा)-भीलवाड़ा, नेतरा एवं रोजड़ा के मध्य (सुमेरपुर)-पाली
2.	132 केवी जीएसएस- हरनावदाशाहजी (छीपाबड़ौद)-बारां, सायरा (गोगुन्दा)-उदयपुर, भादसोडा (कपासन)-चित्तौड़गढ़, अंजारी डंगीका-डीग, खुडियाला (शेरगढ़)-जोधपुर, बान्दनवाड़ा (भिनाय)-केकड़ी, बहरावण्डा खुर्द (खंडार)-सवाई माधोपुर

- प्रदेश को ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में 24 जुलाई, 2024 को जैसलमेर के पोकरण में 400 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन प्रारम्भ कर Discoms को सस्ती बिजली मिलना प्रारम्भ हो चुकी है। इसी क्रम में शीघ्र ही SCLL (Singareni Collieries Company Limited) और GAIL से भी MoUs करते हुए 4 हजार 100 MW (मेगावाट) क्षमता का सृजन किया जायेगा।
- केन्द्र सरकार के सहयोग से कृषकों के खेत पर 'कुसुम परियोजना'/HAM Model के माध्यम से एक हजार मेगावाट अतिरिक्त उत्पादन किया जाएगा। साथ ही, प्रदेश में HAM Model पर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) का कार्य हाथ में लिया जाकर चरणबद्ध रूप से लगभग 2 हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता सृजित की जाएगी।
- ऊर्जा उत्पादन के लिए निजी क्षेत्र को अतिरिक्त प्रोत्साहन देते हुए Captive Power उत्पादन की सीमा को 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 200 प्रतिशत किया जाएगा।
- फीडर सेग्रिगेशन के अन्तर्गत कृषि और घरेलू कनेक्शनों को पृथक-पृथक करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा लगभग 7 हजार 900 करोड़ रुपये की

परियोजना को मंजूरी दी गई है। इससे घरेलू उपयोग के लिए 24 घंटे निर्बाध बिजली देने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही, विद्युत प्रसारण तंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु विभिन्न क्षमता के GSS स्थापित किये जाएंगे। ये GSS हैं-

क्र.सं.	जीएसएस
1.	400 केवी जीएसएस- खोहरामुल्ला एवं मातासूला के मध्य (महवा-टोडाभीम के मध्य)
2.	132 केवी जीएसएस- सांकड़ा, सत्याया फांटा (पोकरण)-जैसलमेर, सेमली (नगर)-डीग, खरनाल तेजाजी (खींवरसर)-नागौर,
3.	132 केवी जीएसएस का 220 केवी जीएसएस में क्रमोन्नयन- आंधी (जमवारागढ़)-जयपुर
4.	33 केवी जीएसएस-बिहारीपुर-नीमकाथाना, भूणी, आगुंता, कुचामन सिटी-डीडवाना कुचामन, सिरथला, जयश्री-डीग व नाटौज (कठूमर)-अलवर

सड़क

- देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का मानना है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर न केवल लोगों के जीवन को आसान बनाता है, बल्कि समाज को भी सशक्त करता है।

राज्य सरकार ने हर परिवार को गुणवत्तापूर्ण पानी व बिजली उपलब्ध कराने के साथ ही सड़क, नगरीय विकास तथा औद्योगिक आधारभूत संरचना के कार्य प्राथमिकता से हाथ में लिए हैं। प्रदेश के समग्र विकास को गति देने के



लिए प्रति विधानसभा क्षेत्र 5 करोड़ रुपये की सड़कों व 3 करोड़ रुपये के अन्य आधारभूत संरचना के कार्यों की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं।

- प्रदेश में, इस सरकार के कार्यकाल में 53 हजार किलोमीटर लम्बाई का सड़क नेटवर्क लगभग 60 हजार करोड़ रुपये व्यय कर विकसित किया जाएगा। इसी क्रम में, चरणबद्ध रूप से राज्य उच्चमार्ग सड़कों के साथ बाइपास सड़कों, फ्लाईओवर्स, एलिवेटेड रोड्स, आरओबी, आरयूबी एवं हाई लेवल ब्रिजज आदि के निर्माण तथा रिपेयर व उन्नयन के कार्य लगभग 9 हजार करोड़ रुपये की लागत से करवाये जाएंगे। ये कार्य हैं-

I.स्टेट हाइवेज एवं अन्य सड़क निर्माण कार्य

क्र.सं.	State Highways/सड़कें	लागत
1.	माल बामोरी-मांगरोल-बारां (SH-01) (41.20 किमी.)	174 करोड़ रुपये
2.	दूदू-सांभर-भाटीपुरा (SH-02) (40.40 किमी.)	127 करोड़ रुपये
3.	गोटन-साधिन (पीपाड़) (SH-86B) (30.50 किमी.)	85 करोड़ रुपये
4.	बूंदी-सिलौर-नमाना-गरड़ा-भोपतपुरा (SH-29B) (44 किमी.)	184 करोड़ रुपये
5.	जिला सीमा अजमेर से भदून-जाखोलाई-उजोली-भैरवाई-उमामाल की टाणी जिला सीमा नागौर तक (SH-135) (17 किमी.) (रूपनगढ़)-अजमेर	25 करोड़ रुपये
6.	बिजयनगर-नगर-बडली-माताजी का खेड़ा व देवलियाकलां सड़क (MDR-9) (18.20 किमी.) (बिजयनगर, भिनाय)-केकड़ी	20 करोड़ रुपये
7.	रसीली-मीजमाबाद-झाग-राताखेड़ा-रामपुरा ऊँटी-बगरू सड़क (MDR-21) (40 किमी.) (मीजमाबाद, सांगानेर)-जयपुर/दूदू	90 करोड़ रुपये
8.	भनोखर-कांठवाडी-गढ़ी-सवाईराम-रामसिंहपुरा-परबैणी सड़क (MDR-325) (20 किमी.) (रेणी, लक्ष्मणगढ़, कटूमर)-अलवर	20 करोड़ रुपये
9.	कासोरिया-कांवलियास-डाबला-खामौर-बल्दरखा सड़क (MDR-367) (18.70 किमी.) (हरडा, बनेडा, शाहपुरा)-भीलवाड़ा, शाहपुरा	28 करोड़ 5 लाख रुपये
10.	मोरडी-ईसरवाला-मसोटिया-तलवाड़ा-गोपीनाथ का गढ़ा सड़क (MDR-208) (21 किमी.) (घाटोल, गढ़ी)-बांसवाड़ा	32 करोड़ रुपये
11.	लूणकरणसर-ढाणी भोपालाराम-सहजरासर सड़क (MDR-298) (16 किमी.) (लूणकरणसर)-बीकानेर	24 करोड़ रुपये
12.	भादरा शहर-राजपुरा बास-इंगराना-बोझला-मलसीसर सड़क (MDR-31) (13 किमी.) (भादरा)-हनुमानगढ़	20 करोड़ 18 लाख रुपये
13.	नेवरिया-सिंहाना-ऊँचा-मुरोली सड़क (MDR-370) (30.50 किमी.) (राशमी)-चित्तौड़गढ़	50 करोड़ रुपये
14.	बाबरिया खेड़ा-हिण्डोली-राशमी-सांखली-पहुना सड़क (MDR-96) (39.40 किमी.) (कपासन, राशमी)-चित्तौड़गढ़	60 करोड़ रुपये
15.	खेरली-कोटपुरा-मिश्रियापुरा-मांगरौल-बिचौला सड़क (MDR-292) (12 किमी.) (राजाखेड़ा, मनियां)-धौलपुर	16 करोड़ 67 लाख रुपये
16.	सिकन्दरा-गीजगढ़-धूमना-रामगढ़-गैरोटा सड़क (SH-25) (15.50 किमी.) (सिकराय)-दौसा	15 करोड़ रुपये
17.	बरना-गांगा-निम्बा-बीदा-सम सड़क (MDR-36) (29 किमी.) (सम)-जैसलमेर	15 करोड़ रुपये
18.	कालाडैरा-प्रतापपुरा-जालसू-जाहोता-जयरामपुरा सड़क (SH-19) (25 किमी.) (जालसू)-जयपुर	40 करोड़ रुपये
19.	झुंझुनू-रिजाणी-चुडैला-बिरमी-बिसाऊ सड़क (SH-37) (39 किमी.) (झुंझुनू, मलसीसर, बिसाऊ)-झुंझुनू	39 करोड़ 22 लाख रुपये
20.	राजोता-डाडा फतेहपुरा-मेहाड़ा-बसई सड़क (SH-82) (21 किमी.) (खेतड़ी)-नीमकाथाना	33 करोड़ 50 लाख रुपये
21.	डांगियावास-गुड़ा-उचियारडा-खातियासनी सड़क (SH-68) (23 किमी.) (जोधपुर, लूणी)-जोधपुर	31 करोड़ 21 लाख रुपये
22.	सांचौर-सिद्धेश्वर-पालडी सोककियान-आमली-काखेला-बगसडी सड़क (MDR-17) (13.50 किमी.) (सांचौर, चितलवाना)-सांचौर	18 करोड़ 50 लाख रुपये

क्र.सं.	State Highways/सड़कें	लागत
23.	कालीसिंह-डीपरी-बिनायका-इटावा-तालाब-खातौली सड़क (SH-70) (13.50 किमी.) (पीपल्दा)-कोटा	15 करोड़ रुपये
24.	फरडौद-मातासुख-कसनाउ-अड़वड़-कुचेरा सड़क (SH-92A) (25 किमी.) (जायल)-नागौर	27 करोड़ 50 लाख रुपये
25.	जायल-राजोद-छापड़ा-कमेडिया-आकोड़ा सड़क (SH-140) (58 किमी.) (जायल)-नागौर	63 करोड़ 80 लाख रुपये
26.	फालना गांव-खिमेल सड़क (MDR-120) (10.50 किमी.) (बाली)-पाली	18 करोड़ 50 लाख रुपये
27.	रियां बड़ी-जडाऊकलां-जडाऊ खुर्द-चावंडिया कलां-चावंडिया खुर्द सड़क (MDR-243) (14 किमी.) (रियां बड़ी)-नागौर	19 करोड़ 60 लाख रुपये
28.	जीणमाताजी-रलावता-रूपगढ़-सुलियावास-दांतारामगढ़ सड़क (MDR-139) (18.50 किमी.) (दांतारामगढ़)-सीकर	21 करोड़ 40 लाख रुपये
29.	पचार-रामजीपुरा-खुचारियावास-बाय-खाटूश्यामजी (20 किमी.) (दांतारामगढ़)-सीकर	30 करोड़ रुपये
30.	दौलतपुरा-बहरावण्डा खुर्द-सेवती खुर्द-हरिपुरा सड़क (MDR-051) तक (5.50 किमी.) (खण्डार)-सवाई माधोपुर	11 करोड़ रुपये
31.	संवारिया-झाडली-देवल-लम्याजुनादार-लाम्बाहरिसिंह सड़क (MDR-308) (13.57 किमी.) (मालपुरा)-टोंक	25 करोड़ रुपये
32.	गोगुन्दा-गणेशजीकागुडा-मोड़ी-छिपाला-मारुवास-तुलासड़क (MDR-36B) (14.50 किमी.) (गोगुन्दा, बड़गांव)-उदयपुर	18 करोड़ 75 लाख रुपये
33.	सेमला-सुनेल-हेमड़ा-डोला सड़क (SH-19D) (36 किमी.) (सुनेल, पिड़ावा)-झालावाड़	21 करोड़ 60 लाख रुपये
34.	आवर-कोटडी-रूपाखेड़ी-हड़मतिया सड़क (MDR-221) (19किमी.) (पिड़ावा)-झालावाड़	43 करोड़ 13 लाख रुपये
35.	महापुरा से खटवाड़ा तक सड़क (3.50 किमी.)-जयपुर	5 करोड़ 34 लाख रुपये
36.	बधाल-ईटावा (किशनगढ़-रेनवाल) से (NH-52) गोविन्दगढ़ तक (21.90 किमी.)-जयपुर	95 करोड़ रुपये
37.	SH-25 से केशरपुर बल्लाणा-जाटोली-इम्टीपुरा-बालेटा-पूनखर-मीन भगवान मंदिर-राजगढ़ बाईपास ROB तक सड़क चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण (36 किमी.)-अलवर	35 करोड़ रुपये
38.	अजमेर शहर की विभिन्न सड़कों के निर्माण कार्य	20 करोड़ रुपये
39.	जस्साखेड़ा से दूधालेश्वर सड़क के चौड़ाईकरण (15 कि.मी.)-ब्यावर	15 करोड़ रुपये
40.	केकड़ी-सरवाड-नसीराबाद-सावर-देवली सड़क के उन्नयन का कार्य-केकड़ी, अजमेर	15 करोड़ रुपये
41.	केकड़ी-रामथला-नेगडिया देवली सड़क के उन्नयन का कार्य-केकड़ी, अजमेर	10 करोड़ रुपये
42.	मालपुरा-रिण्डल्या-मान्दोलाई खेजड़ी का बास देवगांव बघेरा-हिसामपुर नासीरदा देवली तक सड़क चौड़ाईकरण-केकड़ी, अजमेर	20 करोड़ रुपये
43.	नसीराबाद से मांगलियावास ब्यावर रोड सड़क के उन्नयन का कार्य (20 किमी.) (नसीराबाद)-अजमेर	20 करोड़ रुपये
44.	एन.एच.48 मकरेडा डोडियाना दांता कालेसरा तक सड़क का नवीनीकरण एवं चौड़ाईकरण (14 किमी.) (नसीराबाद)-अजमेर	10 करोड़ रुपये

क्र.सं.	State Highways/सड़कें	लागत
45.	कराणा से बिलाली स्टैण्ड (एम.डी.आर-228) वाया बड़ागांव बिलाली तक (8.5 किमी.) (बानसूर) -कोटपूतली बहरोड़	8 करोड़ 50 लाख रुपये
46.	हाजीपुर से हरसौरा वाया गुवाड़ा, चूला, बावली का बास तक (13 किमी.) (बानसूर) -कोटपूतली बहरोड़	9 करोड़ 10 लाख रुपये
47.	सुन्दनी से कोहाला घाटी तक दो लेन (मों त्रिपुरा सुन्दरी शक्ति पीठ पहुँचने के लिए) (12 किमी.) (गढ़ी)-बांसवाड़ा	15 करोड़ रुपये
48.	सरेडी मोड़ से राठडिया आसोडा वाया आडा रोड तक सम्पर्क सड़क का विकास कार्य (15.50 किमी.) (गढ़ी)-बांसवाड़ा	20 करोड़ रुपये
49.	सीसवाली भैरुपुरा चौराहे से सीसवाली खाड़ी तक सड़क के उन्नयन का कार्य (1.5 किमी.) (अन्ता)-बारां	2 करोड़ रुपये
50.	मऊ से लालकोठी (मध्य प्रदेश सीमा) वाया रेनगढ़ रिझिया जारेला सड़क का चौड़ाईकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य (13.1 किमी.) (अन्ता)-बारां	15 करोड़ रुपये
51.	हनोतिया गांव में नदी पर पुलिया निर्माण कार्य (बारां-अतरू)- बारां	8 करोड़ 50 लाख रुपये
52.	सहजनपुर में अंधेरी नदी स्थित बालाजीघटा पर पुलिया निर्माण (छबड़ा)-बारां	8 करोड़ रुपये
53.	छिपाबड़ीद से गूगोर वाया छबड़ा (MDR-264) (23.20 किमी.) (छबड़ा)-बारां	25 करोड़ रुपये
54.	बाड़मेर में विभिन्न सड़क निर्माण कार्य (25 किमी.) (बाड़मेर)- बाड़मेर	10 करोड़ रुपये
55.	देवड़ा-फूलन राखी सड़क सुदृढीकरण कार्य (9.4 कि.मी.) (सिवाना)-बालोतरा	8 करोड़ रुपये
56.	खारा फांटा-सिणधरी - मिठोडा-सिवाना-देवन्दी -मोकलसर नेशनल हाईवे-325 तक सड़क कार्य (51 कि.मी.) (सिवाना)-बालोतरा	30 करोड़ रुपये
57.	भरतपुर सर्किल-बयाना बायपास विदयां (SH-01) से बरहबद (SH-45) (4-5 किमी.) (बयाना)-भरतपु	7 करोड़ रुपये
58.	डीग में बायपास निर्माण (16 किमी.)-डीग	100 करोड़ रुपये
59.	पहाड़ी से जुरहडा तक सड़क निर्माण (10 किमी.) (कामां)-डीग	10 करोड़ रुपये
60.	डीग नगर रोड से बेदम, अदावली, नगला भजना, हयातपुर, जटेरी बधाम तक सड़क निर्माण कार्य (13 किमी.) (नगर)-डीग	15 करोड़ रुपये
61.	नौ चौक से चांवडिया चौराहे तक हाईलेवल पुल का निर्माण अप्रोच मय डिवाइडर सड़क निर्माण कार्य (जहाजपुर)-शाहपुर	15 करोड़ रुपये
62.	मॉडल भीलवाड़ा हरिपुरा चौराहे से देवगढ़ जिला राजसमंद तक सड़क को फोरलेन निर्माण हेतु डीपीआर (62 किमी.) (माण्डल)-भीलवाड़ा	5 करोड़ रुपये
63.	धुवाला से गम्भीरपुरा हेतु हुए लिरडिया से भादु तक सड़क उन्नयन (20 किमी.) (माण्डल)-भीलवाड़ा	20 करोड़ रुपये
64.	मेवासा से रघुनाथपुरा वाया भोजा पायरा सड़क 7 मीटर तक सड़क उन्नयन (10 किमी.) (माण्डल)-भीलवाड़ा	10 करोड़ रुपये
65.	बनास नदी बरडोद-देवली के बीच पुलिया निर्माण (सहाड़ा)- भीलवाड़ा	10 करोड़ रुपये
66.	भीलवाड़ा-देवगढ़ वाया पांसल, पिथास बागोर, बोराणा जगदीश सड़क चौड़ाईकरण (8 किमी.) (सहाड़ा)-भीलवाड़ा	8 करोड़ रुपये
67.	मिसिंग लिंक कालू रेड श्रीद्वारगढ़ से पूनरासर वाया समन्दसर (22 किमी.) (द्वारगढ़)-बीकानेर	7 करोड़ 70 लाख रुपये
68.	बीर बिग्गा जी मन्दिर से तोलियासर मिसिंग लिंक सड़क (9.8 किमी.) (द्वारगढ़)-बीकानेर	3 करोड़ 43 लाख रुपये

क्र.सं.	State Highways/सड़कें	लागत
69.	682 आरडी पूगल से आदूरी होते हुए मकेरी सड़क की चौड़ाई बढ़ाने एवं नवीनीकरण का कार्य (29 किमी.) (खाजूवाला)- बीकानेर	23 करोड़ 20 लाख रुपये
70.	भूरासर से आनन्दगढ़ वाया 28 केएलडी, गोकुलगढ़ तक सड़क निर्माण (16 किमी.) (कोलायत)-बीकानेर	16 करोड़ रुपये
71.	गांव हरियाखडी से सातलियावास-खण्ड निम्बाहेडा (1.5 किमी.) (बड़ी सादड़ी)-चित्तौड़गढ़	80 लाख रुपये
72.	हूंगला से कानोड़ सिंगल रोड से डबल रोड (बड़ी सादड़ी)- चित्तौड़गढ़	7 करोड़ रुपये
73.	लोठियाना से सूठाला रोड पर (बामनी नदी) पुलिया निर्माण (बेगूं)- चित्तौड़गढ़	6 करोड़ 10 लाख रुपये
74.	भुजर कलां से डाबी एनएच तक सड़क निर्माण (15 किमी.) (बेगूं)- चित्तौड़गढ़	20 करोड़ रुपये
75.	नौ मील चौराहा से भटवाड़ा-सूदरी-गंगरार मंडफिया - साडास-दुगार-राजगढ़-तेजपुर -नंदवाड़-बेगूं-सेमलिया -थामंचा से एमपी सीमा तक (बेगूं)- चित्तौड़गढ़	50 करोड़ रुपये
76.	काकरवा से भादसौडा, रोलिया से रेलमगरा एवं इंटाली से भादसौडा (42 किमी.) (कपासन)-चित्तौड़गढ़	60 करोड़ रुपये
77.	सिगरी हनुमानजी (कदमाली नदी) पर काजवे के स्थान पर पुल निर्माण (निम्बाहेडा)-चित्तौड़गढ़	25 करोड़ रुपये
78.	लालसोट से खटवा नवीनीकरण एवं चौड़ाईकरण (9.25 किमी.) (लालसोट)-दौसा	5 करोड़ 10 लाख रुपये
79.	एनएच 148 दूंगरपुर मोड से डोब वाया हरिपुरा नवीनीकरण एवं चौड़ाईकरण (6.1 किमी.) (लालसोट)-दौसा	5 करोड़ 49 लाख रुपये
80.	महवा से भरतपुर बॉर्डर वाया औण्डमीना, समसपुर, शीशवाडा चौड़ाईकरण (25 कि.मी.) (महवा)-दौसा	15 करोड़ रुपये
81.	अलूदा रानोली सड़क निर्माण वाया पपलाजमाता छारेडा (23 किमी.) (सिकराय)-दौसा	21 करोड़ रुपये
82.	सरोदा कराडा पाडवा भासौर बनकोडा सड़क का चौड़ाईकरण व सुदृढीकरण (20 किमी.) (सागवाड़ा)-दूंगरपुर	10 करोड़ रुपये
83.	करणपुर से केसरीसिंहपुर वाया धनूर सड़क की चौड़ाईकरण (27 किमी.) (करणपुर)-श्रीगंगानगर	46 करोड़ रुपये
84.	पदमपुर-श्रीगंगानगर सड़क से चानगाधाम वाया 20 बीटी सड़क की चौड़ाईकरण (12 किमी.) (करणपुर)-श्रीगंगानगर	20 करोड़ रुपये
85.	रायसिंहनगर-पदमपुर सड़क मार्ग पर स्थित ग्राम 20 पीएस बस स्टैण्ड से वाया रिडमलसर होते हुए श्रीगंगानगर-सूरतगढ़ हाइवे सड़क तक चौड़ाईकरण (25 कि.मी.) (करणपुर)-श्रीगंगानगर	40 करोड़ रुपये
86.	भादरा-साहवा सड़क से भादरा-राजगढ़ सड़क तक बाईपास निर्माण (8 किमी.) (भादरा)-हनुमानगढ़	25 करोड़ रुपये
87.	विनोदीलालपुरा से डाबिच एवं गोपालपुरा से पीपला तक (12 किमी.) (चाकसू)- जयपुर	8 करोड़ रुपये
88.	कोटखावदा से देवसी की टाणी होते हुए वाया नरोत्तमपुरा से देहलाला तक सड़क (6 किमी.) (चाकसू)- जयपुर	3 करोड़ रुपये
89.	इन्द्रपुरी से श्रीकिशनपुरा होते हुए वाया खेड़ारानिवास से रामचन्द्रपुरा तक सड़क। (8 किमी.) (चाकसू)- जयपुर	3 करोड़ 50 लाख रुपये
90.	ढोदसर से किशनमानपुरा तक सड़क (8 किमी.) (चौमूं)- जयपुर	4 करोड़ रुपये

क्र.सं.	State Highways/सड़कें	लागत
91.	तातेड़ा मोड़ से नांगल कलां तक सड़क (2 किमी.) (चौमू)- जयपुर	60 लाख रुपये
92.	चौमू शहर से जयपुर रोड एचटी लाइन के नीचे कचौलिया रोड़ तक सड़क (1 किमी.) (चौमू)- जयपुर	50 लाख रुपये
93.	खेल मैदान से लुंगती वाले बालाजी होते हुए बागड़ा बास की सीमा तक (2 किमी.) (चौमू)- जयपुर	60 लाख रुपये
94.	रेनवाल रोड गुवारडी पंचमुखी हनुमान मन्दिर से जंगलात होते हुए कालाडेरा तक (4 किमी.) (चौमू)- जयपुर	1 करोड़ 20 लाख रुपये
95.	जयसिंहपुरा खोर की सड़कों का सुदृढीकरण-जयपुर	5 करोड़ रुपये
96.	धूला मोड़ आगरा रोड (एन.एच. 52) से धामस्या लालवास होते हुए फुटालाव एन.एच-148 तक सड़क (26 कि.मी.) (जमवारामगढ़) - जयपुर	25 करोड़ रुपये
97.	जनक मार्ग से शुरू होकर खातीपुरा मोड़ से क्वींस रोड होते हुए पुरानी चुंगी पर अण्डरपास बनाते हुए झारखण्ड मोड़ से सिरसी रोड पर गौतम मार्ग तक Elevated Road की DPR (झोटवाड़ा)- जयपुर	5 करोड़ रुपये
98.	सी.जोन बायपास पर सिरसी रोड पर राणा कुम्भा रोड से होते हुए सिरसी मोड़ तक जाने हेतु Elevated Road एवं सिरसी मोड़ से राणा कुम्भा रोड तक Elevated Road की DPR (झोटवाड़ा)-जयपुर	2 करोड़ रुपये
99.	मठ की ढाणी तिगरिया से जगतपुरा सड़क (1.5 किमी.) (शाहपुरा) -जयपुर	70 लाख रुपये
100.	हरजी-पचानवा नदी पर पुल, पादरली-तख्तगढ़ पुल, कवराडा नदी पर पुल (आहौर) - जालौर	19 करोड़ रुपये
101.	एनएच 325 से बिठूडा-चादराई सड़क (10 कि.मी.) (आहौर) - जालौर	5 करोड़ रुपये
102.	झालरापाटन के 15 मिसिंग लिंक रोड (झालरापाटन) -झालावाड़	28 करोड़ 53 लाख रुपये
103.	बायपास मनोहर थाना एमडीआर 176 (3.3 कि.मी.) (मनोहरथाना) -झालावाड़	15 करोड़ रुपये
104.	नीमकाथाना खेतड़ी सड़क का झोजु धाम से नानुवाली बावड़ी तक सड़क चौड़ाईकरण (7 किमी.) (खेतड़ी)-नीमकाथाना	10 करोड़ रुपये
105.	मावण्डा से महाडा सड़क (राज्य राजमार्ग-13 ए) (11 किमी.) (खेतड़ी)-नीमकाथाना	11 करोड़ रुपये
106.	पपुरना, रामकुमारपुरा, डाबला, पाटन सड़क चौड़ाईकरण (13 किमी.) (खेतड़ी)- नीमकाथाना	20 करोड़ रुपये
107.	नवलगढ़ बाईपास वाया झाम्झड़ियों की ढाणी-बिरोल (12 कि.मी.) (नवलगढ़)-झुंझुनू	36 करोड़ रुपये
108.	बिलाडा से हरियाडा जिला सीमा तक पुष्कर से रोहट सड़क (30 किमी.) (बिलाडा)-जोधपुर	20 करोड़ रुपये
109.	फलीदी-शेखासर-राणेशी-बारू-नाचना रोड-फलीदी	20 करोड़ रुपये
110.	नान्देलाव की हवेली लोहावट वाया बेरू-मालूंगा-गगाड़ी-पांचला-चेराई-सामराऊ-भाकरी सड़क (ओसियां)- जोधपुर	20 करोड़ रुपये
111.	मण्डरायल से पहाड़ी, बहरावण्डा से जगनेर, करौली से वजीरपुर सड़क-करौली	10 करोड़ रुपये
112.	चौड़ागांव-जोडली-पहाड़पुरा-बूकना-निशाना- कालागुडा सड़क (14 किमी.) (सपोटरा)- करौली	11 करोड़ रुपये
113.	करसाई से बरिया सड़क का चौड़ाईकरण (11 किमी.) (सपोटरा) - करौली	10 करोड़ रुपये

क्र.सं.	State Highways/सड़कें	लागत
114.	कैलादेवी आस्थाधाम के बाईपास का चौड़ाईकरण (7 किमी.) (सपोटरा)-करौली	9 करोड़ रुपये
115.	खेडारसूलपुर पुलिया का निर्माण (लाडपुरा)-कोटा	2 करोड़ 20 लाख रुपये
116.	रामगंजमण्डी रिंग रोड की डीपीआर-कोटा	5 करोड़ रुपये
117.	ऊजाड़ नदी पर मोईखुर्द से डेरू माता जोलपा की ओर नदी पर पुलिया निर्माण (सांगोद)-कोटा	4 करोड़ 50 लाख रुपये
118.	कनवास से देवली (एम.डी.आर.-184), कैथून से अडूसा (एम.डीआर.-185) (सांगोद)-कोटा	10 करोड़ रुपये
119.	कुचेरा (एन एच-87) से कानुता (एन एच- 58) वाय रूपाथल- 101 मील-बुगरडा- रातंगा- सोनेली-तंवरा- रामसर-गुढा रोहिली (30 किमी.) (जायल)- नागौर	25 करोड़ रुपये
120.	नावां शहर की विभिन्न सड़कें (10 किमी.)-डीडवाना कुचामन	5 करोड़ रुपये
121.	बाली, फालना एवं सादड़ी से बाईपास (29 किमी.) (बाली)-पाली	116 करोड़ रुपये
122.	देसूरी से रानी वाया गिराली सड़क (29 कि.मी.) (बाली)-पाली	25 करोड़ रुपये
123.	नाडोल से घेनड़ी वाया निप्ल सड़क सुदृढीकरण एवं चौड़ाईकरण (17 किमी.) (बाली)-पाली	17 करोड़ रुपये
124.	समीखी से बलाड़ा, पृथ्वीपुरा से लौटोती, बलुन्दा से खराड़ी, कालब खुर्द से काणूजा, बूटीवास से रास, निमाज से चावण्डिया कलां, कावलिया से आनन्दपुर कालू सड़कों के सुदृढीकरण व चौड़ाईकरण का कार्य (38 किमी.) (जैतारण)-ब्यावर	30 करोड़ रुपये
125.	प्रतापगढ़ के पश्चिमी भाग में बाईपास चित्तौड़गढ़ रोड से धरियावाद रोड होते हुए बांसवाडा रोड तक अर्द्धचन्द्राकार रिंग रोड की डीपीआर-प्रतापगढ़	4 करोड़ रुपये
126.	धमोतर बोरी भुवासिया गादोला रोड (9 किमी.) (प्रतापगढ़)- प्रतापगढ़	5 करोड़ 40 लाख रुपये
127.	भचुण्डला चकुण्डा जिरावता मिरावता मध्य प्रदेश सीमा तक (6.5 किमी.) (प्रतापगढ़) - प्रतापगढ़	3 करोड़ 90 लाख रुपये
128.	मावली-घोड़ा घाटी सड़क का चौड़ाईकरण (7 किमी.) (नाथद्वारा)-राजसमन्द	10 करोड़ 50 लाख रुपये
129.	उथरड़ा से मंडियाना सड़क का चौड़ाईकरण (6.5 किमी.) (नाथद्वारा)-राजसमन्द	8 करोड़ रुपये
130.	सुमेरगंज मंडी दौलतपुरा कमलेश्वर महादेव चितारा लहसोडा बोदल एनएच 552 तक का चौड़ाईकरण (8 किमी.) (खण्डार) - सवाई माधोपुर	10 करोड़ रुपये
131.	सवाईमाधोपुर धमूण कलां से बिलोपा एकडा बिन्जारी चौथ का बरवाडा की सड़क का चौड़ाईकरण (45 कि.मी.) (खण्डार)-सवाई माधोपुर	50 करोड़ रुपये
132.	भगवतगढ़ से हथडीली वाया त्रिलोकपुरा सड़क मय बनास नदी पर रपट निर्माण कार्य (5.5 किमी.) (खण्डार) -सवाई माधोपुर	22 करोड़ रुपये
133.	चौरू से चौथ का बरवाडा सड़क का चौड़ाईकरण (12 किमी.) (खण्डार)-सवाई माधोपुर	15 करोड़ रुपये
134.	सांथा से नांगल शेरपुर (करौली) तक वाया जील, डौरावली, धौलाकुआं, स्टेट हाईवे-25 की सड़क एवं स्टेट हाईवे-22 से सती माता पथवारी वाया भैरों मंदिर सड़क निर्माण (सवाई माधोपुर)-सवाई माधोपुर	15 करोड़ रुपये



“राज्य सरकार का वर्ष 2024-25 का परिवर्तित बजट ‘आपणो अग्रणी राजस्थान’ की संकल्पना को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा। इस बजट में महिला, युवा, किसान तथा गरीब सहित सभी वर्गों को संबल दिया गया है। जिससे विकसित राजस्थान के सपने को मूर्त रूप मिल सकेगा।”

बजट हाईलाइट्स

- 53 हजार किमी सड़क नेटवर्क 60 हजार करोड़ रुपये लागत से विकसित किया जाएगा।
- प्रदेश में प्रथम बार 2 हजार 750 किलोमीटर से अधिक की लम्बाई के 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे बनेंगे।
- राजस्थान रीजनल एण्ड अर्बन प्लानिंग बिल-2024 आएगा।
- डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना प्रारम्भ होगी।

क्र.सं.	State Highways/सड़कें	लागत
135.	सवाईमाधोपुर शहर की सड़कें-सवाई माधोपुर	10 करोड़ रुपये
136.	जयपुर बीकानेर बाईपास एनएच-52 से लौसल डीडवाना सड़क एसएच-07 वाया धोद सरवडी एसएच-37बी (35.5 किमी.) (धोद) -सीकर	25 करोड़ रुपये
137.	भोजपुर (एसएच 37) से चौमूं पुरोहितान (एसएच 113) (25 किमी.) (खण्डेला) - सीकर	16 करोड़ 82 लाख रुपये
138.	सीलपुर (एसएच 13) से ज्ञानपुरा (एमडीआर 276) (32.5 किमी.) (खण्डेला) -सीकर	21 करोड़ रुपये
139.	एनएच-52 से सिमारला जागीर और खेजडौली जिला सीमा तक, याम सिंह वाली से कुम्भा बाली, एसएच-113 से भारणी एवं एसएच-37 से मारणी सड़क चौड़ाईकरण एवं सुदृढीकरण (श्रीमाधोपुर) -नीमकाथाना	40 करोड़ रुपये
140.	किवरली से पांडुरी पुल निर्माण कार्य (पिण्डवाड़ा-आबू) -सिरोही	7 करोड़ 70 लाख रुपये
141.	देलदर से टाकिया सड़क (12 किमी.) (पिण्डवाड़ा-आबू) -सिरोही	25 करोड़ रुपये
142.	बनास नदी पर दोडवाडी से बोरडा सड़क मय काजवे का निर्माण (3.5 किमी.) (निवाई) - टोंक	25 करोड़ रुपये
143.	क्यारी से सईकला तक सड़क एवं पुलिया निर्माण, सिरवल नदी पर पुलिया निर्माण एवं शिवडीया से पिपरमाल सड़क निर्माण (गोगुन्दा) - उदयपुर	30 करोड़ रुपये
144.	कोटडा से देवला रोड को 4 लेन में करने की डीपीआर (झाड़ोल) - उदयपुर	5 करोड़ रुपये
145.	सलूमबर में बायपास एसएच 32 किमी 69 से एसएच 53 इसरवास, एसएच 53 किमी 83 से एसएच 32-78 देवगांव (8 किमी.) -सलूमबर	10 करोड़ रुपये
146.	सेमारी एवं सराडा को सलूमबर से जोड़ने वाली सड़क (40 किमी.) सलूमबर	25 करोड़ रुपये
147.	रामपुरा से नाई गांव होते हुए नादेश्वर महादेव मार्ग (6.5 किमी.) - उदयपुर	5 करोड़ रुपये
148.	झाड़ोल से नान्देश्वर से रिंग रोड की डीपीआर-उदयपुर	2 करोड़ रुपये
149.	खींवसर क्षेत्रा की विभिन्न नॉनपेचेबल/मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण-नागौर	10 करोड़ रुपये
150.	भद्रकाली मंदिर को जोड़ने वाली सड़क का चौड़ाईकरण (6.50 किमी.) - हनुमानगढ़	5 करोड़ रुपये
151.	भरतपुर - अलवर मार्ग को चार लेन में परिवर्तित करने की डीपीआर	5 करोड़ रुपये
152.	तारानगर शहर व क्षेत्रा की विभिन्न सड़कों/मिसिंग लिंक का कार्य	15 करोड़ रुपये
153.	जसवंतपुरा से चितरोड़ी सड़क वाया सुन्धा माता (25 किमी.) (रानीवाड़ा) - सांचौर	12 करोड़ 50 लाख रुपये
154.	मावली, उदयपुर से नाथद्वारा वाया गुडली सड़क की डीपीआर- उदयपुर	3 करोड़ रुपये
155.	देवगढ़ से भीलवाडा सड़क चौड़ाईकरण (20 किमी.) (देवगढ़) - राजसमन्द	20 करोड़ रुपये
156.	देवली-उनियारा क्षेत्र में विभिन्न सड़कों के कार्य	20 करोड़ रुपये
157.	कुड़छी-नागड़ी-धारणावास-भांवडा-बैरावास-तांडावास सड़क (41 किमी.) (खींवसर)-नागौर	22 करोड़ रुपये

II. वायपास सड़क सम्बन्धी कार्य-

क्र.सं.	वायपास सड़कें	लागत
1.	बरसो से त्योंगा-भरतपुर	200 करोड़ रुपये
2.	लुधावई टोल से तुहिया वाया मुरवारा, भांडोर-भरतपुर	150 करोड़ रुपये
3.	NH-52 रामू का बास से SH-08 कुडली-सीकर	90 करोड़ रुपये
4.	हनुमानगढ़-सूरतगढ़ सड़क से हनुमानगढ़ संगरिया सड़क	200 करोड़ रुपये
5.	NH-123 से NH-11B-धौलपुर	154 करोड़ 64 लाख रुपये
6.	NH-44 से SH-2A-धौलपुर	131 करोड़ 76 लाख रुपये
7.	सूरवाल से कुस्तला-सवाई माधोपुर	130 करोड़ 14 लाख रुपये
8.	रिंग रोड वाया तारानगर सड़क वाया बालेरी सड़क से सरदारशहर सड़क वाया रतनगढ़ सड़क वाया देपलसर सड़क से NH-52-चूरू	200 करोड़ रुपये
9.	मंडावा-झुंझुनूं रोड से सीकर-झुंझुनूं रोड NH-11 से SH-08 -झुंझुनूं	61 करोड़ रुपये
10.	सीकर-झुंझुनूं रोड से झुंझुनूं-उदयपुरवाटी रोड से झुंझुनूं-चिड़ावा रोड-झुंझुनूं	100 करोड़ रुपये
11.	मण्डरायल-करौली-हिण्डौन-मानवा (SH-22) से गंगापुर -हिण्डौन-बयाना-भरतपुर (SH-01) (हिण्डौनसिटी)-करौली	85 करोड़ रुपये
12.	NH-58 से मेगा हाईवे (सूजानगढ़)-चूरू	75 करोड़ रुपये

III. आरओबी/आरयूबी/ फ्लाईओवर/एलिवेटेड रोड सम्बन्धी कार्य

क्र.सं.	ROB/RUB निर्माण	लागत
1.	जयपुर में नाड़ी का फाटक पर 4 lane ROB	86 करोड़ 89 लाख रुपये
2.	जयपुर में सीतावाली फाटक और बैनाड फाटक के मध्य RUB	14 करोड़ 37 लाख रुपये
3.	डीडवाना-कुचामन में छोटी खाटू, LC 90 पर ROB	58 करोड़ 70 लाख रुपये
4.	बीकानेर में श्रीद्वारगढ़ में LC 224/B.1-2 पर ROB	44 करोड़ 33 लाख रुपये
5.	कोटा में रामगंज मंडी-झालावाड़ Railway LC 3-A/2-E पर ROB	46 करोड़ 54 लाख रुपये
6.	बांदीकुई-दौसा रेलवे फाटक पर ROB निर्माण	60 करोड़ रुपये
7.	L.C.No.160-जोधपुर (मेड़ता रोड-जोधपुर टूक पर) रेलवे फाटक पर ROB निर्माण	70 करोड़ रुपये
8.	जयपुर में सी.बी.आई./इन्दूणी फाटक LC 214 पर ROB	95 करोड़ रुपये
9.	सालीग्रामपुरा फाटक-जयपुर LC 67-AC पर ROB	86 करोड़ रुपये
10.	नलका फाटक पर ROB निर्माण कार्य (बारां-अटरू)-बारां	45 करोड़ रुपये
11.	पवनपुरी नागनेचेजी माताजी मन्दिर बीकानेर के सामने ROB का निर्माण-बीकानेर	40 करोड़ रुपये
12.	सूरसागर में नहर चौराहे से एम्स जाने वाली रोड पर ROB-जोधपुर	30 करोड़ रुपये
13.	लूणकरणसर कस्बे में टू लेन RUB के निर्माण हेतु (लूणकरणसर) - बीकानेर	8 करोड़ रुपये
14.	रामनगर तिराहा, चूरू में RUB-चूरू	5 करोड़ रुपये
15.	ओम कॉलोनी में RUB-चूरू	5 करोड़ रुपये
16.	20 Level Crossing Railway फाटकों पर feasibility अनुसार DPR तैयार करने का कार्य	3 करोड़ रुपये
17.	परसनेरू-बिग्गा रेलवे स्टेशन (373/3-4) के मध्य RUB-बीकानेर	10 करोड़ 95 लाख रुपये

18.	मोलीसर-रतनगढ़ रेलवे स्टेशन (312/0-1) के मध्य RUB (रतनगढ़) -चूरू	7 करोड़ 25 लाख रुपये
19.	शेरिकन-तलवाड़ा झील (29/9-27/0) के मध्य RUB-हनुमानगढ़	6 करोड़ रुपये
20.	भरतपुर में हीरादास चौराहे से कुम्हेर गेट चौराहा तक flyover	99 करोड़ 01 लाख रुपये
21.	भरतपुर में काली बगीची चौराहा-बिजली घर चौराहा-RBM Hospital flyover	194 करोड़ 73 लाख रुपये
22.	जयपुर में सहकार मार्ग, इमली फाटक पर Flyover	65 करोड़ रुपये
23.	जयपुर में रिद्धि-सिद्धि, गोपालपुरा पर Flyover	72 करोड़ रुपये
24.	महिन्द्रा सेज, जयपुर के पास 250 फीट एवं 200 फीट सड़क के Intersection पर Flyover	90 करोड़ रुपये
25.	जयपुर में पृथ्वीराज दक्षिणी क्षेत्र में वन्दे मातरम सड़क पर पत्रकार कॉलोनी जंक्शन पर Flyover	98 करोड़ रुपये
26.	जयपुर में सांगानेर Flyover से चौरडिया पेट्रोल पम्प तक Elevated Road	170 करोड़ रुपये
27.	जयपुर में अम्बेडकर सर्किल से ओ.टी.एस. से जवाहर सर्किल तक Elevated Road निर्माण कार्य (प्रथम Feasibility Report तैयार करना। द्वितीय चरण की DPR तैयार कर निर्माण)	1 हजार 100 करोड़ रुपये
28.	जयपुर में कलक्ट्रेट सर्किल से राजमहल पैलेस होटल चौराहे (सरदार पटेल मार्ग) तक Elevated Road की DPR तैयार कर निर्माण कार्य	400 करोड़ रुपये
29.	उदयपुर में पारस तिराहे पर Flyover	36 करोड़ 16 लाख रुपये
30.	उदयपुर में देबारी चौराहे से प्रताप नगर चौराहे तक Elevated Road का निर्माण कार्य	125 करोड़ रुपये
31.	उदयपुर सिटी स्टेशन से कलक्टर निवास तक Elevated Road की DPR	5 करोड़ रुपये

IV. शहरी क्षेत्रों में सुनियोजित विकास के कार्य-

क्र.सं.	निर्माण कार्यों का विवरण	लागत
1.	जयपुर में टोंक रोड से फागी रोड के मध्य सड़क निर्माण कार्य की Feasibility Study (30 किमी.)	3 करोड़ रुपये
2.	जयपुर क्षेत्र में सेक्टर सड़कों का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	50 करोड़ रुपये
3.	मानसरोवर-सांगानेर क्षेत्र की सड़कों का उन्नयन	90 करोड़ रुपये
4.	विद्याधर नगर-जयपुर के विभिन्न वाडों में सड़क निर्माण कार्य	75 करोड़ रुपये
5.	जोधपुर में रामराज नगर से राजीव गांधी नगर, विनोबा भावे नगर वाया एनआरआई कॉलोनी को जोड़ने के लिए सम्पर्क सड़क निर्माण	10 करोड़ रुपये
6.	अजमेर में पृथ्वीराज नगर योजना में सड़क निर्माण कार्य	3 करोड़ 97 लाख रुपये
7.	पुष्कर-अजमेर में सूरजकुण्ड योजना में सड़क निर्माण कार्य	4 करोड़ 80 लाख रुपये
8.	उदयपुर में बड़गांव से ग्राम कविता, राष्ट्रीय राजमार्ग 76 तक मास्टर प्लान विस्तारीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य	43 करोड़ रुपये
9.	उदयपुर में जड़ाव नर्सरी से कलडवास तिराहे तक सड़क विस्तार का कार्य	38 करोड़ रुपये
10.	उदयपुर में सीसारमा गांव से नादेश्वर तक सड़क विस्तार एवं सुदृढीकरण का कार्य	14 करोड़ रुपये
11.	भरतपुर में योजना संख्या 13 में सड़क निर्माण कार्य	3 करोड़ 95 लाख रुपये
12.	भरतपुर में SPZ योजना की मुख्य सड़क चौड़ाईकरण एवं सौन्दर्यीकरण कार्य	3 करोड़ रुपये

13.	सिविल एयरपोर्ट-जैसलमेर से सम सड़क वाया ग्राम जियाई तक सड़क निर्माण का कार्य	11 करोड़ रुपये
14.	जैसलमेर में रामगढ़ सड़क से सम सड़क तक निर्माण का कार्य	4 करोड़ 50 लाख रुपये
15.	जैसलमेर बाड़मेर मुख्य सड़क से म्याजलार सड़क तक निर्माण का कार्य	8 करोड़ रुपये
16.	सवाई माधोपुर में विवेकानंद मार्केट व्यावसायिक योजना में सड़क/फुटपाथ/नाली निर्माण कार्य।	1 करोड़ 50 लाख रुपये

V. हाईलेवल ब्रिज के निर्माण कार्य

क्र.सं.	उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य	लागत
1.	उनियारा-बिजौलिया वाया इन्द्रगढ़-लाखेरी बूंदी रोड पर मेज नदी पर-बूंदी	27 करोड़ 32 लाख रुपये
2.	सांचौर-रानीवाड़ा-मंदार-आबूरोड रोड पर CH. 118/200 (रेवदर)-सिरोही	5 करोड़ 18 लाख रुपये
3.	चारी-जांजरी रोड पर दबायचा (खैरवाड़ा)-उदयपुर	11 करोड़ रुपये
4.	नादोती-श्रीमहावीरजी खेड़ा रोड, गम्भीर नदी पर-करौली	25 करोड़ रुपये
5.	सोजत-सिरयारी-जोजावर-देसूरी रोड, सावरद नदी पर (मारवाड़ जंक्शन)-पाली	10 करोड़ रुपये
6.	डियास-पनोतिया-देवरिया-धनोप-केरोट (MDR-367) एवं खारी नदी पर High Level Bridge व CD work (27.60 किमी.) (शाहपुरा, फुलियाकलां, भिनाई)-केकड़ी, भीलवाड़ा, शाहपुरा	79 करोड़ 19 लाख रुपये
7.	कपासन चौराहे से मानपुरा को जोड़ने वाली सड़क पर High Level Bridge-चित्तौड़गढ़	56 करोड़ रुपये
8.	करौली-हिण्डान सड़क स्टेट हाईवे 22 पर 4 लेन उच्चस्तरीय पुल एवं करौली में बाईपास निर्माण की डीपीआर-करौली	3 करोड़ रुपये
9.	जवाई पुल का जीर्णोद्धार कार्य- सिरोही	20 करोड़ रुपये
10.	गोमती नदी पर बड़ावली सेमरी वाया निचला गुड़ा रोड, गोमती नदी पर सराडी गिंगला रोड एवं सरू नदी पर डेलाई रोड पर हाईलेवल ब्रिज-सलूमबर	20 करोड़ रुपये
11.	डेलवास में बेडच नदी पर नवीन पुलिया निर्माण-चित्तौड़गढ़	20 करोड़ रुपये

- प्रदेश में प्रथम बार 2 हजार 750 किलोमीटर से अधिक की लम्बाई के 9 Green Field Expressways का निर्माण चरणबद्ध रूप से किये जाने के लिए इस वर्ष 30 करोड़ रुपये की लागत से डीपीआर बनाई जाएगी। ये Expressways हैं-जयपुर-किशनगढ़-अजमेर-जोधपुर (350 किमी.), कोटपूतली-किशनगढ़ (181 किमी.); जयपुर-भीलवाड़ा (193 किमी.); बीकानेर-कोटपूतली (295 किमी.); ब्यावर-भरतपुर (342 किमी.); जालौर-झालावाड़ (402 किमी.); अजमेर-बांसवाड़ा (358 किमी.); जयपुर-फलौदी (345 किमी.) एवं श्रीगंगानगर-कोटपूतली (290 किमी.)।
- बिपरजॉय तूफान, अतिवृष्टि एवं समय पर रखरखाव की कमी के कारण क्षतिग्रस्त एक हजार 343 सड़कों एवं पुलियाओं की मरम्मत व जीर्णोद्धार करने के लिए 2 वर्षों में 644 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे।
- उपखण्ड, पंचायत समिति व तहसील मुख्यालय को जिला मुख्यालय से 2 लेन चौड़ी सड़क से जोड़ने का कार्य चरणबद्ध रूप से करवाया जायेगा। इस पर लगभग 306 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में प्रमुख सड़कों की मरम्मत एवं उन्नयन के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।



- जनगणना 2011 के आधार पर निर्धारित आबादी के एक हजार से अधिक राजस्व गांवों को डामर सड़क से कनेक्टिविटी उपलब्ध करवायी जाएगी।
- प्रदेश में सड़कों के विस्तार एवं सुदृढीकरण हेतु लगभग 2 हजार करोड़ रुपये की राशि से विभिन्न निम्नलिखित सड़क निर्माण कार्य 2 वर्षों में करवाए जाएंगे-

क्र.सं.	सड़कें	लागत
1.	हरनावदाशाहजी से छीपाबड़ी सड़क (23 किमी.) (छबड़ा-बारां)	40 करोड़ रुपये
2.	जायल उपखण्ड में विभिन्न सड़कों के निर्माण कार्य-नागौर	11 करोड़ रुपये
3.	भदेसर व चित्तौड़गढ़ बाईपास निर्माण	88 करोड़ 50 लाख रुपये
4.	राजनैता (MDR-228) संतोषी माता मंदिर से बीलवाड़ी (NH-248A) धौलीकोठी तक वाया प्रेमनगर, सितोपसिंहपुरा, कैमरिया, टोरडा ब्राह्मण, रघुनाथपुरा (तालुकाबास), खरबूजी, सुरजपुरा, लुहाकना खुर्द, लुहाकना कलां (विराटनगर) - कोटपूतली बहरोड़ एवं NH52 (ज्ञानपुरा) से सीकर जिला सीमा वाया काकराना, राजनैता, रघुनाथपुरा, भैसलाना, सुजातनगर, मीरापुर फार्म, दांतिल, तालवा रोड, सिरसोडी सीकर सीमा तक (MDR-228) (विराटनगर) कोटपूतली बहरोड़ (30 किमी.)	45 करोड़ रुपये
5.	नरिला से भोपालसागर वाया भीमगढ़-राशमी-हरनाथपुरा सड़क के शेष कार्य भीमगढ़ बाईपास व हरनाथपुरा बाईपास (कपासन)-चित्तौड़गढ़	22 करोड़ 40 लाख रुपये
6.	जमवारामगढ़ SH-55 से चौमुखा वाया पापड़ होते हुए बैनाड़ा मोड़/आगरा रोड तक सड़क निर्माण कार्य-जयपुर	30 करोड़ रुपये
7.	चाकसू पुराने नेशनल हाईवे-12 का मय डिवाइडर सुदृढीकरण एवं नवीनीकरण तथा कोटखावदा मोड़ से बाईपास एवं गरुड़वासी तिराहा से बाईपास निर्माण कार्य (21 किमी.)-जयपुर	38 करोड़ 52 लाख रुपये
8.	कपासन से दरिबा माईन्स वाया मालीखेड़ा-कानाखेड़ा-उसरोल-लुणेरा-कोटड़ी सड़क (30 किमी.)-चित्तौड़गढ़	50 करोड़ रुपये
9.	नगर में बाईपास निर्माण (7 किमी.)-डीग	60 करोड़ रुपये
10.	ढिगाल मुख्य बस स्टैण्ड से कुल्हरियों की ढाणी-रघुनाथपुरा सीमा, बीबासर सड़क से प्राथमिक स्कूल-भैरवाला जोहड़, माण्डासी-चौराड़ी, कुल्हरियों घर-राजपूतों की ढाणी, जांटवाली आम चौक-भीवसरी, बालाजी मंदिर, चुड़ी, घोड़ीवारा खुर्द-मोहबतसरी, सोटवारा सीमा, सेंसवास सीमा, रेलवे फाटक (27.35 किमी.) (नवलगढ़)-झुंझुनूं	8 करोड़ 30 लाख रुपये

11.	मुकुन्दगढ़ वार्ड नं.08/09-सीकर बॉर्डर, कसेरू सड़क-रेलवे प्लेटफार्म, नाईर्यों की फैक्टरी, गुंवारियों का मोहल्ला, चेजारों का मोहल्ला, इण्डलोद फाटक-माताजी की ढाणी, कुमावास मुख्य सड़क-कब्रिस्तान, दुदाना का बास-बजरंग दतुसलिया के घर, देवगाँव नुआं-डुमरा, बलरिया-नाहरसिंधानी, तोगड़ा कलां से शिशियां, डाबड़ी बलौदा (12.35 किमी.) (नवलगढ़)-झुंझुनूं	3 करोड़ 89 लाख रुपये
12.	ब्यावर रोड डीएवी हॉस्टल से आनासागर एस्केप चैनल तक आरसीसी नाला निर्माण कार्य (वाया रामगंज से गढ़ीमालियान)-अजमेर	11 करोड़ 50 लाख रुपये
13.	श्रीनगर रोड से टैम्पू स्टैण्ड तक जे.पी. नगर मुख्य सड़क की चौड़ाई बढ़ाकर सुदृढीकरण एवं नाली व फुटपाथ का कार्य-अजमेर	10 करोड़ रुपये
14.	खैराबाद से गोयन्दा सड़क के चौड़ाईकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य (7.50 किमी.) (रामगंजमण्डी)-कोटा	18 करोड़ 75 लाख रुपये
15.	खींवसर-महेशपुरा-कांटिया-आचीणा-देऊ गांव से दांतीणा सड़क (32 किमी.) (खींवसर)-नागौर	16 करोड़ रुपये
16.	जोरावरपुरा-गुड़िया-हमीराणा-आकला (15 किमी.) (खींवसर)-नागौर	7 करोड़ 50 लाख रुपये
17.	मोठियापुरा से जगर वाया हरिरामपुरा सड़क चौड़ाईकरण (17 किमी.)-करौली	22 करोड़ रुपये
18.	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-113 मुख्य सड़क से गांव महुड़िया-बागदरी तक सड़क निर्माण (5.20 किमी.) (निम्बाहेड़ा)-चित्तौड़गढ़	5 करोड़ रुपये
19.	सीकर रोड पर जैतपुरा से जयसिंहपुरा बाईपास निर्माण (16 किमी.) (चौमूं)-जयपुर	130 करोड़ रुपये
20.	दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस हाईवे से मालाखेड़ा तक (25 किमी.)-अलवर	18 करोड़ रुपये
21.	रावतसर के प्रेमनगर से थालडका तक सड़क (9 किमी.) (पीलीबंगा)-हनुमानगढ़	4 करोड़ 50 लाख रुपये
22.	पीलीबंगा से गोलूवाला वाया लोंगवाला-अयालकी सड़क (18 किमी.) (पीलीबंगा)-हनुमानगढ़	26 करोड़ 50 लाख रुपये
23.	SH-24 से NH-11AE वाया नांगल मोड़, देवली रोड (लालसोट बाईपास) नवीनीकरण एवं चौड़ाईकरण (6.1 किमी.)-दौसा	6 करोड़ 10 लाख रुपये



- बाड़मेर जिले में अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित मुख्य सड़कों से वंचित सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 34 सैनिक चौकियों तक सुगम पहुंच बनाने एवं सैनिकों की सुविधा के लिए चरणबद्ध रूप से 48 करोड़ रुपये की लागत से सड़कों का निर्माण किया जायेगा। प्रथम चरण में, इस वर्ष 9 सैनिक चौकियों हेतु सड़क निर्माण का कार्य किया जायेगा।
- केन्द्र सरकार के बजट में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 4.0 के अन्तर्गत प्रदेश के 2 हजार 500 से अधिक ग्रामीण बसावटों को सड़क से जोड़ने के प्रावधान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद।
- प्रदेश में सड़कों के नेटवर्क को और अधिक सुदृढ़ करने के विभिन्न क्षेत्रों की जनता से विधायकगण एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों पर विस्तृत तकनीकी Estimates बनवाये जाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। इसी क्रम में एक हजार 100 करोड़ रुपये से अधिक की राशि से विभिन्न सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन कराया जाएगा। ये सड़कें हैं-

24.	हनुमानगढ़-पदमपुर सड़क (ग्राम बींझबायला) में सीसी सड़क मय नाली निर्माण कार्य (2 किमी.)	7 करोड़ रुपये
25.	बांदीकुई बाईपास निर्माण कार्य नन्देरा SH-78 से अनन्तवाडा, भाण्डेडा सीमा-दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेस वे होते हुए कांच की ढाणी SH-25 (सिकन्दरा-अलवर मेगा हाईवे) पीचूपाडा तक सड़क-दौसा (8 किमी.)	25 करोड़ रुपये
26.	आगरा फाटक-सैनी स्कूल सरस्वती शिक्षा निकेतन से पंचमुखी रेलवे फाटक तक वाया झालानी बगीची (शहरी सड़क) (4 किमी.)-दौसा	6 करोड़ 50 लाख रुपये
27.	रूदावल से बंशी पहाड़पुर (8.60 किमी.) (बयाना)-भरतपुर	10 करोड़ रुपये
28.	नसीराबाद-सरवाड-केकड़ी-देवली सड़क को 4 लेन बनाना (96 किमी.)-अजमेर, केकड़ी, टोंक	650 करोड़ रुपये
29.	कुशतला-सवाई माधोपुर सड़क का चौड़ाईकरण (8 किमी.)	90 करोड़ रुपये
30.	निम्बाहेड़ा से मंगलवाड फोर लेन सड़क निर्माण कार्य (41 किमी.) (निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़)	325 करोड़ रुपये
31.	देवली को बीसलपुर व टोडारायसिंह होते हुए जयपुर को जोड़ने वाली सड़क पर बनास नदी पर पुलिया निर्माण-टोंक	147 करोड़ रुपये
32.	फतेहपुर से गेडियाबड़ा से ठेड़ी लावंडा ताखलसर -रामगढ़ (21 किमी.) (फतेहपुर)-सीकर	16 करोड़ 80 लाख रुपये
33.	देवरी क्षेत्र की सड़कों का डामरीकरण (7 किमी.) (किशनगंज)-बारां	10 करोड़ रुपये
34.	श्रीमाधोपुर-नीमकाथाना की विभिन्न नॉनपेचेबल सड़कों का नवीनीकरण	7 करोड़ रुपये
35.	अमरपुरा चौराहे से बांसी होते हुए जिला सीमा तक (12 किमी.)-चित्तौड़गढ़	10 करोड़ रुपये
36.	मीठियावास-टपूकड़ा से जनकसिंहपुरा (नीमराणा) (भिवाड़ी-नीमराणा लिंक रोड) की DPR (खैरथल तिजारा)	10 करोड़ रुपये
37.	आदर्श बस्ती नांद सड़क से बिशाला आगौर सरहद तक (5 किमी.)-बाड़मेर	2 करोड़ रुपये
38.	सोनड़ी रोड से पुरसिंहपुरा (बिशाला तक) (5 किमी.)-बाड़मेर	2 करोड़ रुपये

क्र.सं.	सड़कें	लागत
1.	कोटा-झालावाड़ NH पर दरा घाटी में रेलवे 2 साइड RUB का निर्माण	15 करोड़ रुपये
2.	NH नमाना रोड से वाया गादेगाल अंधेड़ होते हुए नमाना तक सड़क (9 किमी.)-बूंदी	7 करोड़ 20 लाख रुपये
3.	ठिकरियाकला में नदी पर पुलिया निर्माण (तालेड़ा)-बूंदी	4 करोड़ रुपये
4.	मण्डावरा से झोटोली-सुल्तानपुर तक सड़क निर्माण (6 किमी.) (पीपल्दा)-कोटा	5 करोड़ रुपये
5.	आजनेश्वर महादेव मंदिर से जगदीश तक सड़क चौड़ाईकरण कार्य (11.50 किमी.) (भीम)-राजसमंद	17 करोड़ 25 लाख रुपये
6.	घाटोली से केलकोयरा सड़क के मध्य धारगंगा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कार्य (मनोहरथाना)-झालावाड़	29 करोड़ 69 लाख रुपये
7.	कचनारी गोवर्धनपुरा से गोपालपुरा सड़क (4.50किमी.) (मनोहरथाना)-झालावाड़	5 करोड़ रुपये
8.	रोटेदा से सोगरिया रोड पर रेलवे फाटक पर ROB का निर्माण (लाडपुरा)-कोटा	55 करोड़ रुपये
9.	छायण से टेकरा एवं छायण से फलोदी तक सड़क निर्माण-फलोदी	12 करोड़ 40 लाख रुपये
10.	उनियारा खुर्द से किशनपुरा वाया झाडली मनोहरपुरा जिला सीमा तक (ओ.डी.आर.-302) माईनिंग रोड (11.20 किमी.)-टोंक	25 करोड़ 76 लाख रुपये
11.	हनुमानजी का बाडिया से केरू तक सड़क (15 किमी) (लूणी)-जोधपुर	20 करोड़ रुपये
12.	धवा से दुन्दाड़ा सड़क (17 किमी.) (लूणी)-जोधपुर	13 करोड़ रुपये
13.	लूणी से दान्दिया तक सड़क (2 किमी.) (लूणी)-जोधपुर	2 करोड़ रुपये
14.	कोटा-कैथून-सांगोद-बपावर-कवाई-धरनावाडा सड़क का चौड़ाईकरण कर दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस-वे के जंक्शन (बालापुरा) पर जोड़ते हुए बपावर-सांगोद-कैथून में बाईपास निर्माण की DPR	2 करोड़ रुपये
15.	होडापुरा, हरियानगर, सेमलीफाटक व करवरी कला में पुलिया निर्माण कार्य (किशनगंज)-बारां	22 करोड़ रुपये
16.	नोटाना (किशनपुरा) तकिया की पुलिया का निर्माण (लाडपुरा)-कोटा	30 लाख रुपये

17.	(MDR) 50 से नयाबास वाया खेड़ा, श्यामपुरा, रसनाली, बासदयाल, बास शेखावत तक सड़क (19.5 किमी.) (बानसूर)-अलवर	25 करोड़ रुपये
18.	ढौढी-बालाजी की थाक-पाचडा-थोरी-भौरा-सुल्तानपुर निमोदा उजाड़ सड़क का उन्नयन(MDR-252)	55 करोड़ रुपये
19.	श्रीगंगानगर-हिन्दुमलकोट सड़क का चौड़ाईकरण एवं सुदृढीकरण कार्य (4 किमी.)	4 करोड़ 31 लाख रुपये
20.	सांगानेर-जयपुर में विभिन्न सड़क कार्य	20 करोड़ रुपये
21.	उदयपुर सिटी स्टेशन से कलक्टर निवास तक Elevated Road का कार्य	210 करोड़ रुपये
22.	बीसलपुर रिहैब कॉलोनी टाटोनिया में सड़क निर्माण-टोंक	50 करोड़ रुपये
23.	नदबई-भरतपुर में विभिन्न सड़क कार्य	18 करोड़ रुपये
24.	अटारी से गगवाना; पिगोरा से गगवाना सीसी सड़क (6.5 किमी.) (नदबई)-भरतपुर	3 करोड़ 60 लाख रुपये
25.	2 लेन बायपास बागावास (MDR-81) सड़क फ्रेट टर्मिनल बधाल (किशनगढ़ रेनवाल)-जयपुर	10 करोड़ रुपये
26.	चौरासी क्षेत्र की विभिन्न सड़कों के कार्य-डूंगरपुर	24 करोड़ रुपये
27.	झुंझुनू क्षेत्र में विभिन्न सड़कों के कार्य	26 करोड़ रुपये
28.	सवाई माधोपुर क्षेत्र में विभिन्न सड़कों के कार्य	22 करोड़ रुपये
29.	महवा-दौसा क्षेत्र की शहरी एवं ग्रामीण सड़कों के कार्य	20 करोड़ रुपये
30.	दौसा क्षेत्र में विभिन्न सड़कों के कार्य	24 करोड़ रुपये
31.	खींवसर क्षेत्र में विभिन्न सड़कों के कार्य-नागौर	18 करोड़ रुपये
32.	सांगोद-कोटा में विभिन्न नालों का निर्माण कार्य	2 करोड़ 76 लाख रुपये
33.	केनपुरा से शिवपुरा वाया लाम्बेश्वर महादेव (सुमेरपुर)-पाली	1 करोड़ 70 लाख रुपये
34.	खटुकड़ा से नादाना भाटान तक सड़क निर्माण-(सुमेरपुर)-पाली	2 करोड़ 8 लाख रुपये
35.	NH-52 से अल्फा नगर बरधा डेम तक सड़क निर्माण (9 किमी.)-बूंदी	7 करोड़ 20 लाख रुपये
36.	सलेमपुर से बालोती-डाबरा-शेखपुरा-गोठरा-बरवासन देवी-नरौली-कैलादेवी सड़कमय हाईलेवलब्रिज (30 किमी.)-करौली	60 करोड़ रुपये
37.	नापासर से रामसर सड़क का उन्नयन व चौड़ाईकरण (10 किमी.) (लूणकरणसर)-बीकानेर	6 करोड़ 75 लाख रुपये
38.	देवली-उनियारा क्षेत्र की विभिन्न सड़कों के निर्माण कार्य-टोंक	19 करोड़ रुपये
39.	मालासर से आसलसर (6 किमी.), राजासर पंवारान से सोनपालसर (7 किमी.), गिडगिचिया से हरियासर घड़सोतान (4 किमी.) (सरदारशहर)-धूरू	6 करोड़ रुपये
40.	पीपलखूंट से केलामेला सड़क का चौड़ाईकरण	18 करोड़ रुपये
41.	उम्मेदगंज से डाढ़ देवी तक सीसी रोड (5 किमी.) (लाडपुरा)-कोटा	3 करोड़ 50 लाख रुपये
42.	भावठडी से हरियाणा बॉर्डर वाया देवी के मंदिर होकर (3 किमी.) (सूरजगढ़)-झुंझुनू	1 करोड़ 20 लाख रुपये
43.	बीकानेर शहर की सड़कों का मरम्मत कार्य	8 करोड़ रुपये
44.	निवाई से बनवाड़ा वाया खणदेवत-डांगरथल-रम्भा-रामकिशनपुरा-जयकिशनपुरा सड़क का चौड़ाईकरण एवं सुदृढीकरण (25.7 किमी.)-टोंक	22 करोड़ रुपये
45.	डग-झालावाड़ में एमडीआर सड़क का चौड़ाईकरण कार्य	7 करोड़ रुपये

46.	राजकीय चिकित्सालय देवली से कुचलवाड़ा माताजी मंदिर तक सड़क का चौड़ाईकरण मय नाला व डिवाइडर सीसी सड़क का निर्माण (4 किमी.) (जहाजपुर)-शाहपुरा	15 करोड़ रुपये
47.	चांदगोली-ऐदलकी-खिरजी कांकड़ तथा मलारनाचीक जीएसएस से गोपी मीणा की ढाणी होते हुए श्रीपुरा तक सड़क (10 किमी.)-सवाई माधोपुर	5 करोड़ रुपये
48.	मिसिंग लिंक ग्रामीण बाईपास रोड लेदिया मोड (गैरई रोड)-गोकलपुर मोड (सपोटरा रोड)-बालाजी घाटी (गंगापुर रोड NH-23) तक (4.5 किमी.)-करौली	3 करोड़ 45 लाख रुपये
49.	(SH-134) त्रिवेणी चौराहा-जहाजपुर देवली रोड का उन्नयन कार्य (18 किमी.)-शाहपुरा	30 करोड़ रुपये
50.	तखगढ़ में मुख्य सड़क का नवीनीकरण, फुटपाथ एवं नाला निर्माण कार्य-पाली	12 करोड़ 34 लाख रुपये
51.	सरसिया से भुंवार सड़क का चौड़ाईकरण व सुदृढीकरण (7.5 किमी.) (जहाजपुर)-शाहपुरा	11 करोड़ रुपये
52.	धरियावद में विभिन्न सड़कों के निर्माण कार्य-प्रतापगढ़	7 करोड़ रुपये
53.	आगरा रोड-जयपुर की कॉलोनियों में सड़क निर्माण सम्बन्धी कार्य (25 किमी.)	12 करोड़ रुपये
54.	बरलुट-सियाणा-आकोली-नुन-बाकरा-रेवतड़ा (MDR-334) तक (8 किमी.)-जालोर	8 करोड़ रुपये
55.	बिशनगढ़ बालवाड़ा काठाड़ी सीमा तक सड़क नवीनीकरण (9 किमी.)-जालोर	2 करोड़ 50 लाख रुपये
56.	आहोर से सनवाड़ा-चरली; देबावास से सराणा-आईपुरा; तथा गुड़ा इन्द्रपुरा से गोगरा तक सड़क निर्माण कार्य (21 किमी.) (आहोर)-जालोर	8 करोड़ 40 लाख रुपये
57.	भिवाड़ी सड़क (SH-25) पर टोल नाके की शिफ्टिंग	Toll Tenure के आधार पर
58.	अटरू-बारां में बाईपास निर्माण की DPR	10 लाख रुपये
59.	अलवर के आस-पास ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न सड़कों के निर्माण	5 करोड़ 4 लाख रुपये
60.	छबड़ा-कुम्भराज सड़क का चौड़ाईकरण एवं सुदृढीकरण कार्य (30 किमी.)-बारां	42 करोड़ रुपये
61.	पनोता-सिवाड़ा-सिवास-धेनडी-पिलोवनी भादरलाऊ से सोमेसर सड़क मय पुल (मारवाड़ जंक्शन)-पाली	46 करोड़ रुपये
62.	दोरासर से सैनिक स्कूल-झुंझुनू तक सड़क (2.5 किमी.)-झुंझुनू	3 करोड़ 4 लाख रुपये
63.	हरियानगर की पुलिया एवं हरियानगर गांव तक सड़क निर्माण (किशनगंज)-बारां	2 करोड़ 25 लाख रुपये
64.	इन्द्रपुरा से गोगरा तक सड़क निर्माण (6 किमी.) (आहोर)-जालोर	2 करोड़ 40 लाख रुपये
65.	सामोल से आत्मा तक सड़क चौड़ाईकरण (3 किमी.)-राजसमंद	3 करोड़ रुपये
66.	जेके स्कूल एमडी से नहर होते हुए भट्टखेड़ा मुख्य सड़क चौड़ाईकरण (2.20 किमी.)-राजसमंद	2 करोड़ 50 लाख रुपये

- ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को भी शहरी क्षेत्रों के समकक्ष सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए सतत प्रयास किये जायेंगे। इसी कड़ी में, प्रथम चरण के रूप में 10 हजार से अधिक आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में Cement Concrete के 'अटल प्रगति पथ' निर्मित किये जाएंगे। इस हेतु 2 वर्षों में एक हजार करोड़ रुपये व्यय होंगे।

- बड़े शहरों में सार्वजनिक परिवहन की सुविधा के उन्नयन के लिए 500 e-Buses की पूर्व घोषणा को बढ़ाकर प्रदेश में शहरी क्षेत्रों के लिए एक हजार e-Buses उपलब्ध करवायी जाएगी।



क्षेत्रीय विकास एवं नागरिक सुविधायें

- हमारा देश प्राचीन काल से ही सिविक प्लानिंग के लिए जाना जाता रहा है। चाहे सिंधु घाटी सभ्यता व हड़प्पा या मोहनजोदड़ो की प्लानिंग का उदाहरण लें या फिर विद्याधर भट्टाचार्य, मिर्जा इस्माइल द्वारा जयपुर की योजना का, राज्य सरकार इनसे प्रेरणा लेकर शहरी, ग्रामीण व क्षेत्रीय विकास के लिए कटिबद्ध हैं।
- शहरों के साथ ही पेरि-अर्बन क्षेत्रों के सुनियोजित विकास को सुनिश्चित करने की दृष्टि से “राजस्थान रीजनल एण्ड अर्बन प्लानिंग बिल-2024” लाया जाएगा।
- राजस्थान जैसे वृहद् एवं विविधता से परिपूर्ण प्रदेश में विभिन्न जिलों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं के प्रभावी निस्तारण एवं क्रियान्वयन के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान कर ‘डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना’ प्रारम्भ की जाएगी। योजना में जन सहभागिता के कार्य प्राथमिकता से करवाने हेतु जिला स्तर पर विशेषज्ञों की मिशन टीम गठित होगी।
- प्रदेश में जिला स्तर के एवं अन्य चयनित शहरी निकायों में वाई-फाई अनेबलड लाइब्रेरी एण्ड को-वर्किंग स्टेशन्स की स्थापना लगभग 150 करोड़ रुपये की लागत से की जाएगी।
- प्रदेश के नगर निकायों को स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुन्दर बनाये जाने के दृष्टिगत 2 वर्षों (2024-25 व 2025-26) में चरणबद्ध रूप से
 - विभिन्न नगरीय निकायों में बिजली की लाइनों को भूमिगत करने के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान होगा। साथ ही, चरणबद्ध रूप से प्रत्येक नगरीय निकाय में 65 करोड़ रुपये की लागत से फायर ब्रिगेड उपलब्ध करवायी जायेंगी।
 - ठोस कचरे के प्रबन्धन हेतु 71 नगरीय निकायों में प्रोसेसिंग प्लांट्स, 86 नगरीय निकायों में मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी केन्द्रों का निर्माण तथा 131 नगरीय निकायों में पुराने कचरे के निस्तारण की समुचित व्यवस्था की जायेगी। इन पर लगभग 650 करोड़ रुपये व्यय होंगे।
 - कचरा संग्रहण व परिवहन से निस्तारण तक की व्यवस्था को प्रभावी बनाने हेतु आईटी तकनीक जैसे- व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम्स एवं रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस का उपयोग करने के साथ-साथ नगर निगमों में संचालित इंटरमीडिएट ट्रांसफर स्टेशन्स को मैकेनाइज्ड एवं ऑटोमेटेड कराया जायेगा। इस पर 135 करोड़ रुपये व्यय होंगे।
 - साथ ही, विभिन्न शहरों में ड्रेनेज, जल संरक्षण, जन सुविधा व सामुदायिक कार्य तथा अल्प आय वर्ग के लिए आवास निर्माण सम्बन्धी कार्य लगभग एक हजार 300 करोड़ रुपये की लागत से करवाये जायेंगे।



क्र.सं.	कार्य का विवरण	लागत
1.	अजमेर में नसीराबाद रोड से अर्जुनलाल सेठ नगर योजना तक आरसीसी नाला एवं सड़क निर्माण	3 करोड़ 90 लाख रुपये
2.	अजमेर शहर में वर्षा जल निकासी व्यवस्था में सुधार के कार्य	44 करोड़ रुपये
3.	श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ रोड पर नाला निर्माण	3 करोड़ रुपये
4.	श्रीगंगानगर में हनुमानगढ़ रोड पर नाला निर्माण	6 करोड़ 70 लाख रुपये
5.	बीकानेर शहर में एकत्रित होने वाले गन्दे पानी के स्थायी समाधान का कार्य	100 करोड़ रुपये
6.	श्रीमाधोपुर में सीवरेज प्रोजेक्ट फेज 2 का कार्य	50 करोड़ 93 लाख रुपये
7.	विद्याधर नगर-जयपुर में जल भराव की समस्या का निस्तारण कार्य के साथ ही, मुरलीपुरा एवं विद्याधर नगर में सीवरेज कार्य	70 करोड़ रुपये
8.	30 नगरीय निकायों में जल भराव वाले क्षेत्रों में drainage एवं grey water treatment सम्बन्धी कार्य	125 करोड़ रुपये
9.	बहरोड़ में सीवरेज कार्य	25 करोड़ रुपये
10.	जालौर शहर में सीवरेज कार्य	25 करोड़ रुपये
11.	श्रीदुर्गरगढ़-बीकानेर, पोकरण-जैसलमेर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट	50 करोड़ रुपये
12.	मुकुन्दगढ़ (नवलगढ़)-झुंझुनूं में गंदे पानी की निकासी हेतु ड्रेनेज प्रोजेक्ट	10 करोड़ रुपये
13.	भीम-राजसमंद में ड्रेनेज सिस्टम एवं रोड लाइट आदि का कार्य	10 करोड़ रुपये
14.	मानसरोवर झील-भीलवाड़ा के विकास का कार्य	12 करोड़ रुपये
15.	गिराज कैनाल-भरतपुर का पुनरुद्धार एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य तथा सुजानगंगा के revival हेतु DPR का कार्य	45 करोड़ रुपये
16.	परतापुर (गढ़ी)-बांसवाड़ा में सतौरी नदी पर रपट निर्माण, सौन्दर्यीकरण, सुरक्षा दीवार आदि कार्य	4 करोड़ रुपये
17.	जयपुर में पैदल यात्रियों हेतु फुटपाथ एवं चौराहों पर जेब्रा क्रॉसिंग का कार्य	25 करोड़ रुपये
18.	सवाई माधोपुर कुतलपुरा आवासीय योजना में सड़क/पार्क /सामुदायिक भवन आदि का निर्माण।	3 करोड़ रुपये
19.	आर.सी. व्यास योजना-भीलवाड़ा में कन्वेंशन सेंटर का निर्माण	9 करोड़ रुपये

20.	नेहरू गार्डन, फतेहसागर-उदयपुर का सौन्दर्यीकरण एवं संचालन का कार्य	15 करोड़ रुपये
21.	महला आवासीय योजना-जयपुर में 365 आवासों का निर्माण	39 करोड़ 1 लाख रुपये
22.	एनआरआई योजना-सेक्टर-28, प्रतापनगर, सांगानेर-जयपुर में आरएचबी ग्रीनवुड में 164 विला एवं 132 शॉपिंग आर्किड का निर्माण	231 करोड़ 85 लाख रुपये
23.	बरली आवासीय योजना फेज-5-जोधपुर में 1 हजार 41 आवासों का निर्माण	218 करोड़ 88 लाख रुपये
24.	नई आवासीय योजना-हनुमानगढ़ में 564 आवासों का निर्माण	85 करोड़ 60 लाख रुपये
25.	ताऊसर रोड योजना-नागौर में 106 आवासों का निर्माण	16 करोड़ 6 लाख रुपये
26.	देवली (गोवर्धन विलास) योजना फेज-1-उदयपुर में 212 आवासों का निर्माण	29 करोड़ 3 लाख रुपये
27.	किशनबाग-जयपुर में द्रव्यवती नदी पर पुलिया निर्माण	5 करोड़ रुपये
28.	लाखेरी योजना-बूंदी में 195 आवासों का निर्माण	35 करोड़ 11 लाख रुपये



- प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों के बाजारों एवं सार्वजनिक स्थानों में महिलाओं के लिए चरणबद्ध रूप से बायो, पिक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स स्थापित कराये जाएंगे। प्रथम चरण में, नगर निगम व नगर परिषद क्षेत्रों में 67 टॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनाये जायेंगे। इस हेतु लगभग 14 करोड़ रुपये का व्यय होगा।
- प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन तंत्र के माध्यम से आमजन को सस्ती, सुरक्षित एवं आधुनिकतम यातायात सुविधा सुलभ कराने हेतु-
 - I. राजस्थान रोडवेज द्वारा 2 वर्षों में 500 बसें क्रय करने के साथ ही 800 और बसें सर्विस मॉडल पर ली जाएंगी। इसके अन्तर्गत 300 इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल की जायेंगी।
 - II. प्रदेश में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भी यात्रियों की सुविधा के लिए लोक परिवहन सेवा प्रारम्भ की जायेगी।
 - III. प्रदेश में यात्रियों की सुविधा एवं रोडवेज की कार्य कुशलता बढ़ाने की दृष्टि से अजमेर, भरतपुर, दूदू, कोटा एवं उदयपुर सहित 10 जिला

मुख्यालयों पर आधुनिकतम सुविधायुक्त बस पोटर्स, स्टैण्ड्स बनाए जाएंगे। साथ ही, विभिन्न बस स्टैण्ड्स, डिपो एवं वर्कशॉप्स की मरम्मत, रखरखाव एवं जन सुविधा के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

IV. बहरोड़; कामां-डीग; रूपवास-भरतपुर; बायतू-बालोतरा; श्रीदुंगरगढ़-बीकानेर; महा-दौसा; सपोटरा-करौली; मनोहर थाना-झालावाड़; धोद, खण्डेला-सीकर एवं पिंडवाडा-सिरोही में बस स्टैण्ड सम्बन्धी विकास कार्य करवाये जायेंगे।

V. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की प्रशासनिक एवं संचालन व्यवस्था को बेहतर करने हेतु एक हजार 650 कार्मिकों की भर्ती की जायेगी।

• शहरी ट्रांसपोर्ट सेवाओं के विस्तार एवं सुदृढीकरण के लिए-

I. जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर, कोटा एवं बीकानेर जैसे प्रमुख शहरों में नगरीय परिवहन के लिए चरणबद्ध रूप से जीसीसी मॉडल आधारित 300 इलेक्ट्रिक बसें क्रय की जायेंगी। साथ ही, ई-बसों के सुगम संचालन हेतु 25 करोड़ रुपये व्यय कर मॉडर्न शैल्टर कम चार्जिंग स्टेशन स्थापित किये जायेंगे।

II. जयपुर मेट्रो का विस्तार करने के लिए जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को केन्द्र सरकार के साथ ज्वाइंट वेंचर में परिवर्तित कर कार्य को गति दी जायेगी। साथ ही सार्वजनिक परिवहन की सुविधा बढ़ाने के लिए आवश्यकतानुसार एलिवेटेड रोड का भी प्रावधान किया जायेगा।

• पूर्वी राजस्थान के दूरस्थ क्षेत्रों के क्षेत्रीय विकास के लिए बृज क्षेत्रीय विकास योजना प्रारम्भ की जाएगी। साथ ही, डांग, मगरा, मेवात एवं बृज क्षेत्रीय विकास योजनाओं हेतु इस वर्ष 50-50 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जाएंगे।

• भिवाड़ी के सुनियोजित विकास के लिए मास्टर ड्रेनेज प्लान तैयार किया जाकर तथा अजमेर शहर में आनासागर के पास के क्षेत्र में नालों एवं ड्रेनेज ड्रेनेज सम्बन्धी कार्य हाथ में लिये जायेंगे।

• खींसर-नागौर, डीग व शाहपुरा में रोडवेज बस स्टैण्ड सम्बन्धी कार्य करवाये जायेंगे।

• प्रदेश के बड़े शहरों के विकास को गति देने हेतु बीकानेर एवं भरतपुर में UIA (Urban Improvement Trust) का उन्नयन कर Development Authority का गठन किया जाएगा। समस्त नगरीय निकायों में जन सुविधा के कार्य समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण रूप से सम्पादित हो सकें, इसलिए जिला स्तर पर जिला नगरीय आयुक्त (District Municipal Commissioner) भी नियुक्त किये जाएंगे।

• जयपुर के सौन्दर्यीकरण के साथ ही, Water Conservation को बढ़ाने हेतु द्रव्यवती नदी का विकास किये जाने के लिए नवीन योजना बनाकर कार्यवाही की जाएगी।

• दस हजार से अधिक आबादी वाले कस्बों व आस-पास के गांवों को सम्मिलित करते हुए चरणबद्ध रूप से 100 कलस्टर्स में Faecal Sludge Management के कार्य करवाये जायेंगे।

- प्रदेश में सीवरेज एवं ट्रेनेज सम्बन्धी विभिन्न कार्य करवाये जायेंगे। ये कार्य हैं:-

क्र.सं.	सीवरेज सम्बन्धी कार्य	लागत
1.	सूरजगढ़-झुंझुनूं में सीवरेज लाइन का कार्य	20 करोड़ रुपये
2.	सांगोद-कोटा में सीवरेज लाइन का कार्य	20 करोड़ रुपये
3.	चेचट एवं खैराबाद कस्बे में क्षतिग्रस्त नालों की सफाई एवं पुनर्निर्माण का कार्य (रामगंजमंडी)-कोटा	3 करोड़ रुपये
4.	दौसा शहर में सीवरेज मास्टर प्लान	50 करोड़ रुपये



औद्योगिक विकास

- औद्योगिकीकरण आर्थिक उन्नति एवं सामाजिक उत्थान की कुंजी है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में इसी भावना से-
 - ईज ऑफ़ इंडिंग बिजनेस एवं सस्टेनिबिलिटी आधारित “इंडस्ट्रीयल पॉलिसी-2024” लाई जायेगी। इस नीति के माध्यम से थीम आधारित इंडस्ट्रीयल पार्क की स्थापना व हैसल फ्री गुड ट्रांसपोर्टेशन उपलब्ध कराने के साथ ही रिसर्च एव डवलपमेंट तथा ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जायेगा। साथ ही, प्रदेश से निर्यात बढ़ाने के लिए “एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी” भी लायी जाएगी।
 - प्रदेश में टेक्सटाइल सम्बन्धित उद्योग को और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पृथक “गारमेंट एण्ड अपैरेल पॉलिसी” लायी जाएगी।
 - लॉजिस्टिक ईको-सिस्टम विकसित करने तथा सफ़लाई चैन सिस्टम को लचीला बनाने के लिए राजस्थान वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक पॉलिसी लायी जाएगी।
 - इस वर्ष होने वाले इन्वेस्टर समिट के साथ ही नॉन-रेजीडेंट राजस्थानी कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा। साथ ही, विश्व के प्रमुख शहरों में चरणबद्ध तरीके से राजस्थान फाउण्डेशन के नये चैप्टर शुरू किये जायेंगे।
 - पचपदरा रिफाइनरी-बालोतरा से निकलने वाले डाउनस्ट्रीम प्रॉडक्ट्स आधारित उद्योगों हेतु बालोतरा में राजस्थान पेट्रो जोन की स्थापना की जाएगी। साथ ही, प्रदेश में डिफेन्स मेन्यूफैक्चरिंग हब भी स्थापना होगा।
 - ग्लोबल कम्पनीज से निवेश आमंत्रित करने के लिए जयपुर में ‘अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लीकेशन सेंटर’ की स्थापना 200 करोड़ रुपये की लागत से की जायेगी। साथ ही, “डेटा सेंटर पॉलिसी” भी लायी जायेगी।
- प्रदेश में उद्यमियों एवं निवेशकों के लिए उत्कृष्ट औद्योगिक परिवेश तैयार करने हेतु विभिन्न स्थानों पर औद्योगिक पार्क, औद्योगिक क्षेत्र, स्टोन मंडियों की स्थापना सहित आधारभूत कार्य करवाये जायेंगे। ये कार्य हैं:-

क्र.सं.	औद्योगिक पार्क/ क्षेत्र/Stone मंडी एवं आधारभूत कार्य
1.	वरत्र नगरी-भीलवाड़ा में Textile Park; बीकानेर में Ceramic Park; बांदीकुई-दौसा के पास Industrial and Logistical Hub; कांकाणी/रोहट-पाली में Solar Panel Manufacturing Park; बांसवाड़ा में Biomass Pellet एवं Chemical Manufacturing Park; किशनगढ़-अजमेर में Tiles Manufacturing Park तथा जोधपुर में Handicraft Park
2.	धर्मपुरा-बाड़मेर, माल की तूस-उदयपुर, वरकाना-पाली एवं नैनवा-बूंदी में ‘श्रीराम जानकी औद्योगिक क्षेत्र’
3.	थोलाई (जमवारामगढ़)-जयपुर में स्थापित Integrated Resource Recovery Park की तर्ज पर प्रदेश में 2 और Waste Recycling Parks की स्थापना
4.	सौंखरी (कठूमर)-अलवर, करेडा (माण्डल)-भीलवाड़ा, पीपलूद (जहाजपुर) - शाहपुरा, जुरहरा (कामां)-डीग एवं भिण्डर-उदयपुर में औद्योगिक क्षेत्र
5.	जोधपुर-कांकाणी-रोहट-पाली-मारवाड़ क्षेत्र के ‘Marwar Industrial Cluster’ में चरणबद्ध रूप से 150 करोड़ रुपये की लागत से आधारभूत सुविधायें
6.	Western Dedicated Freight Corridor पर श्रीमाधोपुर, किशनगढ़, साखून, सराधना, हरिपुर, चांदवाल, मारवाड़ जंक्शन, जावली, बिरोलिया, केशवगंज, बनास एवं स्वरूपगंज के नवीन रेलवे स्टेशनों को 2-lane सड़क से जोड़ना, लगभग 110 करोड़ रुपये व्यय
7.	RIICO के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में 175 करोड़ (एक सौ पचहत्तर करोड़) रुपये की लागत से आधारभूत सुविधायें
8.	प्रदेश में Dimensional और सजावटी पत्थर यथा-मार्बल, Sandstone, Granite आदि से सम्बन्धित घरेलू और विदेशी उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए ब्यावर, कोटा, जालोर, राजसमंद व सिकन्दरा-दौसा में Stone मंडियों की स्थापना, वर्तमान Stone Clusters का भी उन्नयन, 125 करोड़ रुपये का प्रावधान

- प्रदेश का हर जिला विशिष्ट उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। जैसे राजसमन्द-टेराकोटा, बाड़मेर-ब्लॉक प्रिन्टिंग, कोटा-डोरिया साड़ी के लिए, जालोर-मोजड़ी जूती के लिए, पाली-मेहंदी के लिए, प्रतापगढ़-थेवा कला के लिए, जयपुर-जेम्स एवं ज्वेलरी, दौसा-दरियों के लिए तथा नागौर-हैण्ड टूल्स के लिए। स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने हेतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के ‘Vocal for Local’ के लिए की गई पहल के क्रम में-
 - राज्य के प्रत्येक जिले को एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए “राजस्थान-वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रॉडक्ट पॉलिसी-2024” लायी जाएगी। इसके क्रियान्वयन पर प्रतिवर्ष लगभग 100 करोड़ रुपये का भार आयेगा।
 - ऐसे उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदर्शनी एवं कार्यशाला, सेमिनार हेतु जयपुर में पीएम-यूनिटी मॉल 200 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किया जाएगा।
- राज्य के संतुलित, समावेशी तीव्र विकास के साथ रोजगार व निर्यात को बढ़ावा देने के लिए MSME Policy-2024 लायी जानी प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत-
 - प्रत्येक संभाग के MSME विकास व सुविधा केन्द्रों को IT enabled कर और अधिक सुविधायुक्त बनाया जायेगा।
 - राज्य के Handloom, Handicraft एवं MSME Sector के 50 clusters 3 वर्षों में विकसित किये जायेंगे। इस हेतु 150 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रथम चरण के रूप में इस वर्ष 15 clusters के लिए 45 करोड़ (पैंतालीस करोड़) रुपये व्यय किये जायेंगे।

III. Entrepreneurs को अपने उत्पाद देश-विदेश में Market करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने की दृष्टि से 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

- खादी एवं ग्रामोद्योग प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत चयनित खादी संस्थाओं, समितियों के साथ ही बुनकर संघ से जुड़े बुनकरों को भी ऋण एवं सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही, प्रदेश में माटी कला से जुड़े कलाकारों के उत्थान के लिए-

I. माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 5 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किया जाएगा।

II. कलाकारों को एक हजार इलेक्ट्रिक चाक एवं मिट्टी गूथने की मशीनें उपलब्ध करवायी जायेंगी।

- प्रदेश में उद्यमियों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से नवीन रिफ्स योजना लायी जायेगी। इसी के साथ उद्यमियों को समयबद्ध रूप से सहायता प्राप्त हो सके, इस हेतु रिफ्स फण्ड गठित कर आवश्यक प्रावधान किये जायेंगे।
- एमएसएमई उद्यमियों को कॉमन सैम्पलिंग एवं मॉनिटरिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चरणबद्ध रूप से संभाग मुख्यालयों सहित 20 स्थानों पर रीजनल लैबोरेट्रीज स्थापित की जाएंगी।
- राजस्थान वित्त निगम के वित्तीय सुदृढीकरण हेतु वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार एवं रीको द्वारा 50-50 करोड़ रुपये की अंशपूँजी का सहयोग प्रदान किया जाएगा।
- युवा उद्यमियों को वित्तीय सम्बल के साथ रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराने तथा औद्योगिक विकास की गति को तेज करने के लिए युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 6 प्रतिशत ब्याज पुनर्भरण हेतु ऋण की सीमा को बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये किया गया है।
- दस्तकारों को और अधिक संबल प्रदान करने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना के अन्तर्गत कारपेंटर, मूर्तिकार, कुम्हार, राजमिस्त्री सहित 18 ट्रेड्स के दस्तकारों को उपलब्ध कराये जा रहे 5 प्रतिशत की दर पर ऋण हेतु 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इस वर्ष एक लाख दस्तकारों को लाभान्वित कर लगभग 20 करोड़ रुपये का ब्याज अनुदान दिया जायेगा।
- खुशियारा-बारां व पण्डेर (जहाजपुर)-शाहपुरा में औद्योगिक पार्क एवं अजमेर में IT Park स्थापित किये जाएंगे।
- अप्रधान खनिज की processing से जुड़े हुए उद्योगों एवं उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके वार्षिक शुल्क को 25 हजार रुपये से घटाकर 15 हजार रुपये तथा Transit Pass हेतु निर्धारित शुल्क 10 रुपये प्रति Transit को घटाकर 2 रुपये प्रति Transit किया जा रहा है।
- उद्यमियों को paid sampling की सुविधा प्रदान करने के लिए बांसवाड़ा, बूंदी, हनुमानगढ़, झालावाड़, जयपुर, जैसलमेर, झुंझुनू, नागौर, राजसमंद, सवाई माधोपुर व सिरौही में Labs स्थापित की जायेंगी। साथ ही, सभी Labs को NABL से प्रमाणित कराया जायेगा।



पर्यटन, कला एवं संस्कृति

- राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में पर्यटन की प्रत्यक्ष और परोक्ष हिस्सेदारी कुल 5.6 प्रतिशत है एवं राज्य में लगभग 20 लाख परिवार पर्यटन क्षेत्र से किसी न किसी रूप में आय अथवा रोजगार की दृष्टि से जुड़े हुए हैं।



- प्रदेश में पर्यटन विकास को गति देने के लिए "नवीन पर्यटन नीति" लायी जाएगी। साथ ही, राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन करते हुए "राजस्थान ट्यूरिज्म इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड कैपेसिटी बिल्डिंग फण्ड (आरटीआईसीएफ)" बनाया जाकर, सरकार के इस कार्यकाल में 5 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कार्य करवाए जाएंगे। इस फण्ड के माध्यम से हैरिटेज ट्यूरिज्म, रिलीजियस ट्यूरिज्म, रूरल ट्यूरिज्म, ईको-ट्यूरिज्म एवं एडवेंचर ट्यूरिज्म के विकास, प्रदेश की ब्राण्डिंग तथा पर्यटकों की सुविधा सम्बन्धी कार्य किये जाएंगे।
- आरटीआईसीएफ के अन्तर्गत 2 वर्षों में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर एवं पुष्कर सहित 20 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न कार्य हाथ में लिये जाएंगे। इसके साथ ही-
 - प्रदेश के शौर्य व साहस के प्रतीक रहे किलों, स्मारकों तथा सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए "राजस्थान हेरिटेज कन्जर्वेशन एण्ड डवलपमेंट अथॉरिटी" बनाई जाएगी।
 - यूनेस्को हेरिटेज साइट-जयपुर के परकोटा क्षेत्र एवं स्मारकों के लिए जयपुर वॉल्ट सिटी हेरिटेज डवलपमेंट प्लान बनाकर 100 करोड़ रुपये के कार्य किए जाएंगे। इस क्षेत्र की विरासत को बनाये रखने के लिए आवश्यक बायलॉज भी अधिसूचित किये जायेंगे।
 - आमेर के मावठा एवं सागर के साथ ही, प्रदेश की विभिन्न बावड़ियों के पुनरुद्धार हेतु 20 करोड़ रुपये के कार्य किये जाएंगे।
 - चित्तौड़गढ़, आमेर-जयपुर आदि पर्यटन स्थलों पर संचालित लाइट एण्ड साउण्ड शोज का उन्नयन किया जायेगा।
 - वैर-भरतपुर के सफेद महल, प्रताप फुलवारी एवं प्रताप नहर सहित

“ प्रदेश की 8 करोड़ जनता का हमारी सरकार पर पूरा भरोसा है। इस भरोसे पर खरा उतरने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। संकल्प पत्र में किए गए प्रत्येक वादे को राज्य सरकार पूरा करेगी। ”

बजट हाईलाइट्स

राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन।

माटीकला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा।

राजस्थान रीजनल एण्ड अर्बन प्लानिंग बिल-2024 आएगा।

एमएसएमई पॉलिसी-2024 बनेगी।

पीएम यूनिटी मॉल का निर्माण होगा।

खाटूश्याम जी मंदिर धाम के विकास पर खर्च होंगे 100 करोड़ रुपये।





किले की मरम्मत एवं सौन्दर्यीकरण व भरतपुर किले के आस-पास क्षेत्र में सौन्दर्यीकरण एवं उन्नयन कार्य करवाये जायेंगे।

- VI. लैसर नॉन ट्यूरिज्म साइट, रामगढ़ क्रेटर साइट-बारां, सांभर झील क्षेत्र-जयपुर एवं झामरकोटड़ा व जावर-उदयपुर को विकसित करने पर लगभग 30 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। साथ ही, खाभा फोर्ट परिसर जैसलमेर में फॉसिल पार्क एवं ओपन रॉक्स म्यूजियम बनाये जायेंगे।
 - VII. वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में तेजी से उभर रहे प्रदेश के शहरों यथा- जयपुर, उदयपुर, जोधपुर एवं सवाई माधोपुर आदि के लिए ब्रांडिंग व इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के प्रॉजेक्ट्स हाथ में लिये जायेंगे।
 - VIII. प्रदेश में एमआईसीई(मीटिंग, इन्सेन्टिव्स, कॉन्फ्रेंसेस, एकनीबीशन्स) ट्यूरिज्म हेतु आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली के 'भारत मण्डपम्' की तर्ज पर जयपुर में 'राजस्थान मण्डपम्' बनाया जाएगा।
- राजस्थान रणथम्भौर, सरिस्का एवं घना जैसी प्रमुख वाइल्डलाइफ सेंचुरीज, रिजर्व्स के लिए तो सदैव से विश्व प्रसिद्ध है ही, किन्तु अब, लैपर्ड रिजर्व झालाना-जयपुर, जवाई-पाली आदि को भी ईको-ट्यूरिज्म सर्किट का भाग बनाने से पर्यटकों को विभिन्न फ्लोरा-फॉना से परिचित होने का अवसर मिलने के साथ ही दूरदराज के क्षेत्रों का विकास भी सम्भव होगा। इसी क्रम में-
- I. सांभर झील, खींचन कन्जर्वेशन रिजर्व, शेरगढ़ अभयारण्य, मनसा माता कन्जर्वेशन रिजर्व एवं बस्सी अभयारण्य को ईको-ट्यूरिज्म साइट के रूप में विकसित किया जायेगा।
 - II. जोगी महल-सवाई माधोपुर, आमर-जयगढ़-नाहरगढ़ किला -जयपुर, बिजासन माता (इंदरगढ़)-बूंदी, समई माता-बांसवाड़ा तथा छतरंग मोरी-

चित्तौड़गढ़ में रोप-वे सुविधा उपलब्ध कराने के लिए डीपीआर बनायी जाएगी।

- III. प्रदेश के संरक्षित वन क्षेत्रों में स्थित धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं और वन्यजीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रथम चरण में सरिस्का स्थित पांडूपोल और रणथम्भौर में त्रिनेत्र गणेश जी के लिए ईवी आधारित ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया जायेगा।
- यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने अयोध्या एवं काशी विश्वनाथ को श्रद्धालुओं की आस्था के अनुरूप भव्य बनाकर देश में एक नये उत्साह का संचार किया है। इसी तर्ज पर खाटूश्यामजी को भव्यता प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपये राशि का प्रावधान कर कार्य करवाये जाएंगे।
 - प्रदेश में विभिन्न त्योहारों जैसे-दीपावली, होली, शिवरात्रि एवं रामनवमी आदि पर लगभग 600 मंदिरों में विशेष साज-सज्जा व आरती के कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिन पर 13 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।
 - राज्य में मंदिरों के जीर्णोद्धार व धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न मंदिरों एवं धार्मिक स्थलों के विकास कार्य करवाये जायेंगे। ये कार्य हैं

क्र.सं.	मंदिरों/धार्मिक स्थलों के कार्य
1.	हल्देश्वर महादेव मंदिर, सिवाना-बालोतरा; कैलादेवी मंदिर (झील का बाड़ा) व गंगा मंदिर-भरतपुर; सालासर-चूरु; मेहंदीपुर बालाजी-दौसा; राजरणाछोड़ मंदिर-जोधपुर; माताजी मावलियान मंदिर, गणेश मंदिर व जमवाय माता मंदिर-जयपुर; डाढ़देवी मंदिर-कोटा; सोमनाथ महादेव मंदिर -पाली; गौतमेश्वर मंदिर (अरनोद)-प्रतापगढ़; करणी माताजी मंदिर व नीमच माताजी -उदयपुर; जीणमाता, शाकम्भरी-सीकर; मुरलीमनोहर मंदिर (द्वारिका)-गुजरात तथा राधामाधव मंदिर (जयपुर मंदिर) वृंदावन का विकास
2.	पुष्कर-अजमेर में ब्रह्मा मंदिर कोरिडोर व सरोवर परिक्रमा मार्ग, तीर्थराज लोहारगल (नवलगढ़)-झुंझुनू से बरखण्डी पर्वत तक Ropeway तथा चौबीस कोस परिक्रमा मार्ग, कृष्ण गमन पथ-बृज चौरासी परिक्रमा-डीग, रणछोड़राय खेड़ तीर्थ (पचपदरा)-बालोतरा तथा श्री महावीर जी-करीली में विभिन्न विकास कार्य
3.	धुधलेश्वर महादेव (गुड़ामालानी)-बाड़मेर, मथुराधीश जी मंदिर-कोटा, केशवराय मंदिर (केशोरायपाटन)-बूंदी, अम्बे माता मंदिर, सिंदरू (सुमेरपुर)-पाली, प्रेम सागर तालाब सवाई भोज मंदिर (आसीद)-भीलवाड़ा एवं कपिल सरोवर (कोलायत)-बीकानेर के सौन्दर्यीकरण व आधारभूत सुविधाओं के कार्य

- जनजाति आस्था केन्द्र सीताबाड़ी-बारां, कमलनाथ महादेव व जावर माता मंदिर-उदयपुर के प्रांगण एवं आसपास के स्थलों का समग्र विकास तथा यात्रियों के लिए सुविधायें विकसित की जायेंगी।
- इंगरपुर तथा बांसवाड़ा में क्रमशः इंगर बरंडा व बांसिया चारपोटा जनजातीय नायकों के स्मारकों का एवं उदयपुर में वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय का निर्माण किया जायेगा। इन पर 25 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। साथ ही, इंगरपुर में शिल्पग्राम बनाया जायेगा।
- लोक कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए रवीन्द्र रंगमंच, जवाहर कला केन्द्र-जयपुर, लोक कला मण्डल-उदयपुर एवं विभिन्न कला- संगीत-साहित्य-भाषा अकादमियों का उन्नयन लगभग 30 करोड़ रुपये व्यय कर किया जायेगा। साथ ही, राज्य अभिलेखागार-बीकानेर में स्थित लगभग 40

करोड़ हिस्टोरिकल स्क्रिप्स का चरणबद्ध रूप से डिजिटाइजेशन किया जायेगा।

- विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में दूर-दूर तक स्थित पर्यटन स्थलों तक सुगम पहुंच बनाने के लिए सिविल एविएशन के क्षेत्र में अपार संभावनायें हैं। इसे ध्यान में रखते हुए-

- यात्री सुविधा के लिए जयपुर अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की टर्मिनल कैपिसिटी 50 लाख से बढ़ाकर 70 लाख यात्री प्रतिवर्ष की जाएगी। जयपुर में नए स्टेट टर्मिनल का निर्माण भी किया जायेगा।
- औद्योगिक नगरी-कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का काम शुरू किया जायेगा।
- उदयपुर हवाई अड्डे के विकास एवं विस्तार तथा उत्तरलाई -बाड़मेर हवाई अड्डे पर स्थायी सिविल एन्वलेव व अप्रोच रोड के लिए भूमि निःशुल्क उपलब्ध करवायी जायेगी।
- श्रीगंगानगर एवं झालावाड़ हवाई अड्डों के उन्नयन, रिपेयर एवं रखरखाव के कार्य कराये जायेंगे।
- किशनगढ़-अजमेर तथा हमीरगढ़- भीलवाड़ा में फ्लाईंग ट्रेनिंग शुरू की जायेगी।

- भर्तृहरि धाम-अलवर, अर्बुदा माता एवं अचलेश्वर महादेव मंदिर-माउंट आबू, द्वारिकाधीश जी मंदिर-राजसमंद, नसियां जी विराटनगर-कोटपूतली बहरोड़, दिल्ली बाईपास स्थित तेग बहादुर साहिब गुरुद्वारा-जयपुर तथा बुड्डा जोहड़ गुरुद्वारा-अनूपगढ़ में श्रद्धालुओं की सुविधा एवं विकास कार्य करवाये जायेंगे।
- वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 15 हजार यात्रियों को द्वारा अयोध्या स्थित राममंदिर के दर्शन करवाये जायेंगे।
- देश के नवनिर्माण में हमारे महापुरुषों द्वारा दिये गये योगदान एवं उनके कार्यों को विद्यार्थियों तक पहुंचाने हेतु उनकी जीवनी को प्रकाशित कराया जायेगा। प्रथम चरण में स्वामी विवेकानन्द एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल के मोनोग्राफ्स प्रकाशित किये जायेंगे।
- प्रदेशवासियों की आस्था के केन्द्रों तथा पेनोरमा एवं बावड़ियों के विकास कार्य करवाये जाएंगे। ये आस्था केन्द्र व पेनोरमा हैं :-

क्र.सं.	आस्था केन्द्र/पेनोरमा/बावड़ी सम्बन्धी कार्य
1.	वीर हनुमान मंदिर (सामोद)-जयपुर, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर-दौसा, दधिमति माता मंदिर गोठ मांगलोद (जायल)-नागौर तथा दत्तात्रेय मंदिर (कुम्हेर)-डीग में विकास कार्य
2.	नीलकण्ठ महादेव-दौसा के लिए रोप-वे का निर्माण
3.	महेश्वर महादेव मंदिर-महंगी एवं दांत माता मंदिर (जमवारामगढ़)-जयपुर के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण सम्बन्धित कार्य
4.	विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री कोलायत जी एवं श्री करणी माता मंदिर (देशनोक)-बीकानेर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित
5.	पेनोरमा निर्माण कार्य- श्री महावीर जी पेनोरमा-करोली, श्री विद्यासागर जी महाराज पेनोरमा -अजमेर, श्री भक्त शिरोमणि करमा बाई पेनोरमा (कालवा)-

	डीडवाना कुचामन, श्री जसनाथजी पेनोरमा (कतरियासर)-बीकानेर, श्री खेमा बाबा पेनोरमा (बायत)-बालोतरा, श्री भामाशाह पेनोरमा-चित्तौड़गढ़, श्री राव चन्द्रसेन पेनोरमा-जोधपुर, गोविन्द स्वामी पेनोरमा (अटारी), श्री गोकुला जाट पेनोरमा, राजा खेमकरण पेनोरमा-भरतपुर, आदिवासी पेनोरमा-दौसा तथा जैसलमेर पेनोरमा-जैसलमेर के निर्माण कार्य
6.	बावड़ी जीर्णोद्धार कार्य- धूलारावजी बावड़ी एवं बोरा की बावड़ी (जमवारामगढ़)-जयपुर का जीर्णोद्धार कार्य

- राजस्थान के साहित्य विशेषकर राजस्थानी साहित्य की पहचान को और आगे ले जाने की दृष्टि से हर वर्ष 'विजयदान देथा साहित्य उत्सव' मनाया जाएगा।

वन एवं पर्यावरण

- माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी से अपेक्षा की है, "हमारी वर्तमान पीढ़ी के पास समृद्ध प्राकृतिक संपदा के ट्रस्टी के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी है, जिससे यह संपदा भविष्य की पीढ़ियों को उपलब्ध हो सके। यह विषय केवल जलवायु परिवर्तन का नहीं है, बल्कि यह जलवायु न्याय का है।"
- वर्ष 2023-24 के केन्द्र सरकार के बजट में अमृतकाल के लिए निर्धारित 7 प्राथमिकताओं (देश को अमृत काल में मार्गदर्शन देने वाले 'सप्तऋषि') में से एक "ग्रीन ग्रोथ" है। इसी क्रम में, सभी विकास योजनाओं में ग्रीन ग्रोथ के सिद्धान्त का समावेश करने तथा पर्यावरण संरक्षण के साथ ही प्रदेश को 'हरित-राजस्थान' के रूप में उन्नति के पथ पर अग्रसर करने की दृष्टि से आगामी वर्ष से राज्य का "ग्रीन बजट" भी प्रस्तुत किया जाएगा।
- राजस्थान को हरित प्रदेश के रूप में विकसित करने की दृष्टि से वर्ष 2028 तक, वन क्षेत्र में 20 हजार हेक्टेयर की वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस विश्व पर्यावरण दिवस से 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान की शुरुआत की थी। इसी दिशा में, इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वृक्षारोपण महाभियान के माध्यम से हर परिवार को जोड़ते हुए 7 करोड़ पौधे लगाने व पालने का लक्ष्य रखा गया है।
- इस क्रम को सतत् रखने के लिए मल्टी-सेक्टरल प्रोग्राम के रूप में मिशन 'हरयाळो-राजस्थान' प्रारम्भ किया गया है। इस मिशन के अन्तर्गत 5 वर्षों में लगभग 4 हजार करोड़ रुपये की राशि व्यय कर विभिन्न कार्य हाथ में लिये जायेंगे। ये कार्य हैं-





- I. प्रदेश में प्रतिवर्ष आवश्यक लगभग 10 करोड़ पौध तैयार करने के लिए 50 नई नर्सरियां स्थापित की जाएंगी, वर्तमान 540 से अधिक नर्सरियों का संवर्द्धन किया जाएगा एवं निजी क्षेत्र, पंचायत के अधीन नर्सरियों के लिए अनुदान की व्यवस्था भी की जायेगी।
- II. हर जिले में आमजन की सहभागिता से एक-एक 'मातृ वन' स्थापित किया जाएगा। साथ ही 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन स्पीशीज' कार्यक्रम लागू कर प्रत्येक जिले के लिए विशेष नस्ल की पौध वहां के पर्यावरण को देखते हुए तैयार की जायेगी।
- III. पौधों का समुचित पालन कर सर्वाइवल सुनिश्चित करने के लिए 2 हजार स्थानीय व्यक्तियों को इन्सेन्टिव के आधार पर 'वन मित्र' लगाया जायेगा तथा प्रत्येक क्षेत्र में इच्छुक रिटायर्ड कर्मचारी को गार्जियन के रूप में जिम्मेदारी दी जायेगी। साथ ही, इस दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों व संस्थाओं को सम्मानित भी किया जाएगा।
- IV. महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत पर्यावरण संरक्षण, चरागाह विकास तथा वृक्षारोपण के कार्य एक हजार 650 करोड़ रुपये की राशि व्यय कर करवाये जायेंगे।
- V. प्रदेश के विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में शुद्ध एवं स्वच्छ प्राण वायु के लिए अर्बन ग्रीन लॉन्स की महत्ता को ध्यान में रखते हुए जयपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा, भरतपुर, सीकर व उदयपुर के साथ ही विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में 175 करोड़ (एक सौ पचहत्तर करोड़) रुपये से अधिक की लागत से पौधारोपण तथा पार्क विकास के कार्य करवाये जायेंगे।
- VI. वन से होने वाले लाभ समस्त प्रदेश के साथ-साथ स्थानीय निवासियों को विशेषकर प्राप्त हो सकें, इस दृष्टि से "ज्वाइंट फोरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी" को सशक्त करते हुए 'वन-धन कार्यक्रम' को प्राथमिकता दी जायेगी। इसके साथ ही ब्लॉक स्तर तक वन उपज एवं सम्बन्धित उत्पादों के विक्रय के लिए मार्केटिंग हब्स विकसित किये जायेंगे। इस कार्य को गति देने के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा।
- VII. वन विभाग के कार्मिकों, "ज्वाइंट फोरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी" के सदस्यों सहित समस्त स्टेकहोल्डर्स की प्रबन्धकीय योग्यता बढ़ाने की दृष्टि से झालाना-जयपुर में 40 करोड़ रुपये की लागत से फोरेस्ट एण्ड

वाइल्डलाइस ट्रेनिंग कम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना की जायेगी।

VIII. वन संरक्षण के अन्तर्गत नवाचार के रूप में फोरेस्ट कार्बन क्रेडिट्स सर्टिफिकेशन मैकेनिज्म स्थापित किया जायेगा।

- राजस्थान देश में ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व में भी घना पक्षी अभयारण्य, टाइगर्स एवं लैपर्ड के साथ-साथ विभिन्न वन्यजीव प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। अतः प्रदेश की इस पहचान को और आगे ले जाने तथा वन्यजीवों के संरक्षण हेतु विभिन्न कार्य करवाये जायेंगे। ये कार्य हैं :-

क्र.सं.	कार्य का नाम/विवरण
1.	5 बाघ परियोजना क्षेत्रों में 20 करोड़ रुपये की राशि व्यय कर Tiger Habitat सुधार के कार्यों के साथ ही Anti-Poaching Infrastructure सुदृढ़ किया जायेगा।
2.	पक्षियों के साथ-साथ अन्य जीव-जन्तुओं के अवलोकन व अध्ययन के लिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (घना)-भरतपुर के निकट Zoological Park (Zoo) एवं Aquarium की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु इस वर्ष DPR बनाकर कार्य हाथ में लिया जायेगा।
3.	नाहरगढ़ जैविक उद्यान-जयपुर में पर्यटकों द्वारा पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु Walk in Aviary 20 करोड़ रुपये की लागत से विकसित की जायेगी।
4.	गोडावण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय मरू उद्यान-जैसलमेर में गजाई माता, चौहानी, सुदासरी एवं रामदेवरा में नए enclosures स्थापित करने के साथ ही enclosures में Predator Proof Fencing की जायेगी।
5.	अलवर में Biological Park की स्थापना 25 करोड़ रुपये की लागत से की जायेगी।
6.	गांधी सागर अभयारण्य एवं भैंसरोडगढ़ अभयारण्य-चित्तौड़गढ़ एवं चम्बल अभयारण्य को कूनो नेशनल पार्क से जोड़ते हुए चीते के विचरण हेतु corridor एवं सफारी बनाने के लिए मध्यप्रदेश के साथ MoU करते हुए feasibility study करवायी जानी प्रस्तावित है।
7.	प्लास्टिक से पर्यावरण एवं वन्यजीवों को होने वाले नुकसान की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, Conservation Reserves, आरक्षित एवं रक्षित वन क्षेत्रों में 'single use plastic' पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जायेगा। साथ ही, विभिन्न पर्यटन/सार्वजनिक स्थलों पर 50 Plastic Bottle Flaking/ Reserve Vending Machines की स्थापना की जायेगी।
8.	वन संरक्षण के साथ ही आमजन की सुविधा एवं अर्थव्यवस्था के विकास में बाधा दूर हो सके, इस दृष्टि से जयसमंद-उदयपुर, केसरबाग-धौलपुर, केवलादेव-भरतपुर एवं नाहरगढ़-जयपुर की तर्ज पर सरिस्का-अलवर, रणथम्भौर-सवाई माधोपुर एवं राष्ट्रीय चम्बल घड़ीयाल अभयारण्य-कोटा का Eco-Sensitive Zones के रूप में चिन्हीकरण कर मारटर प्लान बनाया जायेगा।

• **प्रदूषण की रोकथाम एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु-**

- I. क्लीन कुकिंग प्रोत्साहन तथा कुकिंग फ्यूल के दबाव को कम करने के उद्देश्य से 50 प्रतिशत अनुदान पर 10 हजार सोलर, इलेक्ट्रिक कुकिंग सिस्टम वितरित किये जायेंगे। इस पर 15 करोड़ रुपये का व्यय होगा।
- II. शहरों में वायु की गुणवत्ता के पर्यवेक्षण के लिए जयपुर की तर्ज पर अलवर एवं भिवाड़ी में भी अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित किये जायेंगे।

- ब्राह्मणी नदी (बेगू)-चित्तौड़गढ़ के रिवर फ्रंट एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य करवाया जाएगा। साथ ही, अजमेर शहर में पार्क व आदर्शनगर में मातृवन विकसित किये जायेंगे।

- काले हिरणों के संरक्षण हेतु शाहपुरा जिले के आशोप क्षेत्र को आखेट निषिद्ध व कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र घोषित किया जाएगा।
- Rajasthan State Pollution Control Board में Adjudicating Officers की नियुक्ति की जायेगी। साथ ही, जयपुर एवं जोधपुर में Rajasthan State Pollution Control Board के नवीन क्षेत्रीय कार्यालय शुरू किये जायेंगे।
- 'Green Co-rating Scheme' के अन्तर्गत Health Care Facility, Hotels एवं Group Housing Projects को भी सम्मिलित किया जाकर validity तथा Fees के प्रावधानों के तहत लाभ दिया जाएगा।



मानव संसाधन विकास

- प्रदेश के कोने-कोने में बसे परिवारों को शिक्षा, चिकित्सा व रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही वंचित वर्गों को सशक्त करना, जिससे कि वे अपने जीवन को खुशहाल बना सकें, सरकार का प्राथमिक लक्ष्य है। प्रदेशवासियों की ओर अपने दायित्वों का निर्वहन करते समय हमें आज सबसे अधिक विचार अपने युवाओं के भविष्य के लिए किए जाने की आवश्यकता है।

राज्य स्तरीय 'मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव'



मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रथम बार आयोजित हुए राज्य स्तरीय 'मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव' समारोह में नवनियुक्त राज्य कार्मिकों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर उत्कृष्ट राज्यकार्य के लिए प्रेरित किया। साथ ही, सभी जिला मुख्यालयों से जुड़े नवनियुक्त कार्मिकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद भी किया। कार्यक्रम में प्रदेश के सभी जिलों से 20 हजार से अधिक नवनियुक्त अधिकारी-कर्मचारी शामिल हुए। उन्होंने बताया कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से प्रेरणा लेते हुए अब प्रदेश में नियमित रूप से 'मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव' आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में युवाओं के लिए बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए कृतसंकल्पित है और संकल्प पत्र के वादे को पूरा करने के लिए पारदर्शी एवं समयबद्ध भर्ती परीक्षाओं का आयोजन सुनिश्चित कर रही है।

**प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है
"राजस्थान सुजस"**

समारोह में प्रशिक्षु राजस्थान प्रशासनिक सेवा की अधिकारी आकांक्षा दुबे ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रशासन का हिस्सा बनकर गौरवान्वित महसूस हो रहा है। उन्होंने इस दौरान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की मासिक पत्रिका "राजस्थान सुजस" का भी विशेष उल्लेख किया और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में इसे अत्यंत उपयोगी बताया।



डीग के पूंछरी का लौठा पहुंचकर
गिरिराज जी की पूजा-अर्चना कर दुग्धाभिषेक करते
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा।



युवा विकास एवं कल्याण

- युवाओं के प्रेरणास्रोत स्वामी विवेकानन्द ने कहा था- “बहादुर, स्पष्टवादी, साहसी, आकांक्षी एवं साफ दिल वाले युवा एकमात्र नींव है, जिस पर भविष्य का निर्माण हो सकता है।” इस कारण युवाओं को और अधिक संबल प्रदान करते हुए - ‘युवाओं के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास, शिक्षा व खेलों से उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास एवं कौशल एवं क्षमता को निखारकर रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने की आवश्यकता है।
- राज्य सरकार युवाओं के सुरक्षित भविष्य के लिए संवेदनशील है। लेखानुदान प्रस्तुत करते समय लगभग 70 हजार पदों पर भर्तियां किये जाने की घोषणा की थी। इस कार्यकाल में लगभग 20 हजार युवाओं को नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है, जिनसे माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी द्वारा 29 जून, 2024 को संवाद कर जनसेवा के लिए प्रेरित किया गया।
- राज्य सरकार ने 5 वर्षों में 4 लाख भर्तियां करने का संकल्प लिया है और इस वर्ष के लक्ष्य को भी बढ़ाकर एक लाख से अधिक पदों पर भर्ती किया जाना निर्धारित किया है। हर वर्ष समयबद्ध रूप से भर्ती परीक्षाएँ कराकर युवाओं को रोजगार देने का कार्य किया जाएगा।
- युवाओं के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास, प्रोत्साहन तथा उनकी समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए ‘युवा नीति-2024’ लायी जाएगी। इस नीति के माध्यम से 5 वर्षों में समस्त युवा वर्ग को उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए-
 - I. सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में स्किल अपग्रेडेशन के साथ ही 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाये जाएंगे।
 - II. युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित काउन्सलिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही अप्रेंटिसशिप, इन्टर्नशिप प्रोग्राम संचालित किये जाएंगे।
 - III. चयनित युवाओं को देश, विदेश में एक्सपोजर विजिट के अवसर उपलब्ध करवाये जायेंगे।
- युवाओं में कौशल क्षमता का विकास कर उन्हें एम्प्लॉयेबल बनाये जाने हेतु “स्टेट स्किल पॉलिसी” लायी जाएगी। वर्तमान में प्रचलित पाठ्यक्रमों को प्रासंगिक बनाते हुए प्रदेश में 2 वर्षों की अवधि में एक लाख 50 हजार से अधिक युवाओं को ट्रेनिंग करवायी जायेगी।
- प्रदेश के युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने एवं ‘एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर’ भी बनने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए-
 - I. “अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम” चलाया जाएगा। इसके अन्तर्गत युवाओं को देश-विदेश के उत्कृष्ट सीईओज की मेन्टोरशिप उपलब्ध कराने के साथ-साथ आउटरीच एक्सपोजर के भी अवसर उपलब्ध करवाये जायेंगे।
 - II. इसके साथ ही, चयनित स्टार्टअप को “अटल एंटरप्रेन्योरशिप

प्रोग्राम” में आई-स्टार्ट फण्ड के तहत 10 करोड़ रुपये तक की फण्डिंग सुविधा भी उपलब्ध करायी जाएगी।

- III. साथ ही स्टार्टअप को इक्विटी फण्डिंग के द्वारा फाइनेन्शियल सपोर्ट दिये जाने हेतु 100 करोड़ रुपये से फण्ड ऑफ फण्ड बनाया जाएगा। स्टार्टअप को विभिन्न विभागों से सीधे वर्क ऑर्डर दिये जाने की प्रक्रिया का सरलीकरण कर आई-स्टार्ट फण्ड के अन्तर्गत 25 करोड़ रुपये की राशि का कॉर्पस फण्ड बनाया जायेगा। साथ ही, स्टार्टअप को सीधे सब-कॉन्ट्रैक्टिंग के माध्यम से कार्य देने की सुविधा भी उपलब्ध करवायी जायेगी।

- युवाओं के लिए नवीन तकनीकी क्षेत्रों में रोजगार के और अधिक अवसर सृजित करने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा एक हजार करोड़ रुपये की लागत से जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर में “अटल इनोवेशन स्टूडियोज” और एक्सीलेरेटर्स स्थापित किये जा रहे हैं। इनके अन्तर्गत एग्रीकल्चर एक्सीलेरेटर्स मिशन प्रारम्भ किया जाएगा इसी के साथ एपीजीसी-एक्सआर पॉलिसी, “एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक एक्सटेन्डेड रियलिटी” पॉलिसी लाई जाएगी। इससे 5 वर्षों में 50 हजार से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।
- प्रदेश का युवा बहुत इनोवेटिव व उद्यमी है, परन्तु एक स्टार्टअप की यात्रा बहुत उतार-चढ़ाव भरी होती है। इसे ध्यान में रखते हुए स्टार्टअप फाउंडर्स व युवाओं की अपस्किलिंग करने के साथ-साथ उनको स्किल्ड मैनपॉवर उपलब्ध करवाने के लिए आई-स्टार्ट के अंतर्गत लर्न, अर्न एण्ड प्रोग्रेस(लीप) प्रोग्राम प्रारम्भ किया जाएगा। इस पर 25 करोड़ रुपये व्यय होंगे।
- यंग ऐज से ही उद्यमशीलता विकास सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में “बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम” चलाया जायेगा। इससे एक लाख से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। इस पर 20 करोड़ रुपये व्यय होंगे।
- प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने, युवाओं को गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण सुविधायें उपलब्ध कराने तथा उनके लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से नाचना (पोकरण)-जैसलमेर में नवीन आईटीआई तथा बांदाकुई-दौसा, फागी-दूदू, वल्लभनगर-उदयपुर, निवाई-टोंक, मारवाड़ जंक्शन-पाली व गुडामालानी-बाड़मेर में नवीन पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों सहित 2 वर्षों में 20 ITIs एवं 10 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खोले जाएंगे।
- प्रदेश में उत्कृष्ट तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु प्रथम चरण के रूप में भरतपुर, बीकानेर व अजमेर के इंजीनियरिंग कॉलेजों का उन्नयन कर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आरआईटी) स्थापित किया जाएगा। इन पर लगभग 300 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।
- गुरु-शिष्य सम्बन्ध की परम्परा को पुनः स्थापित कर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा का स्तर सुधारने की दिशा में कदम उठाते हुए प्रदेश में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को ‘कुलगुरु’ की पदवी प्रदान की जाएगी। साथ ही, प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार तथा तकनीकी शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की दृष्टि से-

क्र.सं.	महाविद्यालय/ ITIs/पॉलिटेक्निक
1.	महाविद्यालय- सरवाड़-अजमेर; गुलाबपुरा-भीलवाड़ा; राशमी (कपासन), डूंगला (बड़ी सादड़ी)-चित्तौड़गढ़; मौजमाबाद-दूदू; विद्याधर नगर-जयपुर; चामू (शेरगढ़)-जोधपुर; डग-झालावाड़; दीगोद (सांगोद), चेचट (रामगंजमण्डी)-कोटा; अरनोद-प्रतापगढ़ एवं रीगस-सीकर
2.	कन्या महाविद्यालय- कठूमर-अलवर; जहाजपुर-शाहपुरा; सिकराय-दौसा; फुलेरा-जयपुर; बिलाड़ा, ओसियां-जोधपुर; फलीदी एवं फलासिया-उदयपुर
3.	कृषि महाविद्यालय- चूरू; कुम्हेर-डीग एवं जमवारामगढ़-जयपुर में कृषि महाविद्यालय
4.	महाविद्यालयों में UG से PG में क्रमोन्नयन / नवीन विषय / संकाय - 25 महाविद्यालयों में नये विषय/संकाय प्रारम्भ करने के साथ ही आहोर-जालोर, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड-जोधपुर, डेगाना-नागौर, कोटडा-उदयपुर महाविद्यालय तथा सिकराय-दौसा व सूरसागर- जोधपुर कन्या महाविद्यालय सहित 10 महाविद्यालयों का Under Graduate (UG) से Post Graduate (PG) में क्रमोन्नयन
5.	विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में आधारभूत सुविधाओं का विकास- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में भवनों के निर्माण, उन्नयन एवं repair हेतु 125 करोड़ रुपये का व्यय चयनित विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों में Smart Classrooms /ICT Labs की स्थापना के लिए 45 करोड़ (पैंतालीस करोड़) रुपये का व्यय
6.	हिन्दी माध्यम में शिक्षा सुविधा- मेडिकल कॉलेज में वंचित वर्गों के विद्यार्थी भी शिक्षा प्राप्त कर सकें, इस दृष्टि से हिन्दी माध्यम से भी शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था
7.	ITIs में आधारभूत सुविधायें- अनुपगढ़, खेतड़ी, भिवाड़ी, बालोतरा, नाथद्वारा, रतनगढ़ व शाहपुरा-जयपुर सहित 30 ITIs में आधारभूत सुविधाओं के लिए 50 करोड़ रुपये का व्यय
8.	ITIs का आधुनिकीकरण- Manufacturing Sector में trained skilled workers उपलब्ध कराये जाने के लिए इस वर्ष private investment के माध्यम से 150 ITIs के modernization के लिए 965 करोड़ (नौ सौ पैंसठ करोड़) रुपये से अधिक का व्यय
9.	ITIs में नवीन Trades- अजमेर, किशनगढ़, भरतपुर, सांगानेर, खो-नागोरियान-जयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, झुझुनू, अलवर, जोधपुर, उदयपुर, ब्यावर, बीकानेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, रतनगढ़, कोटपूतली, सीकर व श्रीगंगानगर की ITIs में 3D Printing/IoT (Internet of Things) / Fiber to Home Technician/ Multimedia/Animation आदि से सम्बन्धित Trades यथा आवश्यकता प्रारम्भ
10.	पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में नवीन Branches/ सीट क्षमता वृद्धि- बीकानेर, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़ व जैसलमेर के पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में यथा आवश्यकता Computer Science/ Electrical / Civil / Chemical / Mining Engineering Branch खोलने के साथ ही, महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, बीकानेर में नये Non-Engineering पाठ्यक्रम, अलवर व जैसलमेर के पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में सीट क्षमता में वृद्धि

- प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में स्कूल शिक्षा की सुविधायें बढ़ाने की आमजन की भावना को ध्यान में रखते हुए 50 नये प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे, साथ ही 100 विद्यालयों का क्रमोन्नयन होगा तथा 100 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नवीन विषय प्रारम्भ किये जाएंगे। इसके अतिरिक्त, विद्यालयों में शिक्षा की सुविधाओं का उन्नयन करने की दृष्टि से-

1. प्रदेश में 4 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के छात्रावास भवन, 5 नेताजी सुभाषचन्द्र बोस छात्रावासों तथा 138 भवन रहित विद्यालयों के भवनों का निर्माण करवाया जायेगा।



- ii. क्लास-रूम्स, लैब्स, लाइब्रेरीज एवं टॉयलेट निर्माण हेतु 350 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। साथ ही, 750 विद्यालयों के भवनों की मरम्मत हेतु 100 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

- प्रदेश के विभिन्न वंचित वर्गों के विद्यार्थियों को बेहतर आवासीय सुविधायें उपलब्ध करवाने की दृष्टि से छात्रावास, आवासीय विद्यालयों का निर्माण तथा आधारभूत सुविधायें विकसित करने सम्बन्धी कार्य कराये जाएंगे। ये कार्य हैं-

क्र.सं.	छात्रावास/आवासीय विद्यालय/ अन्य आधारभूत सुविधायें
1.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सहित अन्य आवासीय विद्यालयों तथा छात्रावासों की repair व आवश्यक सामग्री के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान
2.	जर्जर भवन वाले 15 छात्रावासों के पुनर्निर्माण हेतु लगभग 45 करोड़ रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। ये स्थान हैं-प्रान्हेडा-केकड़ी, चाकसू-जयपुर, कोटा, धौलपुर, रैणी-अलवर, गजनपुरा-बारां, प्रतापगढ़, अरनोद-प्रतापगढ़, जोधपुर एवं पाटीदी-बालोतरा, दानपुर (छोटी सरवन)-बांसवाड़ा, कहारी (दौवड़ा) व डूंगरसारण (चिखली)-डूंगरपुर तथा फलासिया-उदयपुर।
3.	17 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का 77 करोड़ रुपये की लागत से उन्नयन एवं रखरखाव
4.	Migratory पशुपालकों हेतु पिण्डवाड़ा-सिरोही में आवासीय विद्यालय का निर्माण 28 करोड़ रुपये की लागत से। सुमेरपुर-पाली में घुमन्तू जातियों के लिए आवासीय विद्यालय
5.	बालिका गृहों में आवासित देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाली बालिकाओं हेतु जयपुर में राजकीय आवासीय विद्यालय
6.	बाली-पाली, कोटपूतली, पसोपा (नगर)-डीग में देवनारायण आवासीय विद्यालय देवला (कोटड़ा)-उदयपुर व जसवंतपुरा-जालोर में एकलव्य आवासीय विद्यालय
7.	शेरगढ़-जोधपुर में अनुसूचित जनजाति छात्रावास; सिकराय-दौसा में अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास; डग-झालावाड़ में अनुसूचित जाति छात्रावास; कठूमर-अलवर व तिजारा में देवनारायण बालिका छात्रावास; भटेश्वर (पिण्डवाड़ा)-सिरोही, पोषाणा-जालोर में जनजाति बालिका छात्रावास तथा मेर-मण्डवाड़ा-सिरोही में जनजाति छात्रावास।

- राज्य में सभी वर्गों के राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालयों में आवासित छात्रा-छात्राओं को देय मैस भत्ता 2 हजार 500 रुपये से बढ़ाकर 3 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। साथ ही, खेलकूद आवासीय विद्यालयों के खिलाड़ियों का मैस भत्ता बढ़ाकर 4 हजार रुपये प्रतिमाह किया गया है।

- राजकीय विद्यालयों के मेधावी विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से 8वीं, 10वीं एवं 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में राज्य तथा जिला स्तरीय मेरिट में आने वाले 33 हजार विद्यार्थियों को टेबलेट्स विद 3 ईयर इंटरनेट कनेक्टिविटी निःशुल्क दिये जाएंगे।
- **प्रदेश में संस्कृत शिक्षा के प्रोत्साहन एवं विस्तार हेतु-**
 - I. भवन विहीन 20 संस्कृत महाविद्यालयों हेतु भवन निर्माण कराये जायेंगे। इस हेतु लगभग 50 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।
 - II. ज्योतिष एवं वास्तु विद्या के वैज्ञानिक पक्षों के अध्ययन एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, जयपुर में 10 करोड़ रुपये की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया जायेगा।
 - III. रैवासा-सीकर में संचालित आदर्श वेद आवासीय विद्यालय की तर्ज पर संभाग स्तर पर चरणबद्ध रूप से आदर्श वेद विद्यालय स्थापित किये जाएंगे। साथ ही, वेद विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के मानदेय को 8 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रतिमाह किया जाएगा।
- युवा शक्ति के सर्वांगीण विकास में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश में प्रत्येक स्तर पर खेलों के प्रोत्साहन हेतु समुचित वातावरण तैयार करने के लिए स्पोर्ट्स-इन्फ्रास्ट्रक्चर, साइंस, एनेलिसिस, काउंसलिंग व न्यूट्रीशन का समावेश करते हुए 'खेल नीति-2024' लायी जाएगी। इसके अन्तर्गत-
 - I. राजस्थान खेल आधुनिकीकरण मिशन की स्थापना करते हुए खेल क्षेत्र के लिए गत वर्ष प्रावधित 475 करोड़ रुपये की बजट राशि को चरणबद्ध रूप से दुगुना किया जाएगा।
 - II. प्रदेश में कोचेज एवं स्पोर्ट स्पेशलिस्ट्स तैयार करने के लिए महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। इस पर 250 करोड़ रुपये व्यय होंगे। इसके साथ ही, संभागीय स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेज की भी स्थापना 50-50 करोड़ रुपये की राशि से की जाएगी।
 - III. प्रदेश में "वन डिस्ट्रिक्ट- वन स्पोर्ट" योजना लागू करते हुए प्रत्येक जिले में चरणबद्ध रूप से प्रचलित खेलों की अकादमी स्थापित की जाएगी।
 - IV. राज्य सरकार द्वारा प्रदेश का नाम स्पोर्ट्स के क्षेत्र में उन्नति के शिखर पर ले जाने के लिए "मिशन ओलम्पिक" प्रारम्भ करने की घोषणा की गई थी। इसके अन्तर्गत केन्द्र सरकार "टारगेट ओलम्पिक पोडियम (टीओपी)" योजना के अनुरूप सुविधायें उपलब्ध करायी जाएंगी।
 - V. प्रदेश के खिलाड़ियों को समुचित सिक्वोरिटी कवरेज उपलब्ध कराने के लिए स्पोर्ट्स लाइफ इन्श्योरेंस स्कीम लागू की जाएगी। इसके अन्तर्गत अन्तरराष्ट्रीय पदक विजेताओं को श्रेणीवार 25 लाख रुपये तक का दुर्घटना व जीवन बीमा कवरेज दिया जायेगा।
 - VI. उत्कृष्ट खिलाड़ियों को अन्तरराष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग एवं प्रेक्टिस सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर में स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर स्थापित किया जायेगा। साथ ही, राज्य स्तर के खिलाड़ियों के लिए फिजिकल रिहेब हेतु जयपुर में 15 करोड़ रुपये व्यय कर समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

- VII. चयनित विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में आवश्यक स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं इक्विपेंट की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए पीटीसी, कोचेज की समुचित व्यवस्था की जायेगी।
- VIII. ग्रामीण युवाओं को खेल प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने की दृष्टि से ग्राम पंचायत स्तर पर चरणबद्ध रूप से ओपन जिम व खेल मैदान बनाये जायेंगे। प्रथम चरण में, 10 हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों पर ये सुविधायें विकसित की जायेंगी।
- IX. खिलाड़ियों के स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स के लिए डिजिटल रिपोजिटरी बनायी जायेगी।
- X. प्रस्तावित खेल नीति के अन्तर्गत पैरा एथलेटिक्स के लिए पृथक से विशेष प्रावधान किये जायेंगे।
- XI. साथ ही, प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर स्टेडियम, ट्रैक, खेल अकादमी आदि की स्थापना, उन्नयन का कार्य किया जायेगा। ये कार्य हैं

क्र.सं.	कार्य का नाम/विवरण
1.	सिंथेटिक ट्रैक-सांगानेर-जयपुर में सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण
2.	खेल स्टेडियम-मसूदा-ब्यावर, बनेड़ा-शाहपुरा, गजसिंहपुर (करणपुर)-श्रीगंगानगर, डेगाना-नागौर, भादरा-हनुमानगढ़, चाकसू, बगरू, जयसिंहपुरा खोर-जयपुर में खेल स्टेडियम का निर्माण
3.	खेल अकादमी-शाहपुरा में खेल अकादमी
4.	उन्नयन/आधुनिकीकरण कार्य-जगतपुरा-जयपुर स्थित Shooting Range तथा विद्याधरनगर स्टेडियम-जयपुर का upgradation तथा श्रीराम स्टेडियम-बारां व सादुलशहर-श्रीगंगानगर खेल स्टेडियम को विकसित कर अत्याधुनिक किये जाने का कार्य



- 'खेलो इण्डिया यूथ गेम्स की तर्ज पर प्रदेश में पारम्परिक खेलों एवं इंडीजिनियस गेम्स को शामिल करते हुए ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर प्रतिवर्ष 'खेलो राजस्थान यूथ गेम्स आयोजन किया जाएगा। इस हेतु 50 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष व्यय किये जायेंगे।
- राष्ट्रीय युवा महोत्सव की तर्ज पर यूथ डे (12 जनवरी) के अवसर पर राज्य युवा महोत्सव आयोजित किया जाएगा। साथ ही, राष्ट्रीय युवा आइकॉन पुरस्कार की भांति राजस्थान यूथ आइकॉन अवार्ड दिया जायेगा।
- प्रदेश के युवाओं में नशे की बढ़ती लत चिन्ता का विषय है। इसे ध्यान में रखते हुए श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर व बाड़मेर सहित 10 जिलों में 25-25 बेड क्षमता के नशामुक्ति केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। इन पर 10 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।
- बाली-पाली, खीवसर-नागौर तथा लोहावट, बापिनी, देचू- फलोदी में खेल स्टेडियम का निर्माण किया जायेगा।



शिक्षा

- प्रदेश में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के विस्तार के लिए विभिन्न महाविद्यालयों की स्थापना व क्रमोन्नयन किये जाने, नवीन संकाय, विषय खोले जायेंगे तथा विभिन्न छात्रावासों के निर्माण सम्बन्धी कार्य करवाये जायेंगे। ये कार्य हैं-

क्र.सं.	महाविद्यालय/ पॉलिटेक्निक
1.	नवीन महाविद्यालय-भदेसर-चित्तौड़गढ़, किठाना (चिड़वा)-झुंझुनूं
2.	नवीन कन्या महाविद्यालय-बालेसर-जोधपुर, भगवतगढ़ (खंडार) -सवाई माधोपुर
3.	UG से PG में क्रमोन्नयन-कन्या महाविद्यालय, लालसोट-दौसा
4.	नवीन विषय/संकाय- पुष्कर-अजमेर में दर्शनशास्त्रा एवं विज्ञान संकाय, बालोतरा में स्नातकोत्तर स्तर पर लोक प्रशासन विषय भरतपुर महाविद्यालय में नवीन विषय
5.	पॉलिटेक्निक महाविद्यालय-भिवाड़ी
6.	विभिन्न छात्रावास- नसीराबाद-अजमेर में देवनारायण बालिका छात्रावास; नदबई-भरतपुर में EWS छात्रावास; निम्बोल (जैतारण)-ब्यावर में अनुसूचित जाति छात्रावास

- बालिकाओं को तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से पॉलिटेक्निक, तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर उच्च शिक्षा की तर्ज पर इस वर्ष योग्यता/मेरिट के आधार पर 500 स्कूटी वितरित की जायेंगी।
- महाविद्यालय तथा कक्षा 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए प्रतिष्ठित कम्पनियों के माध्यम से कॉर्पोरेट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स संचालित करने हेतु प्रदेश के सभी संभागों में राजस्थान फिनिशिंग स्कूल सेंटर्स की स्थापना किये जाने की घोषणा करती हूँ। इसके अन्तर्गत 3 वर्षों में लगभग 50 हजार विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस पर 60 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का व्यय होगा।
- प्रदेश के विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा एवं कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने तथा स्कूली शिक्षा के विस्तार की दृष्टि से विभिन्न पाठ्यक्रम, विषय शुरू किये जाएंगे तथा स्कूलों व आईसीटी लैब्स की स्थापना किये जाने सम्बन्धी कार्य करवाये जायेंगे। ये कार्य हैं-



क्र.सं.	कार्य विवरण
1.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों पर स्थित महाविद्यालयों में BBA एवं संभाग स्तर पर MBA Course
2.	समस्त संभाग मुख्यालयों पर स्थित महाविद्यालयों (उदयपुर में कन्या महाविद्यालय) में BCA एवं चरणबद्ध रूप से MCA Course
3.	सभी जिला मुख्यालय पर स्थित महाविद्यालयों में Computer Science विषय
4.	जिला स्तर पर Foreign Language Communication Skill Scheme के तहत French, German, Spanish, Japanese, Italian, Russian आदि भाषाओं में Certificate Courses करवाये जाने की सुविधा
5.	राज्य में संचालित 134 स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में प्राइमरी कक्षाओं का संचालन
6.	प्रदेश के 591 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ऐच्छिक विषय के रूप में कम्प्यूटर विज्ञान विषय
7.	राज्य में नये 46 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों के संचालन हेतु 25 करोड़ 52 लाख रुपये का व्यय
8.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 200 से अधिक नामांकन होने पर चरणबद्ध रूप से ICT Labs की स्थापना

- विद्यार्थियों तथा आमजन में विज्ञान के प्रति रूचि एवं जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से-
 - अलवर एवं भरतपुर में विज्ञान केन्द्र की स्थापना का कार्य हाथ में लिये जाएंगे। इन पर लगभग 45 करोड़ (पैंतालीस करोड़) रुपये व्यय होंगे।
 - भरतपुर में 13 करोड़ रुपये की लागत से डिजिटल प्लनेटेरियम स्थापित किया जायेगा।
 - जयपुर में स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर (एसआरएसएसी) का उपकेन्द्र खोला जायेगा।
- प्रदेश में एनसीसी कैडेट्स की संख्या में लगभग 11 हजार की वृद्धि की जाकर नागौर, जैसलमेर एवं बांसवाड़ा में एनसीसी कार्यालय स्थापित किये जाएंगे। साथ ही, प्रदेश में स्काउटिंग को बढ़ावा देने के लिए हिन्दुस्तान स्काउट्स हेतु नियम बनाते हुए 4 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जायेगा।
- शाहबाद-बारां में सहरिया जनजाति वर्ग हेतु तीरंदाजी व एथलेटिक्स खेल अकादमी तथा अजमेर जिला मुख्यालय पर एथलेटिक्स खेल अकादमी की स्थापना की जायेगी। साथ ही, कपासन-चित्तौड़गढ़ में इन्डोर स्टेडियम बनाया जाएगा।
- माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इस वर्ष के केन्द्र के बजट में युवाओं की Skilling एवं Apprenticeship के लिए समुचित प्रावधान किये गये हैं। इस PM's Package के अन्तर्गत प्रदेश के 2 लाख 50 हजार से अधिक युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा।
- युवाओं को अपने भविष्य सम्बन्धी आशंका से मुक्ति दिलाने की दृष्टि से भर्ती में लगने वाले समय को कम करना आवश्यक है। इस उद्देश्य से भर्ती परीक्षाओं के बाद दस्तावेज सत्यापन सम्बन्धित विभाग के स्तर पर किये जाने के साथ ही, विज्ञप्ति उपरान्त भी रिक्तियों की संख्या में 50 प्रतिशत वृद्धि के प्रावधान को बढ़ाते हुए 100 प्रतिशत तक किया जा रहा है।

- प्रदेश के युवाओं को सरकारी भर्तियों में अधिक अवसर प्राप्त हो सकें, इस हेतु Common Eligibility Test (CET) के प्रावधान बदलते हुए Qualification हेतु समस्त श्रेणियों के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 35 प्रतिशत अंक किये जाएंगे। साथ ही, सरकारी कार्यालयों की efficiency में सुधार के साथ ही, ऐसे युवाओं जिनको शिक्षा के समुचित अवसर प्राप्त नहीं हुए, उन्हें भी सरकारी नौकरी का अवसर देने की दृष्टि से वर्षों से अटकी हुई चतुर्थ श्रेणी की भर्ती नियमों का परिवर्तन किया जाकर भर्ती की जायेगी।
- युवाओं की समस्त आवश्यकताओं यथा-बेरोजगार युवाओं के पंजीयन, रोजगार मेलों के आयोजन, exposure visit हेतु आवेदन एवं मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के संचालन आदि के दृष्टिगत One Stop Solution के रूप में Employment Exchange Management System (EEMS)-2.0 पोर्टल तैयार किया जाएगा।
- प्रदेश में शिक्षा के विस्तार की दृष्टि से नवीन महाविद्यालय/ पॉलिटेक्निक महाविद्यालय/संकाय/विषय शुरू किये जाएंगे, महाविद्यालयों का क्रमोन्नयन एवं विद्यार्थियों की आवासीय सुविधा सम्बन्धी विभिन्न कार्य किये जाएंगे। ये कार्य हैं-

क्र.सं.	महाविद्यालय/पॉलिटेक्निक/छात्रावास
1.	नवीन महाविद्यालय-कोटडी (जहाजपुर)-शाहपुरा, लाखेरी (केशोरायपाटन)-बूंदी, कालवाड़, बनीपार्क-जयपुर, बदनोर-भीलवाड़ा, झवर-जोधपुर नवीन कन्या महाविद्यालय-निम्बाहेड़ा-चित्तौड़गढ़, चाडो की ढाणी (सिणधरी)-बालोतरा व अनूपगढ़ UG से PG में क्रमोन्नयन-राजकीय महाविद्यालय पाटन-नीमकाथाना नवीन विषय/संकाय-राजकीय बालिका महाविद्यालय (आर.डी. गर्ल्स कॉलेज)-भरतपुर में स्नातकोत्तर में विज्ञान व कॉमर्स संकाय के विषय
2.	कृषि महाविद्यालय-बालाहेड़ा (महवा)-दौसा
3.	नवीन छात्रावास/आवासीय विद्यालय- बाली-पाली में एकलव्य आवासीय विद्यालय जहाजपुर-शाहपुरा में जनजाति छात्रावास भवन का निर्माण सरसिया (जहाजपुर)-शाहपुरा में जनजाति बालिका छात्रावास नांगल प्यारीवास-दौसा में अनुसूचित जनजाति छात्रावास अकलेरा (मनोहरथाना)-झालावाड़ में अनुसूचित जाति छात्रावास कुचामनसिटी-डीडवाना कुचामन में देवनारायण आवासीय विद्यालय आंधी (जमवारामगढ़)-जयपुर में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय जैसिंथर स्टेशन-बाड़मेर में आवासीय विद्यालयों की क्षमता वृद्धि
4.	पॉलिटेक्निक महाविद्यालय- मेड़ता सिटी-नागौर व लाडपुरा-कोटा में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय तथा अलवर शहर में महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय

- समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों हेतु-
 - विद्यालयों में विशेष योग्यजन विद्यार्थियों के लिए wheel chair की व्यवस्था करवायी जायेगी।
 - साथ ही, 10 से अधिक विशेष योग्यजन विद्यार्थियों वाले स्कूल में एक Care Attendant उपलब्ध करवाया जायेगा।
- NCC Cadets को विभिन्न प्रकार के शिविरों के दौरान मैसिंग भत्ता 150 रुपये से बढ़ाकर 220 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन किया जाएगा।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य



- प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं का और अधिक विस्तार करने के लिए इस वित्तीय वर्ष के बजट में 27 हजार 660 करोड़ रुपये का प्रावधान अर्थात् पूरे बजट का 8.26 प्रतिशत भाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए प्रावधित है।
- केन्द्र सरकार ने 'आयुष्मान भारत योजना' लागू कर देश में आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने की दिशा में क्रान्तिकारी पहल की थी। इसी क्रम में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (मां योजना)लागू कर कैंसर जैसी गम्भीर बीमारियों से ग्रसित रोगियों को और अधिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराते हुए आईपीडी के साथ-साथ डे केयर पैकेज जोड़ने की व्यवस्था की गयी है। मां योजना के माध्यम से आमजन को और अधिक राहत देने के लिए अब -
 - शिशुओं एवं छोटे बच्चों के इलाज के लिए नये पीडियाट्रिक पैकेज जोड़े जायेंगे।
 - छोटे और दूरस्थ स्थानों पर समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निजी चिकित्सा संस्थानों के वर्तमान एम्पैनलमेंट नॉर्स में शिथिलन दिया जायेगा।
 - कतिपय पैकेज की दरों का रियलाइजेशन किया जाएगा।
- साथ ही, सम्पूर्ण प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व जांच के साथ बेहतर चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां वाउचर योजना लागू की जाएगी।
- प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में भी आमजन को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो सके, इसके लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक-एक 'आयुष्मान मॉडल सीएचसी' स्थापित की जाएगी। इन चिकित्सा संस्थानों में विभिन्न आवश्यक सुविधाओं के साथ-साथ मानवीय दृष्टिकोण से मोर्चरी का निर्माण भी होगा। इन पर 125 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

- प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन के लिए 'मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य हैल्थकेयर इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन प्रारम्भ कर आगामी 3 वर्षों में 15 हजार करोड़ रुपये के कार्य करवाये जाएंगे। इसके अन्तर्गत सुपर स्पेशलिटी, टर्शियरी केयर चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा संस्थानों के क्रमोन्नयन, स्थापना, भवन निर्माण एवं रिपेयर व मेन्टीनेंस तथा आयुष चिकित्सा सुविधा कार्य करवाये जायेंगे। ये कार्य हैं-

A. Super-speciality/Tertiary Care चिकित्सा सुविधा-

क्र.सं.	Super-speciality/Tertiary Care चिकित्सा सुविधा
1.	जयपुर स्थित सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय के अधीन निर्माणाधीन एक हजार 200 bedded IPD Tower की सुविधायें आमजन को उपलब्ध हो सकें, इसके लिए आयुष्मान टावर को और अधिक सुविधायुक्त बनाने, आवश्यक उपकरणों आदि की खरीद करने तथा मरीजों एवं उनके परिजनों को समुचित वाहन पार्किंग सुविधा सुलभ कराने के लिए लगभग 200 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।
2.	Rajasthan University of Health Sciences (RUHS) में Super-Speciality सेवायें उपलब्ध कराने के लिए 200 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। साथ ही, MVT के तहत विभिन्न स्थानों पर PPP के माध्यम से Super-Speciality Hospitals, Medical Colleges आदि बनाये जाने की योजना
3.	मेडिकल कॉलेज, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर एवं कोटा में Spinal Injury Centres की स्थापना, इस पर लगभग 10 करोड़ रुपये व्यय
4.	JLN चिकित्सालय-अजमेर में Super-Speciality Block की स्थापना, SMS अस्पताल-जयपुर में Palliative Care Unit, Rheumatology Lab की स्थापना एवं ENT Wing का उन्नयन, कांठटिया व जयपुरिया अस्पताल-जयपुर एवं SDM अस्पताल-बीकानेर का उन्नयन, मथुरादास माथुर अस्पताल-जोधपुर एवं RBM अस्पताल-भरतपुर में आधारभूत सुविधाओं के कार्य
5.	श्रीगंगानगर में कैंसर Wing एवं गंगाशहर अस्पताल-बीकानेर में प्रसव वार्ड की स्थापना, अलवर अस्पताल में शिशु विभाग, कुचामन जिला अस्पताल में कार्डियक यूनिट तथा SRG अस्पताल-झालावाड़, RK जिला अस्पताल-राजसमंद, कोटा अस्पताल, अम्बामाता चिकित्सालय-उदयपुर का उन्नयन
6.	Rare Diseases के निदान एवं उपचार हेतु जे के लोन अस्पताल-जयपुर में 22 करोड़ (बाइस करोड़) रुपये की लागत से Centre of Excellence for Medical Genetics
7.	मेडिकल कॉलेज अस्पतालों/जिला अस्पतालों में सभी प्रकार की जांचों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए चरणबद्ध रूप से out sourced model पर diagnostic labs
8.	29 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों/जिला अस्पतालों में Lactation Management Units

B. चिकित्सा संस्थानों के क्रमोन्नयन, स्थापना, भवन निर्माण एवं repair व maintenance के कार्य-

क्र.सं.	चिकित्सा संस्थान/कार्य
1.	उप जिला चिकित्सालयों से जिला चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन- चौहटन-बाड़मेर, नदबई-भरतपुर, बाली, सोजत-पाली, लोहावट -फलोदी, सांचौर। सैटेलाइट चिकित्सालयों से जिला चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन- सांगानेर-जयपुर व झालरापाटन-झालावाड़। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों से जिला चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन- भिण्डर-उदयपुर।
2.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों से उप जिला चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन- परतापुर (गढ़ी), आनन्दपुरी-बांसवाड़ा, लूणकरणसर, खजूवाला, बज्जू (कोलायत)-बीकानेर, जैतारण, मसूदा-ब्यावर; छबड़ा-बारां, हमीरगढ़ (सहाड़ा), बिजोलिया, माण्डलगढ़-भीलवाड़ा, बयाना, रूपवास (बयाना)-भरतपुर, कामां, कुम्हेर-डीग,

क्र.सं.	चिकित्सा संस्थान/कार्य
	बिलाड़ा-जोधपुर, भीनमाल-जालोर, बगरू-जयपुर, डग, पिडावा-झालावाड़, टोडाभीम-गंगापुर सिटी, पावटा-कोटपूतली बहरोड़, सपोटरा-करौली, काशीपुरी (सांगोद)-कोटा, टोडारायसिंह-केकड़ी, तिजारा-खैरथल तिजारा, खीवसर, मेड़ता सिटी-नागौर, सुमेरपुर-पाली, धरियावद-प्रतापगढ़, देवगढ़, आमेट-राजसमंद, जहाजपुर-शाहपुरा, लोसल, रींगस-सीकर, आबूरोड-सिरोही, देवली, मालपुरा, निवाई-टोंक एवं कोटड़ा, झाड़ोल-उदयपुर। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से सैटेलाइट चिकित्सालय में क्रमोन्नयन-गढ़ चूरू-चूरू, सुरसागर-जोधपुर।
3.	नवीन सैटेलाइट चिकित्सालय-विद्याधर नगर, झोटवाड़ा-जयपुर।
4.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नयन-मंगलवाड़-चित्तौड़गढ़; गागरदू-दूदू; सांथा (महवा), श्यामपुरा (लालसोत)-दौसा; खोह-डीग; निवाणा (शाहपुरा), हरमाड़ा, नीदड़, -जयपुर; जयसिंहपुरा (विराटनगर), राजनीता, गोनेड़ा-कोटपूतली बहरोड़; सेखाला, केतुकलां (शेरगढ़), कुड़ी भक्तासनी, चेराई (ओसियां)-जोधपुर; सांगरिया (पिडावा)-झालावाड़; भडौंदाकलां- झुंझुनूं, भूती (आहोर)-जालोर; भैरूदा, खुड़ीकलां (डेगाना)-नागौर; मेहाड़ा (खेतड़ी)-नीमकाथाना; खिंवाड़ा (मारवाड़ जंक्शन)-पाली; सुहागपुरा-प्रतापगढ़; सरदारगढ़ (कुम्भलगढ़), कुंवारिया-राजसमंद; देवपुरा, जावद-सलूमबर; धनूर (श्रीकरणपुर)-श्रीगंगानगर एवं कैलाश नगर-सिरोही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र।
5.	नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-रावां (छबड़ा)-बारां; खारी (गुड़ामालानी)-बाड़मेर; तुहिया, बिलौठी (नदबई)-भरतपुर; बरबोदनिया (सागवाड़ा)-इंगरपुर; चौक (पोकरण)-जैसलमेर एवं दोसोद (नीमराणा)-कोटपूतली बहरोड़
6.	उप स्वास्थ्य केन्द्रों से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नयन- नाकोड़ा (सिवाना)-बालोतरा; अटारी (नदबई)-भरतपुर; अमरगढ़ (जहाजपुर)-शाहपुरा; ममाण-दूदू; खोरंडी-डीडवाना कुचामन; खुशखेड़ा-खैरथल तिजारा; नोरवा (आहोर)-जालोर; चौखा-जोधपुर; लखा (फतेहगढ़)-जैसलमेर; भिलवाड़ी (भवानीमंडी)-झालावाड़; गुडला-करौली; मोर-केकड़ी; सोनेली, चाऊ (जायल)-नागौर; राज्यावास-राजसमंद; सरदार नगर (बनेड़ा)- शाहपुरा एवं झाड़ली (मालपुरा)-टोंक उप स्वास्थ्य केन्द्र।
7.	स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन- सिणधरी (सिवाना)-बालोतरा; बगड़ी नगर (सोजत)-पाली, जेके लोन अस्पताल-जयपुर व मौलासर-डीडवाना सहित 25 स्वास्थ्य केन्द्रों में ठमक बेड संख्या बढ़ाये जाना एवं 15 नये स्वास्थ्य उप केन्द्र खोलना
8.	चरणबद्ध रूप से 300 करोड़ रुपये की लागत से भवन निर्माण- जिला अस्पताल-किशनगढ़-अजमेर, बालोतरा, रतनगढ़-चूरू, दूदू, गंगापुर सिटी, केकड़ी, कुचामन, डीडवाना, नीमकाथाना, फलोदी, कोटा, नोखा-बीकानेर, सलूमबर, सांचौर, शाहपुरा। उप जिला अस्पताल-कुशलगढ़-बांसवाड़ा, वैर-भरतपुर, कोलायत-बीकानेर, तारानगर-चूरू, राजाखेड़ा-धौलपुर, भादरा-हनुमानगढ़, किशनगढ़-रेनवाल-जयपुर, चिडावा-झुंझुनूं, खेतड़ी-नीमकाथाना, मंडरायल-करौली, कपासन-चित्तौड़गढ़, जायल-नागौर व खाटू श्यामजी-सीकर। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-कुण्डल-दौसा, चौथ का बरवाड़ा-सवाई माधोपुर, रास-ब्यावर, जयसिंहपुरा खोर-जयपुर, थांवाला-नागौर व चूपना-प्रतापगढ़, बुचावास-दौसा व राशमी-चित्तौड़गढ़ सहित 30 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र।
9.	Repair व maintenance सम्बन्धी कार्य-विभिन्न चिकित्सा संस्थानों यथा-जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल, MCH, CHC आदि के लिए चरणबद्ध रूप से 2 वर्षों में 150 करोड़ रुपये की लागत से।

C. आयुष चिकित्सा सुविधा-

क्र.सं.	आयुष चिकित्सा सुविधा
1.	अजमेर में आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना, महावा-दौसा में आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय
2.	ब्यावर, दूद, डीग, डीडवाना-कुचामन, सांचौर, नीमकाथाना, गंगापुर सिटी व केकड़ी में पूर्व में संचालित (Hospitals) आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी औषधालय/चिकित्सालयों को चरणबद्ध रूप से जिला आयुष चिकित्सालयों में क्रमोन्नत
3.	Electropathy विधा के सम्बन्ध में परीक्षण कर नियम बनाने की कार्यवाही की जायेगी।

- प्रदेशवासियों को बेहतर मेडिकल कन्सल्टेंसी उपलब्ध कराने, समस्त स्वास्थ्य सम्बन्धी रिकॉर्ड उन्हें ऑनलाइन उपलब्ध कराने, चिकित्सालयों में लग रही कतारों, प्रतीक्षा समय में कमी लाने तथा चिकित्सा क्षेत्र में डेटा आधारित रिसर्च की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन प्रारम्भ किया जाएगा। मिशन के अन्तर्गत प्रदेशवासियों का पीएचसी स्तर पर स्वास्थ्य परीक्षण कर ई-हेल्थ रिकॉर्ड भी बनाया जाएगा।
- प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए एक हजार 500 चिकित्सकों तथा 4 हजार नर्सिंग कर्मियों के नये पदों का सृजन किया जायेगा। साथ ही, राजमेस के अन्तर्गत भी राज्य सरकार के नियमों को अडॉप्ट किया जायेगा।
- दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को राहत देने के लिए 'मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल सम्बल योजना' प्रारम्भ कर 5 हजार रुपये मासिक सहायता दी जाएगी।
- थैलेसीमिया से पीड़ित व्यक्तियों के उपचार हेतु हिमोटोलॉजिकल सेंटर की स्थापना के साथ ही, मरीजों को बिना रिफ्लेसमेंट रक्त संचरण की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु 10 नए रक्त संग्रहण एवं परिवहन वाहन उपलब्ध करवाये जायेंगे।



- अजमेर, भरतपुर, केलवाड़ा-बारां, उदयपुर की औषधि निर्माण रसायन शालाओं का ऑटोमेशन करते हुए नवीन मशीनें स्थापित की जायेंगी। इन पर 15 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा। साथ ही, आयुर्वेद दवाइयों की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जायेगा।

- स्तन कैंसर की जांच हेतु मोबाइल वैनस की संख्या बढ़ाते हुए चरणबद्ध रूप से प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालय पर उपलब्ध करवायी जायेंगी। साथ ही, प्राथमिक स्तर की जांच के लिए समस्त एनएनएम एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी ट्रेनिंग दी जाएगी।
- प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन के लिए चिकित्सा संस्थानों के अपग्रेडेशन, स्थापना, भवन निर्माण एवं रिपेयर व मेन्टेनेन्स तथा आयुष चिकित्सा सुविधा कार्य करवाये जायेंगे। ये कार्य हैं-

क्र.सं.	चिकित्सा संस्थान/कार्य
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों से जिला चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन- खीवसर-नागौर
2.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों से उप जिला चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन- छोटी सादड़ी-प्रतापगढ़, देचू-फलौदी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों से सैटेलाइट चिकित्सालय में क्रमोन्नयन- अकलेरा (मनोहरथाना)-झालावाड़ शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से सैटेलाइट चिकित्सालय में क्रमोन्नयन-कोटड़ा-अजमेर नवीन सैटेलाइट-करौली
3.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नयन- गुन्दोज-पाली, टीगाल (नवलगढ़)-झुंझुनू, देवरी-बारां, भाड़ीती- सवाई माधोपुर
4.	नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र- चान्दारुण (डेगाना)-नागौर, अनन्तपुरा-जैतपुरा (चौमू)-जयपुर
5.	उप स्वास्थ्य केन्द्रों से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नयन- भीमगढ़ (राशमी), आक्वा-चित्तौड़गढ़, नेगडिया खेड़ा (सहाड़ा)- भीलवाड़ा, चन्दीपुर (मनोहरथाना)-झालावाड़, राजमथाई (पोकरण)- जैसलमेर, बगड़ी (लक्ष्मणगढ़)-सीकर, नकोर (धमोतर)-प्रतापगढ़
6.	नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र- आछोजाई (डेगाना)-नागौर, शिवनाथसिंह नगर (पोकरण)-जैसलमेर, मुले का तला-बाड़मेर
7.	बेड क्षमता एवं भवन निर्माण- सामुदायिक चिकित्सालय भिनाय-केकड़ी की बेड क्षमता 50 करना; जिला चिकित्सालय-बारां के आईपीडी ब्लॉक का जीर्णोद्धार कार्य
8.	ट्रोमा सेंटर-शाहपुरा; सिकराय-दौसा, फतहनगर व मावली-चित्तौड़गढ़ के मध्य
9.	आयुर्वेद औषधालय, भीम-राजसमंद का चिकित्सालय में क्रमोन्नयन

- प्रदेश में Super-Speciality चिकित्सा को नये आयाम देने के लिए RUHS (Rajasthan University of Health Sciences) का उन्नयन कर AIIMS दिल्ली की तर्ज पर Rajasthan Institute of Medical Sciences (RIMS) की स्थापना की जाएगी। इस पर चरणबद्ध रूप से 750 करोड़ रुपये व्यय होंगे।
- प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन के लिए विभिन्न चिकित्सा संस्थानों की स्थापना एवं क्रमोन्नयन किया जायेगा। ये संस्थान हैं:-

क्र.सं.	चिकित्सा संस्थान/आयुष संस्थान
1.	उप जिला चिकित्सालय से जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नयन- मालपुरा-टोंक
2.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नयन- अनूपगढ़
3.	जी.एन.एम. नर्सिंग कॉलेज-अजमेर
4.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नयन- इटावा, रामगंजमण्डी-कोटा
5.	सैटेलाइट चिकित्सालय- सांगरिया-जोधपुर

6.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नयन- सिरौही, नेठराना (भादरा)-हनुमानगढ़, जसवंतगढ़ (लाडनू)-डीडवाना कुचामन, रेण (मेड़ता)-नागौर, पूनमनगर-जैसलमेर, भाड़ीती-सवाई माधोपुर, भाद्राजून (आहोर)-जालौर, ताल (देवगढ़)-राजसमंद, भण्डारी (सिकराय)-दौसा व शिवाजी पार्क (शहरी पीएचसी)-अलवर
7.	नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-जावली (लक्ष्मणगढ़)-अलवर
8.	उप स्वास्थ्य केन्द्रों का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नयन- बांसेडा व उनियारा खुर्द (टोडारायसिंह)-केकड़ी, भन्दर (बाली)-पाली, रायमला-जैसलमेर व मेलबा (धवा), मणाई (केरू)-जोधपुर
9.	नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र- गुलासर (खींवरसर)-नागौर
10.	बेड क्षमता वृद्धि- जिला चिकित्सालय-डीडवाना की बेड क्षमता बढ़ाकर 300 करना सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पल्लू-हनुमानगढ़ एवं डाबी-बूंदी में 30 से 50 बेड क्षमता
11.	ट्रोमा सेंटर- कल्याणपुर (पचपदरा)-बालोतरा व रायसर (जमवारामगढ़)-जयपुर
12.	आयुष विंग- राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (RUHS)-जयपुर में आयुष विंग की स्थापना आयुर्वेदिक औषधालय-खखावली (नगर)-डीग

- श्रीगंगानगर व मेडिकल कॉलेज-कोटा में कैंसर मरीजों की सुविधा के लिए अत्याधुनिक Linear Accelerator Machines उपलब्ध करवायी जायेगी।
- समुचित परीक्षण उपरान्त, हमारी गत सरकार के कार्यकाल में लाये गये राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति अधिनियम, 2018 के अन्तर्गत Electropathy Board का गठन किया जाकर प्रथम चरण के रूप में 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा।

सड़क सुरक्षा

- प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं एवं उनसे होने वाली मृत्यु में कमी लाने तथा सड़क सुरक्षा की दृष्टि से-
 - वर्तमान में निष्क्रिय पड़े ट्रोमा सेंटरों में से इस वर्ष 10 सेंटरों को आवश्यक उपकरण एवं चिकित्साकर्मी उपलब्ध करा ऑपरेशनल किया जायेगा। साथ ही, आरयूएचएस-जयपुर, कोलाना (बांटीकुई)-दौसा, साण्डेराव, देसूरी-पाली व प्रतापगढ़ सहित 6 नये ट्रोमा सेंटरों स्थापित किये जायेंगे। राजमार्गों पर दुर्घटनाओं के दौरान मानव जीवन बचाने हेतु 25 अतिरिक्त एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज भी उपलब्ध करवायी जायेंगी।
 - रोड सेफ्टी हेतु विभिन्न विभागों में समन्वय सुनिश्चित कर त्वरित कार्यवाही सम्पादित करने की दृष्टि से प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। साथ ही, सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल पहुंचाकर जीवन रक्षा करने वाले गुड सेमेरिटन को देय प्रोत्साहन राशि को 5 हजार रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये किया जायेगा।
 - पीएम गतिशक्ति योजना के अंतर्गत जयपुर-दिल्ली एवं जयपुर-भरतपुर राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच-48 व एनएच-21) के साथ ही 4 स्टेट हाईवेज पर इंटेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा।

- प्रदेश में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ किये जाने तथा यातायात को सुगम बनाये जाने की दृष्टि से विभिन्न कार्य करवाये जायेंगे। ये कार्य हैं

क्र.सं.	सड़क सुरक्षा एवं यातायात सम्बन्धी कार्य
1.	परिवहन विभाग में mobility सुधार के साथ ही 25 नई Flying Squads गठित किये जाने हेतु 100 वाहन क्रय किये जाना
2.	प्रत्येक जिले में नवीनतम Technology आधारित Automated Driving Test Track (ADTT) के संचालन हेतु 15 करोड़ रुपये का प्रावधान
3.	सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु Identified 30 black spots एवं 4 high accident prone corridors का सुधार कार्य
4.	Stage Carriage वाहनों का coverage बढ़ाने के लिए उपनगरीय श्रेणी के 40 नये मार्ग

सामाजिक सुरक्षा

- आज की सरकार की प्राथमिकता है-“वंचितों को वरीयता।”
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विकास एवं सशक्तीकरण के लिए प्रावधित एससीएसपी, व टीएसपी फण्ड्स की एक-एक हजार करोड़ रुपये की राशि को बढ़ाकर एक हजार 500 करोड़ रुपये किया जाएगा।
- दूरस्थ क्षेत्रों तथा वंचित वर्ग के हेबिटेन्स में भी सभी बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराए जाने के क्रम में, प्रथम चरण के रूप में 10 हजार से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में वंचित वर्ग की आबादी की आधारभूत संरचनाओं यथा इंटरनल रोड, पेयजल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आदि के लिए 200 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ बाबा साहेब अम्बेडकर आदर्श ग्राम विकास योजना प्रारम्भ की जाएगी।
- प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र में निवासरत जनजाति के परिवारों के समग्र विकास के लिए 75 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ गोविन्द गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना शुरू की जाएगी। इसके अन्तर्गत आदिवासियों के जल-जंगल-जमीन से जुड़ाव को दृष्टिगत रखते हुए वन क्षेत्र में सामुदायिक पट्टे कम्यूनिटी फोरेस्ट राइट्स दिए जाकर कम्यूनिटी सेंटर, आंगनबाड़ी, एग्रो फोरेस्ट्री, चरागाह विकास तथा अन्य सामुदायिक कार्य करवाये जायेंगे।
- शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सम्पूर्ण देश के लिए लागू की गई 'प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना' की तर्ज पर प्रदेश में शहरी क्षेत्रों एवं कस्बों में स्ट्रीट वेंडर्स के साथ ही अन्य जरूरतमंद एवं असहाय परिवारों के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना लागू की जाएगी।
- प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लाभार्थियों को राहत दिये जाने के उद्देश्य से 25 हजार रुपये प्रति लाभार्थी अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा।
- स्थायी आश्रय और आवास से वंचित डीनोटीफाइड ट्राइब्स के परिवारों हेतु मुख्यमंत्री धुमन्तू आवासीय योजना लागू होगी। इसके साथ ही, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 30 जनवरी, 2024 को राज्यपाल अभिभाषण पर



सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों को बड़ी हुई पेंशन राशि का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में वृद्धि

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जरूरतमंदों को आर्थिक संबल व उन्हें मुख्य धारा से जोड़े रखने के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का दायरा बढ़ाने के साथ ही पेंशन राशि में भी बढ़ोतरी की है। उन्होंने राज्य स्तरीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन वृद्धि की राशि हस्तांतरण कार्यक्रम में बटन दबाकर प्रदेश के 88 लाख से अधिक पेंशनरों के बैंक खातों में 1 हजार 37 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की। अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में राशि को 1 हजार रुपए से बढ़ाकर 1150 रुपए कर दिया गया है और इसमें चरणबद्ध रूप से वृद्धि भी की जाएगी।

बहस का उत्तर देते समय की गई पाक विस्थापितों को आवास उपलब्ध कराने की घोषणा के क्रम में ऐसे परिवारों हेतु भी एक लाख रुपये प्रति परिवार की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

- आज ई-कॉमर्स तथा ऑनलाइन सेवा प्रदायगी का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है तथा अधिक से अधिक युवा इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर पा रहे हैं। किन्तु, इन देश-विदेश की बड़ी कम्पनियों द्वारा इन युवाओं की सामाजिक सुरक्षा तथा उन्नति का समुचित प्रबन्ध नहीं किया जाता है। ऐसे युवाओं को संबल प्रदान करने के लिए इन कम्पनियों से प्रति ट्रांजेक्शन सोशल सिक्वोरिटी चार्ज लेते हुए 250 करोड़ रुपये की निधि का गठन किया जाएगा।
- माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का यह स्पष्ट अभिमत रहा है कि देश में आर्थिक रूप से पिछड़ा परिवार, चाहे किसी भी वर्ग से आता हो, उसे संबल प्रदान करना, लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनी हुई सरकार का प्रथम दायित्व है। इसी क्रम में ईडब्ल्यूएस वर्ग के युवाओं की शिक्षा एवं रोजगार, बालिकाओं के संबलन तथा परिवारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा।
- प्रदेश के विभिन्न वर्गों के उत्थान एवं राहत प्रदान करने हेतु-
 - I. अनुसूचित जाति/जनजाति विकास निगम, अन्य पिछड़ी जाति विकास निगम एवं अल्पसंख्यक विकास निगम के माध्यम से एएससी, एसटी, ओबीसी, सफाई कर्मचारी, अल्पसंख्यक समुदाय एवं दिव्यांगजन के जरूरतमंद परिवारों को रियायती दर पर ऋण उपलब्ध करवाने के लिए सरकार द्वारा इन निगमों को 100 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध करवाई जायेगी।

II. साथ ही, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के व्यक्तियों को भी रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाने हेतु 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा।

- राज्य सरकार बालिका के जन्म लेने के साथ ही उसके संबलन हेतु सशक्त कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आने वाले लगभग 36 लाख बच्चों को उचित पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने हेतु सप्ताह में 3 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। इस हेतु क्रय किये जाने मिल्क पाउडर पर 200 करोड़ रुपये वार्षिक व्यय किये जायेंगे।
- प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रों के विकास व विस्तार तथा आधारभूत सुविधायें विकसित किये जाने के लिए-
 - I. प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5-5 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जायेंगे।
 - II. प्रदेश में चरणबद्ध रूप से प्रत्येक आंगनबाड़ी में शुद्ध पेयजल, बिजली एवं बच्चों को गरम पोषाहार उपलब्ध कराने हेतु गैस की व्यवस्था की जायेगी। इस क्रम में, प्रथम चरण में इस वर्ष 2 हजार केन्द्रों का आदर्श आंगनबाड़ी के रूप में उन्नयन किया जायेगा। इस पर लगभग 40 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।
- जनजाति समुदाय के बच्चों हेतु 250 नवीन माँ-बाड़ी केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।
- महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण व आजीविका संवर्द्धन के लिए
 - I. 'लखपति दीदी योजना' के अन्तर्गत इस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य को 5 लाख से बढ़ाकर कर 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया जाएगा।

- II. हमने 5 वर्षों में 2 लाख नए सेल्फ हेल्प ग्रुप के गठन का संकल्प लिया है। प्रथम चरण में, इस वर्ष 25 हजार समूहों को रिवाँल्विंग फण्ड एवं 15 हजार समूहों को आजीविका संवर्धन राशि कम्यूनिटी इन्वेस्टमेंट फण्ड उपलब्ध करवाते हुए 40 हजार नवीन एसएचजी गठित किये जायेंगे। इस पर लगभग 300 करोड़ रुपये का व्यय होगा।
 - III. एसएचजी की महिलाओं को राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कॉर्पोरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के माध्यम से विभिन्न योजनाओं में 300 करोड़ रुपये का ऋण रियायती दर-2.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर दिया जाएगा।
 - IV. जिला स्तर पर चरणबद्ध रूप से कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल एवं पेइंग गैस्ट सुविधा उपलब्ध करवायी जाने के लिए 35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जायेगा।
 - V. बालिकाओं को अधिक संख्या में सेना, अर्द्ध सैनिक बलों एवं पुलिस में जाने हेतु आवश्यक सुविधायें देने की दृष्टि से संभागीय स्तर पर चरणबद्ध रूप से बालिका सैनिक स्कूल स्थापित किये जायेंगे।
- प्रदेश में विशेष योग्यजन को संबल प्रदान करने की दृष्टि से-
 - I. दिव्यांगजन को 20 हजार रुपये तक के आर्टीफिशियल लिम्ब्स, इक्विपमेंट उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु कार्यरत संस्थाओं के माध्यम से शिविर आयोजित किये जायेंगे। इससे लगभग 50 हजार दिव्यांगजन लाभान्वित होंगे।
 - II. इंटैल्क्चुअल डिसेबिलिटी वाले विशेष लर्निंग किट्स, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को एआई/एआर आधारित स्मार्ट ग्लासेज तथा श्रवणबाधित विद्यार्थियों को डिजिटल हियरिंग एड्स उपलब्ध करवाये जायेंगे।
 - III. साथ ही, युवा दिव्यांगों को संबल प्रदान करने की दृष्टि से 2 हजार दिव्यांगजन को स्कूटी की जाएगी।
 - रेयर डिजीज से ग्रसित व्यक्तियों के लिए राहत पैकेज के अन्तर्गत
 - I. प्रदेश में 50 करोड़ रुपये की राशि से रेयर डिजीज फण्ड बनाया जाएगा।
 - II. मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित व्यक्तियों को इलेक्ट्रिकल, पॉवर, व्हील चेयर हेतु एक लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।
 - III. मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी से ग्रसित रोगी के साथ सहयोगी को रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जायेगी।
 - दिव्यांगजनों एवं वंचित वर्गों की सुविधाओं का उन्नयन करने हेतु वर्तमान में संचालित जामडोली-जयपुर परिसर का विस्तार व सुदृढीकरण करते हुए 'स्वयंसिद्धा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' स्थापित किया जाएगा। इस हेतु चरणबद्ध रूप से 200 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा। इसके साथ ही, संभाग स्तर पर वृद्ध एवं असहाय व्यक्तियों की देखभाल, संरक्षण व पुनर्वास हेतु 50-50 क्षमता के 'स्वयंसिद्धा आश्रम' स्थापित किये जाएंगे।

लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान कर बढ़ाया मान



“ भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आपातकाल एक काली रात के रूप में जाना जाता है। 25 जून, 1975 को तत्कालीन सरकार ने देश में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र का दम घोट दिया था। ये आपातकाल 21 माह तक चला और भारतीय लोकतंत्र पर कभी न मिटने वाला धब्बा छोड़कर चला गया। भारतीय लोकतंत्र के उस कठिन दौर में लोकतंत्र सेनानियों ने अपने अदम्य साहस और संघर्ष के साथ लोकतंत्र की ज्योति को प्रज्वलित रखा। इन महान विभूतियों ने निरंकुश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया, जेल की यातनाएं सही, प्रताड़नाओं का सामना किया, मगर अपना सिर नहीं झुकाया। ”

-श्री भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री

- स्वतंत्रता सेनानियों को वर्तमान में देय सम्मान पेंशन राशि 50 हजार रुपये को बढ़ाकर अब 60 हजार रुपये प्रतिमाह किया जाएगा। साथ ही, द्वितीय विश्व युद्ध के शहीदों की पेंशन राशि को 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रतिमाह किया जाएगा।
- 'प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना' के अंतर्गत दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को देय राशि 6 हजार 500 रुपये को बढ़ाकर 10 हजार रुपये किया जाएगा।
- राजीविका के अंतर्गत संचालित संकुल स्तरीय संगठनों के लिए कार्यालय भवन निर्माण, मरम्मत एवं नवीनीकरण हेतु विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एवं राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत 100 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे।
- प्रदेश में ओपन बोरवैल के अन्दर गिरकर किसी शिशु, बालक को अपने प्राण न गंवाने पड़ें, इस दृष्टि से समस्त पुराने तथा नये खुदने वाले बोरवैल की एन्ट्री, ऑनलाइन पोर्टल पर किया जाना अनिवार्य किया जायेगा तथा प्रत्येक बोरवैल के लिए जिम्मेदारी भी निर्धारित की जाएगी।
- सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य का समुचित ध्यान रखने की दृष्टि से आरजीएचएस के अन्तर्गत लंग्स, किडनी एवं स्किन आदि से सम्बन्धित बीमारियों के विशेष पैकेज निःशुल्क उपलब्ध करवाये जाएंगे।

- जरूरतमंद परिवारों की महिलाओं को संबल प्रदान करने के लिए 'प्रधानमंत्री उज्वला योजना' तथा BPL श्रेणी के परिवारों को 450 रुपये मात्रा में LPG Cylinder उपलब्ध कराया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल के कारण सम्भव हुई इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए सभी राशन गेहूँ प्राप्त करने वाले परिवारों अर्थात् NFSA के लाभान्वितों को 450 रुपये में LPG Cylinder उपलब्ध करवाया जाएगा।
- PM Awas Yojana 2.0 के अन्तर्गत प्रदेश के 2 लाख से अधिक अल्प आय एवं मध्यमवर्ग के शहरी परिवारों को चरणबद्ध रूप से लाभान्वित किया जाएगा।
- अधिसूचित कच्ची बस्तियों में पक्के आवासों से वंचित निवासरत परिवारों को स्वयं का पक्का आवास उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से 'आश्रय योजना' (Atal In-situ Slum Housing Redevelopment Yojana-ASHRY) शुरू कर स्वयं के पक्के आवास निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा एक लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस पर 50 करोड़ रुपये व्यय होंगे।



- माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सुशासन के सम्बन्ध में कहा है- "हमने सत्ता के माइंडसेट को भी बदला है। हम सेवा का माइंडसेट लेकर आये हैं। हमने गरीब कल्याण को अपना माध्यम बनाया है। हमने तुष्टिकरण नहीं बल्कि सन्तुष्टिकरण को अपना आधार बनाया है।"
- प्रदेश में सुशासन स्थापित करने हेतु प्रशासनिक तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए-
 - I. प्रशासन की मोबिलिटी बढ़ाने हेतु विभिन्न विभागों में इस वित्तीय वर्ष में 250 वाहन उपलब्ध करवाये जायेंगे।
 - II. साथ ही, विभिन्न विभागों में एफिशिएंसी एवं ट्रांसपैरेंसी बढ़ाने के लिए कार्यालयों तथा कार्मिकों को उपलब्ध कराये जाने वाले आईटी इक्युपमेंट्स यथा डेस्कटॉप्स, प्रिंटर, लैपटॉप्स एवं टेबलेट्स के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।
 - III. जिला स्तर पर आमजन को समस्त विभागों से सम्बन्धित सेवा एवं समस्याओं के लिए एक ही स्थान पर सम्पर्क एवं सुनवाई हो सके, इसके लिए प्रारम्भिक रूप में भरतपुर में इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स कम सर्विस सेंटर के रूप में कर्मशिला भवन का निर्माण किया जाएगा।
 - IV. समस्त जिला मुख्यालयों के साथ ही अन्य प्रमुख स्थानों पर चिकित्सा सुविधा, एमरजेंसी रेस्पॉन्स एवं पर्यटन की दृष्टि से एयर ट्रेवल को सुगम करने के लिए हैलिपेड्स का निर्माण कराया जायेगा।
 - V. प्रदेश के छोटे नगरीय निकायों में भी समस्त आवश्यक जन सुविधायें उपलब्ध करवाने की दृष्टि से इनका वित्तीय सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।
 - VI. नगरीय एवं ग्रामीण निकायों तथा सहकारी संस्थाओं की संरचना में आबादी के विस्तार को देखते हुए आवश्यक परिवर्तन का आंकलन कर नगरीय एवं ग्रामीण निकायों के गठन तथा परिसीमन

(Delimitation) के सम्बन्ध में अभिंसा देने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। साथ ही, इस समिति द्वारा धन, श्रम एवं समय की बचत के साथ ही नगरीय निकाय तथा पंचायतीराज संस्थाओं के सशक्तीकरण की दृष्टि से "वन स्टेट-वन इलेक्शन" की अवधारणा का परीक्षण भी किया जाएगा।

- VII. क्षेत्रीय कार्यालयों के कवरेज के उन्नयन के लिए विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों, कार्यालयों की स्थापना, क्रमोन्नयन किया जायेगा। ये इकाइयाँ, कार्यालय हैं-

क्र.सं.	इकाइयों/कार्यालयों की स्थापना/क्रमोन्नयन
1.	ऊर्जा विभाग- जालबेरी (धौरीमन्ना)-बाड़मेर, महाजन (लूणकरणसर)-बीकानेर, मारोठ-डीडवाना कुचामन, माथोराजपुरा (चाकसू), झोटवाड़ा-जयपुर, भद्राजून (आहोर)-जालौर, चिमाणा-फलौदी, श्रीनगर (नसीराबाद)-अजमेर एवं मसूदा-ब्यावर में सहायक अभियंता (विद्युत) कार्यालय व डीडवाना शहर में सहायक अभियंता (विद्युत) (ग्रामीण) कार्यालय तथा माण्डलगढ़-भीलवाड़ा में सहायक अभियंता (विद्युत) को अधिशाषी अभियंता में क्रमोन्नयन नावां-डीडवाना कुचामन में अधिशाषी अभियंता (विद्युत) का कार्यालय
2.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग- झोटवाड़ा, कोटखावादा-जयपुर, तिवरी (ओसियां)-जोधपुर, मण्डावर- दौसा व मनोहरथाना-झालावाड़ में सहायक अभियंता कार्यालय; सागवाड़ा-डूंगरपुर में खण्ड कार्यालय
3.	परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग- बिलाड़ा-जोधपुर में उप जिला परिवहन कार्यालय
4.	खान विभाग- बीकानेर में अतिरिक्त निदेशक (खान) तथा गंगापुर-भीलवाड़ा व जैतारण-ब्यावर में सहायक अभियंता (खनिज) कार्यालय
5.	राजस्व इकाइयों का गठन/ क्रमोन्नयन एवं निर्माण- <ol style="list-style-type: none"> i. श्रीगंगानगर में मिनी सचिवालय ii. राहूवास (लालसोट)-दौसा एवं विवेक विहार-जोधपुर में उपखंड कार्यालय iii. बगरू-जयपुर, नाचना (पोकरण), झिनझिनयाली-जैसलमेर, डिग्गी (मालपुरा)-टोंक, गिलुण्ड-राजसमंद एवं नाई (बारापाल) -उदयपुर उप तहसीलों को तहसीलों में क्रमोन्नयन iv. नाथडाऊ (शेरगढ़)-जोधपुर को तहसील; v. बेढम (नगर)-डीग को उप तहसील बनाया जायेगा।
6.	नगरीय इकाइयों का गठन व क्रमोन्नयन- <ol style="list-style-type: none"> i. लाम्बाहरिसिंह, डिग्गी (मालपुरा), पीपलू-टोंक, मसूदा-ब्यावर, चौहटन, गुडामालानी-बाड़मेर लूणकरणसर, नापासर- बीकानेर, सोजत रोड-पाली, नारायणपुर (बानसूर), मांढण- कोटपूतली-बहरोड़, जमवारामगढ़-जयपुर, सायला-जालौर, कुड़ी भक्तासनी-जोधपुर, बिजोलिया-भीलवाड़ा, डूण्डलोद व जाखल (नवलगढ़), सुल्ताना-झुंझुनू, मेड़ता रोड-नागौर एवं धोद-सीकर को नगर पालिका ii. लोसल-सीकर, तारानगर-चूरू, महावा व बांदीकुई-दौसा नगर पालिका का उच्च श्रेणी में क्रमोन्नयन iii. पुष्कर-अजमेर, लालसोट-दौसा व शाहपुरा-जयपुर की नगर पालिका का नगर परिषद् में क्रमोन्नयन iv. पाली व भीलवाड़ा नगर परिषद् का नगर निगम में क्रमोन्नयन किया जायेगा।

- क्षेत्रीय कार्यालयों के कवरेज के उन्नयन के लिए विभिन्न प्रशासनिक, पुलिस इकाइयों एवं न्यायालयों की स्थापना व क्रमोन्नयन किया जायेगा। ये इकाइयाँ/न्यायालय हैं-



क्र.सं.	इकाइयों / कार्यालयों की स्थापना/क्रमोन्नयन
1.	ऊर्जा विभाग- गोल्याणा (नवलगढ़)-झुंझुनू में नया सहायक अभियंता (ग्रामीण)(विद्युत) का कार्यालय
2.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग- नाथडाऊ में सहायक अभियंता (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी) एवं सिवाना-बालोतरा में अधिशाषी अभियंता (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी) का कार्यालय
3.	सार्वजनिक निर्माण विभाग- तिजारा में उपखण्ड कार्यालय (सार्वजनिक निर्माण) का खण्ड कार्यालय में क्रमोन्नयन
4.	नवीन नगर पालिका- टांटोटी-केकड़ी, तिंवरी (ओसियां)-जोधपुर, धौरीमन्ना-बाइमेर नगर पालिका का उच्च श्रेणी में क्रमोन्नयन- नगर-डीग नगर पालिका
5.	पुलिस थाना-अजमेर (दक्षिण), भिवाड़ी (साइबर थाना), बंध बरेठा (बयाना)-भरतपुर पुलिस चौकी जैरोली-भिवाड़ी का पुलिस थाने में क्रमोन्नयन
6.	पुलिस चौकी- बासबुर्जा-डीग नई सड़क दरगाह-अजमेर अस्थायी पुलिस चौकी को स्थायी पुलिस चौकी
7.	अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय- छोटी सादड़ी-प्रतापगढ़
8.	ऊर्जा विभाग- कनिष्ठ अभियंता कार्यालय का सहायक अभियंता (विद्युत) में क्रमोन्नयन-चला-नीमकाथाना सहायक अभियंता (विद्युत) कार्यालय-साण्डेराव (सुमेरपुर)-पाली, चौखा (लूणी)-जोधपुर, पूगल (खाजूवाला)-बीकानेर, रानपुर (रीको) अधिशाषी अभियंता (विद्युत) कार्यालय-सुमेरपुर शहर-पाली, कटूमर-अलवर
9.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग- सहायक अभियंता (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी) कार्यालय- सीकरी-डीग व भिवाड़ी अधिशाषी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी) कार्यालय- नगर-डीग, सांगोद-कोटा
10.	राजस्व विभाग- उप तहसील कार्यालय-भीरानी (भादरा)-हनुमानगढ़, खोहरामुल्ला (महवा)-दौसा उप तहसील का तहसील में क्रमोन्नयन- भैरूदा-नागौर, जयसमंद-सलूमबर
11.	सांख्यिकी एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय- शेष रही पंचायत समितियों में ब्लॉक कार्यालय
12.	नवीन नगर पालिका-खण्डार-सवाई माधोपुर, घड़साना-अनूपगढ़, पहाड़ी-डीग, सिणधरी-बालोतरा
13.	नवीन पुलिस चौकी-सुकेत रोड (रामगंजमंडी)-कोटा, बराखन (टाटगढ़)-ब्यावर नवीन पुलिस थाना-जामडौली-जयपुर पुलिस चौकी का पुलिस थाने में क्रमोन्नयन-ताथेड (लाडपुरा)-कोटा
14.	अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय का कैम्प कोर्ट-सांगोद-कोटा अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय- उनियारा-टोंक व चौहटन-बाइमेर

- आमजन को सुलभ एवं पारदर्शी रूप से सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए स्मार्ट सिस्टम के माध्यम से ऑटोमेटेड सर्विस डिलीवरी की दिशा में कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। इसी क्रम में, इस वर्ष प्रथम चरण में सिंगल विन्डो-सेम डे सर्विस डिलीवरी स्थापित करते हुए विभिन्न विभागों की 25 सेवायें 24 घंटों में प्रदान की जाएंगी।
- स्मार्ट सिस्टम प्लेटफॉर्म के अन्तर्गत इन्डीविजुअल्स, फेमिलीज तथा ऑगैनाइजेशन्स का पूर्ण प्रोफाइल संधारित करने के लिए डेटा लेक की स्थापना भी की जा रही है। इन डेटा प्रोफाइल को सिक्योरिटी व कन्सेन्ट बेस्ड मैकेनिज्म से मल्टी स्टेक होल्डर एनवायरमेंट में शेयर करने के लिए देश का प्रथम डेटा एक्सचेंज- राजडैक्स बनाया जाएगा। यह डेटा एक्सचेंज, राजकीय विभागों, उपक्रमों के साथ-साथ निजी क्षेत्र में भी सोशल मॉनेटाइजेशन के आधार पर डेटा उपलब्ध कराने का एकमात्र प्लेटफॉर्म होगा। साथ ही, डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर-जोधपुर का उन्नयन किया जायेगा।
- युवाओं को नशे की लत लगे ही नहीं, इसके लिए जरूरी है कि नशीले पदार्थों के स्रोत व अवैध कारोबार को रोका जाये। इस दृष्टि से नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए फोर्स का गठन किया जाएगा।



- आम आदमी को सिविक एमेनिटीज व बेहतर सर्विस डिलीवरी उपलब्ध कराने के साथ यह भी आवश्यक है कि आमजन को बिना भय एवं दबाव के ये सुविधायें मिल सकें। इसके लिए कुशल प्रशासन के साथ-साथ मजबूत कानून व्यवस्था की भी आवश्यकता है। इसको ध्यान में रखते हुए-
 - प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने एवं अपराध नियंत्रण सुनिश्चित करने हेतु पुलिस में 5 हजार 500 नये पदों का सृजन किया जाएगा। इसके अन्तर्गत जयपुर पुलिस आयुक्तालय में पृथक से सिक्कूरिटी पुलिस फोर्स हेतु भी व्यवस्था की जायेगी।
 - राजस्थान सशस्त्र बल के अन्तर्गत-पद्मिनी, कालीबाई व अमृतादेवी महिला पुलिस बटालियनों की स्थापना कर आधारभूत सुविधायें उपलब्ध करवायी जायेगी।
 - प्रदेश में बच्चियों एवं महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़, अप्रिय घटना की रोकथाम हेतु गठित निर्भया स्कॉयड का सुदृढीकरण एवं विस्तार करते हुए 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स का गठन किया जाएगा। प्रथम चरण में, इस वर्ष 250 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स का गठन किया जायेगा।
 - प्रदेश में जयपुर, जोधपुर व कोटा जैसे बड़े शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ एक लाख से अधिक आबादी वाले नगरीय क्षेत्रों में ट्रैफिक की समस्या का समाधान करने की दृष्टि से चरणबद्ध रूप से ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था में वृद्धि करते हुए एक हजार 500 पुलिस कर्मी, ट्रैफिक वॉलेंटियर्स अतिरिक्त उपलब्ध करवाये जाएंगे।
 - पुलिस को और अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने हेतु संचार व्यवस्था, तकनीकी उपकरण तथा आर्म्स-एम्पूनिशन्स उपलब्ध कराने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान है। साथ ही, पुलिस मोबिलिटी हेतु लगभग 750 मोटरसाइकिल एवं 500 हल्के वाहन भी उपलब्ध कराए जाएंगे।
 - 1 जुलाई, 2024 से लागू नये क्रिमिनल लॉज के प्रावधानों की पूर्ति के लिए आवश्यक आईटी इक्युपमेंट्स उपलब्ध कराने के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जायेगा।
 - प्रदेश के फॉरेन्सिक सिस्टम को मजबूत करने के लिए कोटा, बीकानेर एवं भरतपुर में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालायें सुदृढ करते हुए उनमें रसायन खण्ड भी स्थापित किये जाएंगे।
 - प्रदेश के जेलों में बंदियों की लिविंग कंडीशन्स में सुधार तथा उनके स्किल अपग्रेडेशन के लिए आवश्यक कार्यक्रम चलाने के लिए इस वर्ष 25 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
 - प्रदेश में कानून एवं न्यायिक तंत्र के विस्तार एवं सुदृढीकरण के लिए पुलिस थाने, पुलिस कार्यालय, आधारभूत सुविधायें विकसित करने के साथ ही विभिन्न न्यायालय खोले, क्रमोन्नत किये जायेंगे। ये इकाइयां, कार्यालय हैं-

A. पुलिस इकाई/कार्यालय-

क्र.सं.	पुलिस इकाइयां/कार्य
1.	महिला थाने-रामगंजमण्डी-कोटा में महिला पुलिस थाने सहित महिला थानों से वंचित प्रत्येक जिले में एक महिला थाना।
2.	पुलिस थाने-हरिभाऊ उपाध्याय नगर (कोटड़ा)-अजमेर, खाटूश्यामजी सदर-सीकर, मौखमपुरा-दूदू, देवीपुरा बणी (नवलगढ़) -झुंझुनू, अंबाडा (चिखली)-इंगरपुर एवं सुमेरपुर-पाली सहित 10 नये पुलिस थाने
3.	पुलिस चौकी से पुलिस थाने में क्रमोन्नयन-चंडावल नगर (सोजत)- पाली, पादरू (सिवाना)-बालोतरा, सामराऊ (ओसियां)-जोधपुर की पुलिस चौकियों का पुलिस थानों में क्रमोन्नयन
4.	नवीन पुलिस चौकी-जाली चौराहा (आसीद)-भीलवाड़ा
5.	पुलिस कार्यालय इकाइयों के निर्माण/मरम्मत कार्य- पुलिस चौकियों, थानों, प्रशासनिक भवनों तथा आवासों के निर्माण एवं मरम्मत हेतु 75 करोड़ (पचहत्तर करोड़) रुपये का प्रावधान

B. विभिन्न न्यायालय -

क्र.सं.	न्यायालय
1.	अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय- बड़ी सादड़ी-चित्तौड़गढ़ कैम्प कोर्ट के स्थान पर अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय
2.	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय-पुष्कर-अजमेर, चिड़ावा-झुंझुनू
3.	विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (भ्रष्टाचार निरोधक एक्ट) न्यायालय- राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बारां व सीकर
4.	विशेष न्यायालय (पोक्सो एक्ट)-चूरू
5.	विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (एनआई एक्ट) न्यायालय-झुंझुनू
6.	उपभोक्ता कैम्प कोर्ट-बांदीकुई-दौसा
7.	भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी का कैम्प कोर्ट-वल्लभनगर-उदयपुर

- राजस्व न्यायालयों के न्यायिक कार्य हेतु ऑनलाइन पोर्टल- राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट मॉडर्नाइजेशन सिस्टम (आरआरसीएमएस) लागू किया जायेगा। इस पर 5 वर्षों में लगभग 50 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। साथ ही, भूमि सीमा ज्ञान, सहमति विभाजन, नामान्तरण, गैर-खातेदारी से खातेदारी, भूमि की लीज आदि नामान्तरण के ऑटो, डीमड निस्तारण हेतु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लागू किया जायेगा।
- राजस्थान पुलिस को बेहतर तकनीकी प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करने के लिए पुलिस दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र का अपग्रेडेशन एवं विस्तार कर राजस्थान पुलिस तकनीकी प्रशिक्षण अकादमी के रूप में स्थापना की जायेगी। साथ ही, पुलिस थानों में एफआईआर से लेकर इन्वेस्टीगेशन तक का कार्य ऑनलाइन सुचारू रूप से हो सके, इस हेतु शेष रहे 202 पुलिस थानों में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।
- प्रदेश में राजस्व एवं कर सम्बन्धी अपीलों के समयबद्ध निस्तारण के लिए संस्थागत सुदृढीकरण करते हुए अजमेर/जयपुर स्थित राजस्व मंडल एवं कर बोर्ड का एकीकरण किया जाएगा।
- प्रदेश में अपराध एवं कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति उत्पन्न होने की स्थिति में तत्काल प्रभावी कार्यवाही सम्भव हो सके, इस दृष्टि से राज्य स्तरीय,

100 seater 'अभय कमांड सेंटर' की स्थापना करते हुए 500 अतिरिक्त Central Mobile दल उपलब्ध करवाये जाएंगे।

- अपराधियों को बिना कोई मौका दिये शीघ्र-अतिशीघ्र पकड़ने की दृष्टि से Police Force की Agility एवं Mobility बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से DG Police एवं सम्बन्धित उच्च अधिकारियों को देय Security Fund (गुप्त सुरक्षा निधि) की राशि को दुगुना किया गया है।
- सुरक्षा के साथ-साथ गश्त व निगरानी के लिए तिजारा-खैरथल में Border Homeguards की एक कम्पनी तैनात की जाएगी।
- केन्द्र सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार के अधिकाधिक अवसर देने के साथ ही देश सेवा का भी जज्बा उत्पन्न करने के लिए अग्निवीर योजना लायी गई। साथ ही, इन अग्निवीर युवाओं को भविष्य को सुरक्षित करने की दृष्टि से केन्द्रीय सशस्त्र बलों में इनकी नियुक्ति की भी व्यवस्था की गई है। इसी तर्ज पर प्रदेश में इन अग्निवीर युवाओं को पुलिस/ RAC /जेल प्रहरी/वनरक्षक में नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान किया जाएगा।
- वर्ष 2024-25 हेतु केन्द्र सरकार के बजट में भूमि सुधारों को और आगे ले जाते हुए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में Land Records के Digitalization हेतु घोषणा की गई है। इसी क्रम में जमाबंदी में भूमि धारक का आधार एवं खसरो हेतु भू-आधार का अंकन किया जाना तथा ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में नक्शों को GIS आधारित किया जाएगा।
- पंजीयन कार्य में गत वर्षों में वृद्धि होने के बाद भी वर्ष 2008 से डीड राइटर्स की भर्ती नहीं हुई है। अब पंजीयन कार्य को समयबद्ध रूप से कर आमजन को राहत देने के साथ ही युवाओं को अतिरिक्त जीविकोपार्जन के अवसर उपलब्ध करवाने की दृष्टि से नियमों का सरलीकरण करते हुए डीड राइटर्स की संख्या दुगुनी कर 5 हजार की जाएगी।
- प्रदेश में उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण की दृष्टि से बाट-माप से सम्बन्धित व्यवस्था का सुदृढीकरण करते हुए नवीन IT Platform की स्थापना तथा Mobile App की सुविधा दी जाएगी।
- प्रदेश में प्रशासनिक कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग के कारण cyber security का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में प्रदेश में साइबर सुरक्षा की दृष्टि से विभिन्न कदम उठाये जायेंगे। ये हैं-

क्र.सं.	साइबर सुरक्षा सम्बन्धी कार्य
1.	Centre of Excellence for Cyber Security के अन्तर्गत Threat Hunting, Digital Forensic एवं Sand Boxing/Simulation की सुविधायें
2.	Data Centre के अन्तर्गत Security Operation Centre (SOC) का उन्नयन
3.	समस्त विभागों/संस्थाओं में honeypot Sensors
4.	केन्द्र के CERT-IN की तर्ज पर राज्य कम्प्यूटर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया संचालन केन्द्र (CSIRT) का गठन

- प्रदेश के विभिन्न विभागों के कार्यालयों/ इकाइयों के भवन निर्माण, मरम्मत तथा अन्य सुविधाओं सम्बन्धी कार्य करवाये जायेंगे। ये कार्य हैं-

क्र.सं.	भवन निर्माण/अन्य सुविधा सम्बन्धी कार्य
1.	स्वास्थ्य इकाइयों के निर्माण सम्बन्धी कार्य- <ul style="list-style-type: none"> उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण-दलतपुरा, मोटलावास (दांतारामगढ़), माधोपुरा, हरीपुरा-सीकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण कार्य-डांसरोली (दांतारामगढ़)-सीकर व बुर्जा (मालाखेड़ा), रसगण (रामगढ़)-अलवर एमडीएम चिकित्सालय-जोधपुर का मरम्मत कार्य BCMO कार्यालय (भीनमाल)-जालोर सीएचसी (रायसिंहनगर)-अनूपगढ़ में एक्सरे व लैब आदि निर्माण, सीएचसी (समेजा कोठी)-अनूपगढ़ में ओपीडी रूम, लैब आदि की मरम्मत
2.	शिक्षा इकाइयों के भवन/कार्यालय निर्माण कार्य- <ul style="list-style-type: none"> पी.जी. कॉलेज-टोंक का पुनर्निर्माण कार्य महाविद्यालय सांभरलेक (फुलेरा)-जयपुर सीबीईओ कार्यालय (खानपुर)-झालावाड़
3.	राजस्व इकाइयों के भवन निर्माण कार्य- <ul style="list-style-type: none"> उपखण्ड कार्यालय दांतारामगढ़-सीकर में कॉन्फ्रेंस हॉल उपखण्ड (विजयनगर)-अनूपगढ़ में मीटिंग हॉल, रिकॉर्ड रूम सुविधा सम्बन्धी कार्य उपखण्ड एवं तहसील कार्यालय एवं निवास, बाड़ी-धौलपुर तहसील कार्यालय, रामगढ़-अलवर उप तहसील कार्यालय-कोलारी (सेपऊ), मरैना (राजाखेड़ा) -धौलपुर व कस्बा डहरा-अलवर
4.	पुलिस हेतु सुविधा- <ul style="list-style-type: none"> पुलिस की नई इकाइयों हेतु 250 लांगरी पदों का सृजन राज्य स्तर पर खेल निधि हेतु 1 करोड़ रुपये का प्रावधान
5.	विभागीय कार्यालयों के भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य- अतिशापी अभियंता कार्यालय भवन खण्ड (टोडाभीम)-गंगापुरसिटी

- गत सरकार द्वारा गठित कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति की रिपोर्ट आज भी परीक्षणाधीन है। इस समिति की वेतन सुधार/वेतन विसंगति सम्बन्धी शेष सभी सिफारिशों को 1 सितम्बर, 2024 से लागू किया जाएगा।
- Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022 के अन्तर्गत सृजित पदों के नियमित पदों में परिवर्तित किये जाने पर उन पदों पर नियुक्ति हेतु 5 वर्ष के अनुभव की निर्धारित पात्रता अवधि में वर्ष 2024-25 में 2 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।
- प्रदेश में अधिक आयु वाले पेंशनर्स को सम्बल देने की दृष्टि से 75 वर्ष से अधिक आयु पर अधिक दर से पेंशन की सुविधा प्राप्त है। इस क्रम में, पेंशनर्स को और राहत देते हुए 70 से 75 वर्ष के पेंशनर्स के लिए 5 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा।
- पत्रकार साथियों के बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति योजना प्रारम्भ की जाएगी।
- न्याय व्यवस्था को सुदृढ रखने में 'BAR' के वकील साथियों की महती भूमिका है। इनके व इनके परिवारों के जरूरत के समय हमारी सरकार हमेशा इनके साथ रहने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दृष्टि से मैं, 'BAR Council' को एकबारीय सहायता के रूप में 7 करोड़ 50 लाख रुपये प्रदत्त किये जाएंगे।

- प्रदेश में आमजन के हितों की रक्षा, उनके खुशहाल जीवन तथा प्रदेश के विकास के पथ पर ले जाने में विधायिका की सबसे बड़ी भूमिका है। कई वर्तमान एवं पूर्व माननीय विधायकों द्वारा वेतन व पेंशन सम्बन्धी समस्या एवं सुझाव लाये गये हैं। इस क्रम में विधायकगण को प्राप्त होने वाले वेतन तथा पेंशन में प्रति वर्ष स्वतः वृद्धि का प्रावधान जोड़ा जाएगा। साथ ही, जयपुर स्थित नए विधायक आवासों में अतिरिक्त सुविधा देने की दृष्टि से Rooftop Solar Plant लगाये जाएंगे।
- विकसित राजस्थान की संकल्पना को साकार कर प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छुयेगा।

कार्मिक कल्याण

- शासन-प्रशासन के सुचारू संचालन तथा जनकल्याणकारी योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में कर्मचारियों की महती भूमिका है। राज्य सरकार कार्मिकों की समस्याओं के त्वरित निदान के लिए प्रतिबद्ध है।
- प्रदेश में राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स, 2022 के अन्तर्गत नियुक्त कार्मिकों हेतु राज्य कर्मचारियों की भांति ही वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि की प्रतिवर्ष दो तिथियाँ-01 जुलाई एवं 01 जनवरी निर्धारित की जाएंगी।
- राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज एक्ट, 2016 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार की तर्ज पर राज्य के विशेष योग्यजन श्रेणी कर्मचारियों को एक हजार 200 रुपये प्रतिमाह वाहन भत्ता दिया जाएगा।
- 30 जून, 2023 को सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को पेंशन गणना के लिए एक काल्पनिक वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ 1 जुलाई, 2023 से दिया जाएगा। इसी तरह भविष्य में प्रतिवर्ष 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को भी यह लाभ दिया जाएगा।
- सेन्ट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (सीजीएचएस) की तर्ज पर राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) के अन्तर्गत मेडिकल लाभ की सुविधा हेतु महिला एवं पुरुष कार्मिकों को अपने माता-पिता अथवा सास-ससुर में से किसी एक का विकल्प चुने जाने का प्रावधान किया जाएगा।
- **कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति उपरान्त उनकी सामाजिक सुरक्षा हेतु-**
 - I. पेंशनर्स को देय आउटडोर चिकित्सा सुविधा व्यय की सीमा को 30 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये प्रतिवर्ष किया जाएगा।
 - II. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के अनुरूप ही 1 अप्रैल, 2024 के बाद कार्मिक की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर 10 वर्षों तक बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन दी जाएगी।
 - III. कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार के अनुरूप ग्रेच्युटी की वर्तमान अधिकतम सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये किया जाएगा। इससे लगभग 120 करोड़ रुपये का वित्तीय भार सम्भावित है।
- आमजन में जागरूकता लाने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ दूरस्थ



क्षेत्रों में निवास करने वाले तथा वंचित वर्ग के परिवारों को भी मिल सके, इस हेतु पत्रकार साथियों की महती भूमिका है, इसलिए पत्रकार साथियों को और अधिक प्रोत्साहन देने की दृष्टि से-

- I. स्वतंत्र पत्रकारों के अधिस्वीकरण की आयु सीमा तथा अनुभव में छूट देते हुए न्यूनतम पात्रता आयु 45 वर्ष तथा पत्रकारिता का अनुभव 15 वर्ष निर्धारित किया जाएगा। साथ ही, उत्कृष्ट पत्रकारिता हेतु बिशनसिंह शेखावत पत्रकारिता पुरस्कार प्रारम्भ किये जायेंगे।
 - II. अधिस्वीकृत पत्रकारों हेतु पृथक निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान जर्नलिस्ट हेल्थ स्कीम (आरजेएचएस) लागू की जाएगी।
 - III. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार में जोड़ने के लिए कौशल पर आधारित 'नव-प्रसारक' नीति लायी जाएगी।
- प्रदेश को उन्नति के पथ पर निरन्तर अग्रसर करने के लिए राज्य सरकार 24x7 प्रयास करेगी। अपने अथक प्रयासों से हर प्रदेशवासी के जीवन को समृद्ध एवं खुशहाल बनायेगी।
 - केन्द्र के पेंशन नियमों के अनुरूप ही राज्य सरकार के कार्मिक की सेवानिवृत्ति पर अन्य पात्र सदस्य के नहीं होने पर स्थायी रूप से स्पेशियली एबल बच्चे और बच्चों, आश्रित माता-पिता और स्पेशियली एबल भाई बहन का नाम पीपीओ में अंकित किया जाएगा।
 - राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) के अन्तर्गत-
 - I. राजकीय उपक्रमों (स्वायत्तशासी संस्थाओं/बोर्ड/निगम/विश्वविद्यालय आदि) के (आरजीएचएस) कार्ड धारक कार्मिकों एवं पेंशनरों की आउटडोर चिकित्सा सुविधा व्यय की प्रतिवर्ष सीमा को 20 हजार रुपये से बढ़ाकर 30 हजार रुपये कर दिया गया है।
 - II. साथ ही, इन उपक्रमों के आरजीएचएस कार्ड धारक पेंशनरों की मृत्यु उपरान्त उनके पात्र आश्रितों को आरजीएचएस के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी।
 - III. वृद्ध पेंशनर्स को आरजीएचएस के अन्तर्गत विटामिन, मिनरल्स एवं एन्टी ऑक्सीडेंट्स को अनुमत किया जाएगा।
 - माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन व माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश को विकास की ऊंचाइयों तक ले जाने में कोई कसर नहीं रखेगी। जनसामान्य के कल्याण के लिए शुरु की गई राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से अन्तिम छोर पर खड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का अथक प्रयास किया जाएगा।

कृषि बजट

"कृषिर्धन्या कृषिर्मेध्या जन्तूनाम् जीवनम् कृषिः।"

"कृषि से धन और ज्ञान प्राप्त होते हैं तथा कृषि ही मानव जीवन का आधार है।"



सिंचाई

“ यह सर्व स्वीकार्य (सर्वमान्य) तथ्य है कि किसान साथी अन्रदाता होने के साथ ही, हमारी अर्थव्यवस्था की भी धुरी हैं। प्रदेश में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के तीव्र विकास के साथ-साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने 'डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम' का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसकी प्राप्ति के लिए कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में उत्पादकता (Productivity) बढ़ाना राज्य सरकार की प्राथमिकता रहेगी। ”

- प्रदेश के किसान साथियों को मानसून की अनिश्चितता एवं भूमिगत जल की कमी के कारण अक्सर फसल खराबे तथा उत्पादकता की कमी का सामना करना पड़ता है।
- राज्य सरकार किसान साथियों को इस विडम्बना का लगातार सामना करने से बचाने के लिए कृत संकल्पित है। इस दृष्टि से राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन प्रारम्भ किया जाएगा। इस मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जिलों में सिंचाई व्यवस्था के साथ ही जल संचय की प्रणाली विकसित करने के लिए इस कार्यकाल में 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कार्य करवाए जाएंगे।
- प्रदेश के 21 जिलों की लगभग 3 करोड़ 25 लाख (प्रदेश की 40 प्रतिशत) जनसंख्या को पेयजल तथा 2 लाख 80 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए (ईआरसीपी परियोजना ईस्टर्न

रीजन कैनाल प्रोजेक्ट) पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना को त्वरित गति से धरातल पर उतारने के लिए प्रथम चरण में रामगढ़ व महलपुर बैराज-बारां, नवनेरा बैराज से बीसलपुर बांध एवं ईसरदा बांध भरने हेतु आवश्यक कार्यों की 9 हजार 600 करोड़ रुपये की स्वीकृति एवं वर्क ऑर्डर भी जारी किये जा चुके हैं।

- ईआरसीपी परियोजना के अन्तर्गत 5 महत्वपूर्ण लिंक व चम्बल बेसिन के कार्यों को भी चरणबद्ध रूप से कराया जाएगा-
 - I. मेज बैराज-बूंदी, डूंगरी बांध व राठीडू बैराज-सवाई माधोपुर व इनके परिवहन तंत्र के लगभग 13 हजार करोड़ रुपये के कार्य,
 - II. ईसरदा बांध से रामगढ़ बांध-जयपुर, जवानपुरा धवाई बांध, शाहपुरा बांध व बुचारा बांध (लागत लगभग 4 हजार 100 करोड़ रुपये)
 - III. डूंगरी बांध से अलवर रिजर्वायर (लागत लगभग 9 हजार 700 करोड़ रुपये)
 - IV. बीसलपुर बांध से मोर सागर-अजमेर,
 - V. डूंगरी बांध से बंध बरेठा होते हुए सुजान गंगा-भरतपुर लिंक
 - VI. इसी क्रम में चम्बल बेसिन की नदियों से बारां जिले में 14 हजार 350 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई व पेयजल परियोजनायें लगभग एक हजार 240 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित की जाएंगी। ये कार्य हैं-



क्र.सं.	सिंचाई परियोजना/कार्य का नाम	लागत
1.	मूण्डकिया (छबड़ा) में अंधेरी नदी पर सिंचाई परियोजना	830 करोड़ रुपये
2.	कुजेय (शाहबाद) के समीप करई नदी पर सोलर आधारित Sprinkler Lift सिंचाई परियोजना	120 करोड़ रुपये
3.	सेमरी (शाहबाद) के समीप करई नदी पर सोलर आधारित Sprinkler Lift सिंचाई परियोजना	70 करोड़ रुपये
4.	बामनगवां (शाहबाद) के समीप करई नदी पर सोलर आधारित Sprinkler Lift सिंचाई परियोजना	70 करोड़ रुपये
5.	कुनो व तिलपासी नदी पर 4 नवीन एनिकटों का निर्माण तथा कुनो व करई नदी के 2 एनिकटों की ऊंचाई बढ़ाना	150 करोड़ रुपये
6.	नाहरगढ़ क्षेत्रा (किशनगंज) में बरनी नदी एवं डूबराज नदी से सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु survey किया जाकर DPR	50 लाख रुपये

- प्रायः देखा जाता है कि बरसात व बाढ़ के दौरान जल बहकर व्यर्थ चला जाता है। बाढ़ सुरक्षा प्रबन्धन के साथ-साथ ऐसे जल का सदुपयोग हो सके, इसके लिए दीर्घगामी योजना बनाकर "रन ऑफ वाटर ग्रिड" स्थापित की जाएगी। इस ग्रिड के अन्तर्गत 30 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विभिन्न कार्य करवाये जायेंगे। ये नदी बेसिन सहित विभिन्न परियोजनाओं के कार्य हैं-

क्र.सं.	परियोजना का विवरण	लागत
1.	राणा प्रताप सागर बांध व जवाहर सागर बांधों के flood management व जल अपवर्तन कार्य लाभान्वित क्षेत्रा-कोटा, धौलपुर एवं सवाई माधोपुर प्रथम चरण-500 करोड़ रुपये की लागत से ब्राह्मणी नदी पर बांध का निर्माण	8 हजार 300 करोड़ रुपये
2.	माही बेसिन की जाखम नदी एवं बांध के अधिशेष जल को फीडर नहर के माध्यम से जयसमंद बांध में लाकर चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा के बांधों को भरने सम्बन्धी कार्य लाभान्वित क्षेत्रा-उदयपुर, चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा में पेयजल तथा लगभग 70 हजार हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र का rejuvenation इस वर्ष 30 करोड़ रुपये से परियोजना की DPR	7 हजार 100 करोड़ रुपये
3.	माही एवं सोम नदी के मानसून अवधि का अधिशेष जल, जयसमंद बांध सहित अन्य बांधों को भरते हुए जवाई बांध तक लाने सम्बन्धी कार्य लाभान्वित क्षेत्रा-उदयपुर, सिरौही, पाली एवं जोधपुर में पेयजल तथा 16 हजार हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र के पुनर्स्थापन (rejuvenation) इस वर्ष 20 करोड़ रुपये व्यय कर परियोजना की DPR	7 हजार करोड़ रुपये
4.	जोधपुर एवं पाली शहर को पेयजल आपूर्ति हेतु जवाई बांध से जोधपुर तक चरणबद्ध रूप से 3 वर्षों में 194 किलोमीटर लम्बी क्षतिग्रस्त फीडर नहर का जीर्णोद्धार कार्य	2 हजार 280 करोड़ रुपये
5.	भद्रावती नदी-करौली की तर्ज पर साबी, रूपारेल-अलवर एवं जोजरी-जोधपुर आदि नदियों को Rejuvenate करने सम्बन्धी कार्य की DPR	30 करोड़ रुपये
6.	सोम-कमला-अम्बा-भीखा भाई सागवाड़ा फीडर परियोजना सागवाड़ा तहसील हेतु सोम-कमला-अम्बा बांध के अधिशेष जल को फीडर नहर के माध्यम से लाये जाने का कार्य लाभान्वित क्षेत्रा-19 हजार 224 हेक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई	125 करोड़ रुपये व्यय
7.	Rajasthan Water Sector Livelihood Improvement Project (RWSLIP)-Phase-III 36 सिंचाई उप परियोजनाओं के जीर्णोद्धार कार्य की DPR लाभान्वित क्षेत्रा-13 जिलों के एक लाख 40 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई	342 करोड़ रुपये

क्र.सं.	परियोजना का विवरण	लागत
8.	राजसमंद बांध में जल की आवक में अभिवृद्धि करने हेतु खारी फीडर की प्रवाह क्षमता को बढ़ाने के लिए शेष रहे जीर्णोद्धार तथा आवश्यक मरम्मत कार्य लाभान्वित क्षेत्रा- 42 गांवों के लगभग 10 हजार 500 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई तथा राजसमंद शहर को पेयजल	150 करोड़ रुपये
9.	बांधों की भराव क्षमता की पुनर्स्थापना (rejuvenation) एवं नदी-नालों की सफाई के लिए desilting एवं dredging का कार्य लगभग 200 MCM (Million Cubic Metre) भराव क्षमता का rejuvenation	500 करोड़ रुपये
10.	100 एनिकटों का निर्माण/मरम्मत एवं जीर्णोद्धार-भाखेड़ा-अलवर, खापरिया (खौहरी)-बहरोड़ एवं छबड़ा-छीपाबड़ौद में पार्वती नदी पर गूगोर तथा कछावन; मोटाधामनिया (सुहागपुरा)-प्रतापगढ़; गोमती नदी पर मुलेश्वर महादेव-सलूमबर तथा बीच्छा (लालसोट)-दौसा, नानौर-झालावाड़, खेजड़िया, भेव, आल्पा, रूखाड़ा, बुडेरी, जोयला, अरटवाड़ा, पोसलिया, जोगापुरा, उथमण-सिरौही, छोटी सादड़ी, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ सहित 100 एनिकटों का निर्माण/मरम्मत एवं जीर्णोद्धार। 100 बांधों एवं नहरों का जीर्णोद्धार कार्य Micro Irrigation Tanks के साथ सौर ऊर्जा आधारित Sprinkler /Drip प्रणाली का भी प्रावधान।	550 करोड़ रुपये
11.	महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत जल संग्रहण एवं जल संरक्षण की नवीन एवं परम्परागत जल स्रोतों (अमृत सरोवर के कार्य सहित) की संरचनाओं के कार्य।	2 हजार 627 करोड़ रुपये
12.	सावित्री माता मंदिर पुष्कर-अजमेर तक जल संग्रहण हेतु शोधित जल (treated water) लाने व एनिकट निर्माण सम्बन्धी कार्य	50 करोड़ रुपये

II. सिंचाई सम्बन्धी अन्य कार्य-

क्र.सं.	सिंचाई कार्य	लागत
1.	वल्लभनगर-उदयपुर में बांध निर्माण कार्य	25 करोड़ रुपये
2.	तेलवाड़ा (सिवाना)-बालोतरा व पाटड़ी (छबड़ा)-बारां में एमएसटी का निर्माण	12 करोड़ रुपये
3.	गणेशगंज नहरी तंत्र के माईनरों का जीर्णोद्धार मय पुराने पम्प की पुनर्स्थापना का शेष रहा कार्य (अंता)-बारा	15 करोड़ रुपये
4.	हरिशचन्द्र सागर परियोजना (सांगोद)-कोटा में शेष मुख्य नहर की वितरिका एवं माईनरों के जीर्णोद्धार कार्य	30 करोड़ रुपये
5.	उतावली लघु सिंचाई परियोजना (छबड़ा)-बारां की नहरों का जीर्णोद्धार कार्य	7 करोड़ रुपये
6.	देवाता फीडर का निर्माण-ब्यावर	30 करोड़ रुपये
7.	कोटा में चम्बल नदी के दायी ओर पर स्थित लाडपुरा के ग्राम गंगायचा (रंगपुर) को बाढ़ के पानी से बचाने हेतु सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य	10 करोड़ रुपये
8.	मातृकुण्डिया डेम से हिण्डीली डेम फीडर निर्माण कार्य (कपासन)-चित्तौड़गढ़	65 करोड़ रुपये
9.	धमाणा, भोपालसागर, जाश्मा फीडर के जीर्णोद्धार कार्य (कपासन)-चित्तौड़गढ़	25 करोड़ रुपये
10.	श्यामसिंहवाला (एसएसडब्ल्यू) वितरिका-जैसलमेर का पुनरुद्धार कार्य	28 करोड़ 30 लाख रुपये

क्र.सं.	सिंचाई कार्य	लागत
11.	गुडामालानी-बाड़मेर में नहरी तंत्र के सुचारु संचालन हेतु अरणिवाली लिफ्ट माईनर पर किमी. 17 से आगे और आलपुरा माईनर, गुडामालानी की डॉवल बढ़ाये जाने की डीपीआर तैयार करवाना	1 करोड़ 75 लाख रुपये
12.	छापरवाड़ा बांध की नहरों का नवीनीकरण-दूदू	40 करोड़ रुपये
13.	आगरिया फीडर का पुनरूद्धार कार्य (कुम्भलगढ़)-राजसमंद	5 करोड़ रुपये
14.	नटनी का बारा वियर से जयसमंद बांध-अलवर तक निर्मित नहर का उन्नयन	40 करोड़ रुपये
15.	डीग-कुम्हेर-भरतपुर में सांवई-खेड़ा डिप्रेशन से गोवर्धन ड्रेन तक पानी लिफ्ट करने का कार्य	6 करोड़ 25 लाख रुपये
16.	चन्द्रावला (सांगोद) व कनवास-कोटा में डायवर्जन कार्य	25 करोड़ रुपये
17.	श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ के भाखड़ा एवं गंगनहर परियोजना अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में शेष रहे खालों का निर्माण कार्य	10 करोड़ रुपये
18.	देवली-उनियारा में स्थित गलवा बांध के माईनरों का जीर्णोद्धार	7 करोड़ रुपये
19.	मण्डाना (लाडपुरा)-कोटा क्षेत्र में सिंचाई के लिए चम्बल से लिफ्ट द्वारा योजना बनाकर नहरी तंत्रा विकसित करने के कार्य की feasibility study	2 करोड़ रुपये
20.	लाडपुरा-कोटा के अरण्डखेड़ा, गंदीफली, बनियानी, मवासा एवं जाखोड़ा गांवों में सिंचाई हेतु आलनिया बांध में चम्बल की नहरों से पानी पहुंचाने की feasibility study	2 करोड़ रुपये

III. यमुना जल सम्बन्धी कार्य- वर्षों से चली आ रही, यमुना जल से राजस्थान का हिस्सा प्राप्त करने की समस्या को माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी ने पहल कर केन्द्र सरकार के सहयोग से, समाप्त करते हुए 577 (पांच सौ सतहत्तर) एमसीएम पानी हेतु 17 फरवरी, 2024 को हरियाणा से एमओयू, एग्रीमेंट कर प्रदेश को अपना हिस्सा दिलाने का ऐतिहासिक कार्य किया है। इस क्रम में, ताजेवाला हैड (हथिनीकुण्ड बैराज) हरियाणा पर राजस्थान को आवंटित यमुना जल को भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से डायवर्जन के कार्य की डीपीआर 60 करोड़ रुपये की लागत से तैयार की जायेगी। यमुना बेसिन में रेणुका व लखवार बांध का कार्य प्रगतिरत एवं किशाऊ बांध का कार्य भी शीघ्र प्रारम्भ होना संभावित है। इससे चूरू, सीकर व झुंझुनू जिलों में वर्ष पर्यन्त जल उपलब्ध हो सकेगा।

IV. इन्दिरा गांधी नहर परियोजनाओं के कार्य- इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण में जीर्णोद्धार एवं सिंचाई संबंधी विभिन्न कार्य चरणबद्ध रूप से एक हजार 430 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से करवाये जायेंगे। ये कार्य हैं-



क्र.सं.	सिंचाई परियोजना/कार्य का नाम	लागत
1.	डॉ. करणी सिंह लिफ्ट नहर में शेष रहे 44 हजार 500 हेक्टेयर क्षेत्र में Sprinkler सिंचाई सुविधा	270 करोड़ रुपये
2.	चौधरी कुम्भाराम आर्य लिफ्ट नहर में शेष रहे 33 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में Sprinkler सिंचाई सुविधा	200 करोड़ रुपये
3.	वीर तेजाजी लिफ्ट नहर में शेष रहे 8 हजार 320 हेक्टेयर क्षेत्र में Sprinkler सिंचाई सुविधा	50 करोड़ रुपये
4.	गुरु जम्भेश्वर लिफ्ट (पोकरण) में शेष रहे 18 हजार 250 हेक्टेयर क्षेत्र में Sprinkler सिंचाई सुविधा	90 करोड़ रुपये
5.	जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर क्षेत्र में 12 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में Sprinkler सिंचाई सुविधा	75 करोड़ रुपये
6.	कंवरसेन लिफ्ट नहर क्षेत्र में क्षतिग्रस्त खालों के जीर्णोद्धार कार्य	185 करोड़ रुपये
7.	सागरमल गोपा शाखा प्रणाली का जीर्णोद्धार कार्य	250 करोड़ रुपये
8.	इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बाबा रामदेव उपशाखा प्रणाली की आसुतार वितरिका तंत्र एवं अन्य नहरी तंत्र के जीर्णोद्धार कार्य	40 करोड़ रुपये
9.	इंदिरा गांधी मुख्य नहर की बुर्जों एक हजार 254 से एक हजार 458.500 के मध्य से निकलने वाली नहर प्रणाली, सागरमल गोपा शाखा, शहीद बीरबल शाखा तथा बाबा रामदेव उपशाखा की प्रणालियों में खालों की मरम्मत, कवरिंग व कच्ची साख को पक्का करवाने के कार्य	250 करोड़ रुपये
10.	इंदिरा गांधी मुख्य नहर के बेहतर संचालन एवं नियंत्रण हेतु SCADA System	23 करोड़ रुपये

- फिरोजपुर फीडर (श्रीगंगानगर) के अन्तर्गत प्रदेश के हिस्से का पानी उपलब्ध कराने के लिए 200 करोड़ रुपये की लागत के कार्य हाथ में लिए जाएंगे। साथ ही, नहरी क्षेत्रों में डिग्गी निर्माण हेतु इस वर्ष 5 हजार किसानों को अनुदान दिया जायेगा। इस पर लगभग 160 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।
- किसानों के कृषि कार्य के लिए 31 मार्च, 2024 तक लम्बित विद्युत कनेक्शन आवेदनों की पेंडेंसी समाप्त करने की दिशा में इस वर्ष लगभग एक लाख 45 हजार विद्युत कनेक्शन जारी किये जाएंगे। साथ ही, किसान भाइयों की सुविधा के लिए कृषि कनेक्शनों के विद्युत भार को बढ़ाने हेतु स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना लागू की जायेगी।
- वर्तमान में 'कुसुम योजना' के माध्यम से कृषि कनेक्शनों के सोलराइजेशन करने के फलस्वरूप आगामी वर्ष से प्रारम्भ करते हुए चरणबद्ध रूप से किसान भाइयों को दिन के समय में सिंचाई हेतु बिजली दिये जाने का कार्य वर्ष 2027 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
- प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं से सम्बन्धी विभिन्न कार्य करवाये जाएंगे। ये कार्य हैं-

क्र.सं.	सिंचाई कार्य	लागत
1.	बागोलिया बांध फीडर निर्माण कार्य (मावली)-चित्तौड़गढ़	190 करोड़ रुपये
2.	निम्बाहेड़ा-चित्तौड़गढ़ में निम्बोदा लघु सिंचाई परियोजना का कार्य	20 करोड़ रुपये
3.	रामगंजमण्डी के कुण्डाल क्षेत्र में सिंचाई परियोजना बनाकर 24 गांवों की कुल 8 हजार हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु डीपीआर	40 लाख रुपये

4.	पाटली नदी (रामगंजमण्डी)-कोटा की डिसिल्टिंग का कार्य	5 करोड़ रुपये
5.	चम्बल दांयी मुख्य नहर की शेष रही लगभग 56 किलोमीटर लम्बाई में पक्की लाइनिंग के कार्य चरणबद्ध रूप से आगामी 4 वर्षों में करवाया जाना प्रस्तावित है। जिससे दांयी मुख्य नहर के कमाण्ड क्षेत्र में आने वाले राजस्थान के कोटा एवं बारां जिलों के 473 गांवों की एक लाख 27 हजार हेक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र के लगभग एक लाख 80 हजार किसान लाभान्वित होंगे।	862 करोड़ रुपये
6.	चम्बल कमाण्ड क्षेत्र-कोटा, बूंदी एवं बारां के सिंचित क्षेत्र की दक्षता सुधार हेतु वितरिकाओं एवं माईनरों में शेष रही लगभग 167 किलोमीटर लम्बाई में पक्की लाइनिंग एवं 11 हजार 746 हेक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र में खेत सुधार कार्य चरणबद्ध रूप से आगामी 3 वर्षों में करवाया जाना प्रस्तावित है। जिससे इन जिलों के 685 गांवों के लगभग 70 हजार 341 हेक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र के लगभग 2 लाख 90 हजार किसान लाभान्वित होंगे।	353 करोड़ 37 लाख रुपये

- प्रदेश में किसानों के लिए सिंचाई सुविधा की दृष्टि से विभिन्न कार्य करवाये जाएंगे। ये कार्य हैं।

क्र.सं.	सिंचाई सम्बन्धी कार्य	लागत
1.	सावनभादो नहर में शेष मुख्य नहर की वितरिकाओं के जीर्णोद्धार के कार्य (तृतीय चरण) (सांगोद)-कोटा	15 करोड़ रुपये
2.	जुल्मी, उण्डवा, देवलीखुर्द, धरनावद एवं मण्डा ग्राम पंचायतों (रामगंजमंडी)-कोटा की मध्यम सिंचाई परियोजना की डीपीआर का कार्य	40 लाख रुपये
3.	देवरी जिन्हा तालाब के कार्य (किशनगंज)-बारां	25 करोड़ रुपये
4.	सुराघाटा फीडर-ब्यावर के जीर्णोद्धार की डीपीआर	10 लाख रुपये
5.	अनूपगढ़ शाखा प्रणाली (खाजूवाला) के शेष क्षतिग्रस्त खालों के जीर्णोद्धार का कार्य	100 करोड़ रुपये
6.	फुटिया बांध (बाली)-पाली के जीर्णोद्धार एवं बांध की ऊंचाई बढ़ाये जाने सम्बन्धी कार्य	15 करोड़ 50 लाख रुपये
7.	बनाकिया एनिकट निर्माण-चित्तौड़गढ़	6 करोड़ रुपये
8.	छोटी कालीसिंध व चाचुर्णी नदी से चौमहला क्षेत्र में सिंचाई सुविधा हेतु डीपीआर (गंगधर)-झालावाड़	55 लाख रुपये
9.	अरणियाली लिफ्ट माईनर पर किमी. 17 से आगे बने नहरी तंत्र में सुधार कार्य (गुड़ामालानी)-बाड़मेर	20 करोड़ रुपये
10.	मनोहरथाना में धारगंगा नदी पर ग्राम सरडा में MST निर्माण कार्य	35 करोड़ रुपये
11.	भालता (अकलेरा)-झालावाड़ में छापी मध्यम सिंचाई परियोजना से सिंचाई सुविधा हेतु सर्वे एवं डीपीआर का कार्य	82 लाख रुपये
12.	कल्याणपुरा-झालावाड़ में सोलर आधारित फव्वारा पद्धति से लघु सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य	80 करोड़ 65 लाख रुपये
13.	गागरीन मध्यम सिंचाई परियोजना में उपलब्ध जल से ग्राम पंचायत हेमडा, मंगीसपुर व औसाव के लगभग 5 हजार 65 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सोलर आधारित फव्वारा पद्धति से सिंचाई सुविधा का कार्य	94 करोड़ रुपये
14.	भाखड़ा व गंग नहर में खाले सम्बन्धी कार्य- श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़	50 करोड़ रुपये

- नदियों के किनारे भूमि कटाव को रोकने हेतु अटरू-बारां सहित 5 स्थानों पर जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण के माध्यम से कार्य करवाये जाएंगे।

- कृषकों को सौर ऊर्जा के साथ drip/sprinkler irrigation की सुविधा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से इस वर्ष एक लाख अतिरिक्त किसानों को लाभान्वित करते हुए एक हजार करोड़ रुपये से अधिक का व्यय कर 2 लाख 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल को सिंचित किया जाएगा।



कृषि विकास

- प्रदेश में कृषि एवं हॉर्टिकल्चर की परियोजनायें त्वरित एवं समयबद्ध रूप से लागू करने, कृषि के क्षेत्र में नई तकनीकों का उपयोग बढ़ाने तथा कृषक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार की तर्ज पर राजस्थान कृषि विकास योजना, राजस्थान एग्रीकल्चर एण्ड हॉर्टिकल्चर मिशन का गठन कर लागू किया जाएगा। इस वर्ष राजस्थान कृषि विकास योजना के लिए 650 करोड़ रुपये के कार्य हाथ में लिये जाएंगे।
- कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान भाइयों को आधुनिक तकनीकी आधारित यंत्रों यथा पॉवर टिलर, डिस्क प्लोव, कल्टीवेटर, हैरो, रिपर आदि हेतु 200 करोड़ रुपये का अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही, इस वर्ष 500 कस्टम हायरिंग सेंटर्स की स्थापना के लिए निर्धारित लक्ष्य को बढ़ाकर एक हजार करते हुए मोबाइल एप के माध्यम से हायरिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- राज्य में उन्नत तकनीक के ग्रीन हाउस-पॉली हाउस/शेडनेट, प्लास्टिक मल्टिप्लेग, लो टनल, फार्म पॉण्ड तथा ड्रिप-स्प्रिंकलर आदि को बढ़ावा देने के साथ-साथ किसानों को प्रोत्साहित एवं प्रशिक्षित करने के लिए 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में दो-दो क्लस्टर्स विकसित किये जाएंगे। इस पर 120 करोड़ रुपये व्यय होंगे।



- महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत कृषि भूमि धारकों, एससी, एसटी, बीपीएल श्रेणी के परिवारों को व्यक्तिगत लाभ की श्रेणी में फार्म पॉण्ड, डिग्गी, फलदार पौधारोपण, मेड़बंदी इत्यादि कार्यों पर लगभग एक हजार 100 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।
- राज्य में जैविक एवं परम्परागत खेती को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष-

मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारम्भ

65 लाख से अधिक किसानों के खातों में 653 करोड़ रुपये हस्तांतरित



मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने किसानों के कल्याण और उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' का शुभारम्भ किया। इसके तहत प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 6 हजार रुपये की राशि के साथ ही, 2 हजार रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। इसी क्रम में राज्य सरकार की ओर से आयोजित राज्यस्तरीय शुभारम्भ समारोह में एक हजार रुपये की पहली किस्त के तौर पर 65 लाख से अधिक किसानों के खातों में 653 करोड़ रुपये सीधे जमा करवाकर किसानों को सम्मान और संबल प्रदान किया गया।

- I. कृषकों को सभी आवश्यक सहायता एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए ऑर्गेनिक एण्ड कन्वेंशनल फार्मिंग बोर्ड का गठन किया जायेगा।
 - II. जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण हेतु जिलों में यूनिट्स एवं लैब्स की स्थापना की जायेगी।
 - III. ब्लॉक स्तर पर 50-50 कृषकों को गौवंश से जैविक खाद उत्पादन करने हेतु गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना प्रारम्भ करते हुए 10 हजार रुपये प्रति कृषक तक की सहायता दी जाएगी।
 - IV. महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत गोवर्धन परियोजनाओं, कम्पोस्ट पिट एवं फ्रूट्स एण्ड वेजिटेबिल्स प्लांटेशन आदि कार्यों पर 197 करोड़ 86 लाख रुपये की राशि व्यय होगी।
- प्रदेश में नमो ड्रोन दीदी योजना में एक हजार महिला सेल्फ हैल्प ग्रुप्स को कृषि कार्य हेतु उपलब्ध करवाये जा रहे ड्रॉन्स पर सहायता देने के साथ ही नेनो यूनिया एवं पेस्टीसाइड का छिड़काव करने पर 2 हजार 500 रुपये प्रति हेक्टेयर सब्सिडी उपलब्ध करवायी जाएगी।
 - किसानों को सॉइल टेस्टिंग, फसलों के सम्बन्ध में जानकारी तथा कीटों, रोगों के उपचार आदि के लिए विशेषज्ञ सेवायें उपलब्ध कराने हेतु समस्त जिला मुख्यालयों पर 2 वर्षों में एग्री क्लिनिक स्थापित किये जाएंगे। इस पर लगभग 21 करोड़ रुपये का व्यय होगा।
 - किसानों की क्षमता वृद्धि के लिए नॉलेज एन्हांसमेंट प्रोग्राम प्रारम्भ किया जाएगा। इसके अन्तर्गत-
 - I. प्रथम चरण में 100 प्रगतिशील युवा कृषकों को इजराइल सहित अन्य देशों तथा साथ ही 5 हजार युवाओं को देश के विभिन्न राज्यों में प्रशिक्षण हेतु भेजा जायेगा।
 - II. वर्तमान में संचालित नौ सेंटर्स ऑफ एक्सिलेंस की संख्या चरणबद्ध रूप से बढ़ाकर 18 की जायेगी।
 - III. एग्री-स्टेक के माध्यम से किसानों को स्वतः फसल गिरदावरी की सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी।
 - 20 हजार किसानों को भूमि सुधार हेतु निशुल्क जिप्सम उपलब्ध करवाया जाएगा।
 - प्रदेश में कृषि क्षेत्र में उन्नत तकनीक का प्रयोग बढ़ाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर टिशू कल्चर एवं स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एन्टरप्रोन्योरशिप एण्ड मैनेजमेंट (एसआईएफटीईएम) की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।
 - प्रदेश में बापिणी (लोहावट)-फलौदी तथा कोटखावदा-जयपुर में कृषि उपज मण्डी स्थापित की जायेगी।
 - राज्य में अक्षय ऊर्जा के प्रोत्साहन तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसानों को सुविधा देने की दृष्टि से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के काश्तकारों द्वारा अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं में भूमि के उपयोग हेतु भूमि-रूपान्तरण सम्बन्धी प्रावधान किया जाएगा।
 - कृषि कनेक्शन के ऐसे आवेदक, जिन्होंने सामान्य योजना के अन्तर्गत कृषि विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन किया है तथा आवेदन के उपरान्त उस क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर दिया है, तो ऐसे आवेदकों में जिनके कनेक्शन ब्लॉक सप्लाय फीडर से जारी किये जायेंगे, को पूर्व की भांति सामान्य योजना की दरों पर ही कनेक्शन जारी किया जायेगा।
 - किसान भाइयों की सुविधा के लिए फसल सम्बन्धी, रोगों सम्बन्धी तथा विपणन सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए Online राज-किसान



साथी Platform विकसित करने के लिए 40 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। साथ ही, काश्तकारों के बकाया सिंचाई शुल्क में मूल राशि एकमुश्त 31 दिसम्बर, 2024 तक जमा करवाने पर 31 मार्च, 2024 तक देय ब्याज माफ कराया जाएगा।

- परबतसर-डीडवाना कुचामन, सेडवा (चौहटन)-बाड़मेर व भाड़ौती-सवाई माधोपुर में कृषि मण्डी खोली जाएगी। साथ ही, प्रदेश में वनस्पतियों की बेहतर प्रजातियों के विकास हेतु 150 बीज बैंकों की स्थापना होगी।



सहकारिता एवं कृषि विपणन

- प्रदेश में किसानों को सशक्त एवं समृद्ध बनाये जाने में सहकार आंदोलन की महती भूमिका रही है। वर्षों से चले आ रहे कॉर्पोरेटिव कोइस को और अधिक प्रासंगिक बनाये जाने की दृष्टि से नवीन कॉर्पोरेटिव कोइस लाये जाएंगे।
- इस वर्ष 23 हजार करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किये जायेंगे। इसके अंतर्गत 5 लाख नये किसान भी ऋण प्राप्त कर सकेंगे। इस हेतु 736 करोड़ रुपये ब्याज अनुदान पर व्यय किये जायेंगे। इससे लगभग 35 लाख किसान लाभान्वित होंगे।
- भूमि सुधार के लिए सहकारी बैंकों द्वारा दिये जाने वाले दीर्घकालीन कृषि

ऋणों का दायरा बढ़ाते हुए गत वर्ष में वितरित लगभग 50 करोड़ रुपये के ऋण को दोगुना कर 100 करोड़ रुपये के ऋण दिये जाएंगे। दीर्घकालीन कृषि ऋणों का समय पर चुकारा करने वाले काश्तकारों को 2 प्रतिशत का अतिरिक्त ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा।

- साथ ही, दीर्घकालीन सहकारी अकृषि ऋणों पर 5 प्रतिशत का ब्याज अनुदान दिया जायेगा। इस हेतु लगभग 64 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है।
- प्रदेश में किसानों को मार्केटिंग व्यवस्था सुलभ कर सशक्त बनाने की दृष्टि से चरणबद्ध रूप से 500 नये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (एफपीओज) बनाये जाएंगे। साथ ही, सहकारी संस्थाओं की भण्डारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए 150 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100 से 500 मीट्रिक टन

क्षमता के गोदामों का निर्माण करवाया जायेगा। इन पर लगभग 35 करोड़ रुपये व्यय होंगे। साथ ही, प्याज भण्डारण संरचना के निर्माण हेतु 2 हजार 500 किसानों को लगभग 22 करोड़ रुपये की सब्सिडी उपलब्ध करवायी जायेगी।

- प्रदेश में नवीन मण्डियों की स्थापना एवं विस्तार किये जाने की दृष्टि से विभिन्न कार्य करवाये जायेंगे। ये कार्य हैं-

क्र.सं.	मण्डी स्थापना व अन्य कार्य
1.	मंडियाँ/पार्क- रामगढ़ पंचवारा (लालसोट)-दौसा, नसीराबाद- अजमेर, पीपलू-टोंक में कृषि मण्डी; जमवारामगढ़-जयपुर में फूल मण्डी; जहाजपुर-शाहपुरा में नगर पालिका फल एवं सब्जी मण्डी; सादड़ी-पाली में फल-फूल मण्डी; साधुवाली (सादुलशहर)- श्रीगंगानगर में गाजर मण्डी; जैसलमेर में जीरा मण्डी तथा मनोहरथाना-झालावाड़ में लहसुन मण्डी, भुसावर-भरतपुर में Food Park एवं भरतपुर में Food Processing Park
2.	मंडी क्रमोन्नयन एवं अन्य कार्य- मेड़ता-नागौर, रसीदपुरा-सीकर व भामाशाह कृषि उपज मण्डी-कोटा का विस्तार, तिजारा-खैरथल में नवीन कृषि मण्डी याई
3.	खेत से खरीद सुविधा- e-Mandi Platform के माध्यम से सीधे कृषकों के खेत से खरीद की सुविधा
4.	प्रसंस्करण इकाइयाँ (Processing Plants)- भुसावर-भरतपुर में Agro Processing Plant तथा सवाई माधोपुर में अमरूद, आंवला एवं मिर्च, मेड़ता सिटी में जीरा, सिरोही में ईसबगोल, जोधपुर व बारां में spices एवं बालोतरा में अनार के processing plants निजी क्षेत्र के सहयोग से

पशुपालन एवं डेयरी

- पशुपालकों के हितों का ध्यान रखते हुए चरणबद्ध रूप से दुधारू पशुओं के साथ-साथ अन्य पशुओं को भी सम्मिलित करते हुए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रारम्भ की जाएगी। इसके अन्तर्गत प्रथमतः 5-5 लाख दुधारू गाय, भैंस, 5-5 लाख भेड़, बकरी तथा 1 लाख उष्ट्र वंश का बीमा किया जायेगा। इस पर कुल 400 करोड़ रुपये का व्यय होगा।
- प्रदेश में पशुपालन की अपार सम्भावनायें हैं। राज्य के 80 लाख परिवार पशुपालन एवं सम्बद्ध गतिविधियों पर निर्भर हैं। पशुपालन संवर्द्धन, संरक्षण एवं विकास हेतु 250 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष का गठन किया जाएगा। इसके अन्तर्गत पशु चिकित्सा एवं पशुओं में नस्ल सुधार सेवाओं के विस्तार तथा बेहतर पशु चिकित्सा उपलब्ध करवाने हेतु-
 - दुधारू पशुओं के उन्नत नस्ल विकास एवं आवारा नर गौवंश की समस्या के निराकरण के लिए सैक्स सोर्टेड सीमन योजना के तहत दी जा रही अनुदान राशि 50 से बढ़ाकर 75 प्रतिशत की जायेगी। इससे लगभग 2 लाख पशुपालक लाभान्वित होंगे।
 - प्रदेश में पशु चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए 125 पशु चिकित्सकों तथा 525 पशुधन सहायकों के नये पदों का सृजन किया जायेगा।

- III. प्रदेश में विभिन्न पशु चिकित्सा संस्थान खोले जाने के साथ-साथ आधारभूत सुविधाओं के विकास कार्य करवाये जायेंगे। ये कार्य हैं-

क्र.सं.	पशु चिकित्सा संस्थान/ कार्य
1.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र- प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध रूप से नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र इस वर्ष पशु चिकित्सा संस्था विहीन ग्राम पंचायतों-खोरी (पुष्कर)-अजमेर सहित 500 पशु चिकित्सा उपकेन्द्र
2.	नवीन पशु चिकित्सालय- विद्याधर नगर-जयपुर, बेदम (नगर)-डींग एवं शिवदानपुरा-डीडवाना कुचामन
3.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों का पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन- देवनगर (पुष्कर)-अजमेर व मांदलिया (लाडपुरा)-कोटा सहित 100 पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों का पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन, इस पर लगभग 15 करोड़ रुपये का व्यय
4.	पशु चिकित्सालयों का प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन- पशु चिकित्सालय नेतराड (चौहटन)-बाड़मेर व जाखल (नवलगढ़)-झुंझुनू का प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन
5.	पशु चिकित्सा संस्थानों में आधारभूत कार्य- विभिन्न पशु चिकित्सा संस्थानों में चरणबद्ध रूप से आधारभूत सुविधाओं के विकास, भवन निर्माण/मरम्मत कार्य व उपकरण आदि के लिए 200 करोड़ रुपये व्यय

- पशुपालकों की सुविधा के लिए वर्तमान में प्रदेश के 7 जिलों में राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किये जा रहे हैं। इसका विस्तार करते हुए शेष जिलों में भी चरणबद्ध रूप से पशु मेले आयोजित किये जायेंगे। ;
- 'रेगिस्तान का जहाज' कहे जाने वाले राज्य पशु ऊँट की संख्या में लगातार कमी चिंता का विषय है। प्रदेश में उष्ट्र विकास एवं संरक्षण के दृष्टिगत-
 - ऊँट संरक्षण और विकास मिशन शुरू किया जायेगा।
 - नवजात ऊँट के पालन-पोषण के लिए ऊँटपालकों को दी जाने वाली सहायता राशि 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रतिवर्ष की जायेगी।
- प्रदेश के उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त दूध व दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराने तथा मिल्क प्लांट्स की स्थापना, अपग्रेडेशन एवं विस्तार करने के उद्देश्य से-
 - सरदारशहर-चूरू, रानीवाड़ा-सांचौर, झालावाड़, भरतपुर, नागौर तथा बीकानेर में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स का लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से अपग्रेडेशन व सुदृढीकरण किया जायेगा।
 - पाली में 30 मीट्रिक टन क्षमता का 95 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक मिल्क पाउडर प्लांट स्थापित किया जायेगा।
 - कोटा में कैटल फीड प्लांट 25 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किया जाएगा।
- राज्य सरकार के इस कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों की खुशहाली व प्रदेश को विकसित राज्य बनाने के लिए लिए गए संकल्पों को सबके सहयोग से समयबद्ध रूप से साकार किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन तथा माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश हर क्षेत्र में प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा।



- प्रदेश में पशु चिकित्सा सुविधा के लिए विभिन्न पशु चिकित्सा संस्थान खोले व क्रमोन्नत किये जायेंगे। ये संस्थान हैं-

क्र.सं.	चिकित्सा संस्थान/कार्य
1.	प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों का बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन- बायतु-बालोतरा, आहौर-जालौर, बड़ी सादड़ी-चित्तौड़गढ़, मेड़ता- नागौर, सुमेरपुर, बाली-पाली, नवलगढ़-झुंझुनू एवं केकड़ी सहित 25 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय
2.	पशु चिकित्सालयों का प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन- कडैल, बूबानी (पुष्कर)-अजमेर, सालोड़ी, मोगडा (लूणी), खारिया मीठापुर (बिलाड़ा), नेवरा रोड (ओसिया)-जोधपुर, निम्बाज (जैतारण)-ब्यावर, हेलक-डीग, हिराता (दोवडा)-झुंझुनू, गन्धेली (रावतसर)-हनुमानगढ़, हाडेचा, हजरी (आहौर)-जालौर, खिरोड (नवलगढ़)-झुंझुनू, लखा पस फतेहगढ़-जैसलमेर, देवली मांडी (सांगोद)-कोटा, कुडगांव (सपोतरा)-करौली, चिकारडा (बड़ी सादड़ी)-चित्तौड़गढ़, सोरडा (रेवदर)-सिरोही, हरसाणी (शिव)- बाड़मेर, डांगावास (मेड़ता)-नागौर, बहरावण्डा (खण्डार)-सवाई माधोपुर, भोजपुर (ब्रह्मसिंहपुरा) (खंडेला)-सीकर, भारजा, जावाल- सिरोही, बीरमाना (सूरतगढ़)-श्रीगंगानगर एवं रूपावास (सुमेरपुर), देवलीकलां (सोजत)-पाली सहित 50 पशु चिकित्सालय

- प्रदेश की 100 गौशालाओं को रियायती दरों पर गौ काष्ठ मशीन उपलब्ध करवाई जाएगी।
- साथ ही, डेयरी सेवाओं के विस्तार एवं बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से-
 - 2 वर्षों में 2 हजार नये डेयरी बूथ खोले जायेंगे।
 - सरस दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की घर-घर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इस वर्ष शहरी क्षेत्रों में एक हजार सरस मित्र बनाये जाएंगे।
 - अधिक से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों के दुग्ध उत्पादकों को सहकारिता से जोड़ने के लिए 2 वर्षों में 1 हजार 500 नई दुग्ध सहकारी समितियां चरणबद्ध तरीके से स्थापित की जाएंगी।
- प्रदेश में गौवंश संरक्षण व संवर्धन की दृष्टि से पंजीकृत गौशालाओं को देय अनुदान में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है।

- किसानों को दूध का उचित मूल्य दिलाने तथा उन्हें संगठित सहकारी डेयरी से जोड़ने हेतु 2 हजार दुग्ध संकलन केन्द्र खोले जायेंगे। साथ ही, चरणबद्ध तरीके से आगामी 2 वर्षों में बल्क मिल्क कूलर्स की स्थापना कर 3 लाख लीटर प्रतिदिन प्रशीतलन क्षमता की वृद्धि की जाएगी।
- प्रदेश में पशु चिकित्सा सुविधा के विस्तार हेतु विभिन्न पशु चिकित्सा संस्थान खोले/क्रमोन्नत किये जायेंगे। ये संस्थान हैं-

क्र.सं.	मंदिरों/धार्मिक स्थलों के कार्यमंदिरों/धार्मिक स्थलों के कार्य
1.	बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय-बहरोड़
2.	पशु चिकित्सालय का प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नयन- बिरलोका (खींवर)-नागौर तथा भगवतगढ़ (खंडार)-सवाई माधोपुर
3.	पशु चिकित्सा उप केन्द्र से पशु चिकित्सालय क्रमोन्नयन- घोहंडी (महवा)-दौसा, गुस्साईसर (लूणकरणसर)-बीकानेर
4.	नवीन पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र-गाडोली (जहाजपुर)-शाहपुरा

₹ कट-प्रस्ताव

- हर सरकार का यह दायित्व है कि वह आमजन तथा उद्योग, व्यापार को करों के अत्यधिक बोझ एवं महंगाई के भार से बचाये। राज्य सरकार द्वारा इसी भावना के अनुरूप आमजन को राहत देने के लिये प्रदेश की जनता को दी गई प्रधानमंत्री जी की गारंटी को पूरा करते हुए 15 मार्च, 2024 से पेट्रोल एवं डीजल की वैट दर में 2-2 प्रतिशत की कमी की गई। साथ ही, माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के विशेष प्रयासों से केन्द्र सरकार का सहयोग प्राप्त करते हुये पेट्रोल, डीजल के फ्रेट को रेशनेलाइज कर पेट्रोल की कीमत में अधिकतम 7 रुपये 18 पैसे प्रति लीटर तथा डीजल में अधिकतम 6 रुपये 60 पैसे प्रति लीटर की कमी की गई। राज्य सरकार इसी प्रकार भविष्य में भी प्रदेश के विकास को और अधिक गति देने के साथ ही आमजन एवं निवेशकों को आवश्यक राहत प्रदान करने की दृष्टि से राजस्व संग्रहण का दायित्व निर्वहन करने वाले समस्त विभागों से संबंधित कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिये कृतसंकल्प है।

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग

- विविध विलेखों पर स्टाम्प ड्यूटी की देयता के सम्बन्ध में प्रचलित वर्तमान श्रेणियों को कम करने के साथ ही दरों का रेशनलाइजेशन किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत निम्न विलेखों पर भी स्टाम्प ड्यूटी माफ की जा रही है।
 - कृषि एवं आवासीय विद्युत कनेक्शन के लिए डिस्कॉम के साथ निष्पादित किये जाने वाले एग्रीमेन्ट।
 - युवाओं द्वारा अप्रेंटिसशिप संबंधी दस्तावेज
 - किसानों द्वारा अपनी फसल पर किया जाने वाला बन्धपत्र
 - शिपिंग से संबंधित विविध विलेख
- वर्तमान में माता-पिता द्वारा पुत्र और पुत्री के पक्ष में निष्पादित सेटलमेंट डीड पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क पर देय पूर्ण छूट पत्नी, पुत्रवधू, पोता, पोती एवं दोहिता, दोहिती के पक्ष में निष्पादित सेटलमेंट डीड पर भी दी जाएगी।
- परिवार के सदस्यों के संयुक्त स्वामित्व के अधीन दो या अधिक गैर-कृषि सम्पत्तियों के एक दूसरे के पक्ष में एक्सचेंज करने पर स्टाम्प ड्यूटी उनमें से अधिकतम मूल्य की सम्पत्ति के मूल्य पर 6 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत की जाएगी।
- सैनिकों के साथ-साथ अर्द्धसैनिक बलों के शहीदों की वीरंगनाओं या उनके पुत्रा, पुत्री या माता-पिता को सरकार, निजी संस्था अथवा व्यक्ति विशेष के द्वारा निःशुल्क आवास दिये जाने पर स्टाम्प ड्यूटी की छूट दी गई थी। अब इस हेतु पंजीयन शुल्क में भी पूर्ण छूट दी जाएगी।
- शहरों में अधिक जनसंख्या भार वाले क्षेत्रों में कन्जेक्शन कम करने की दिशा में कदम उठाते हुए ट्रांसफर्रेबल डवलपमेंट राइट्स (टीडीआर) की प्रक्रिया ऑटोमेट करते हुये स्टाम्प ड्यूटी की पूरी छूट दी जायेगी। तथा इसके विक्रय पर स्टाम्प ड्यूटी 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत की जायेगी।
- आमजन को आसानी से हाउसिंग लोन प्राप्त हो, इसके लिए डेब्ट असाइनमेंट पर स्टाम्प ड्यूटी की अधिकतम सीमा को 15 लाख रुपये से घटाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। साथ ही इस प्रकृति के दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क की अधिकतम सीमा को भी 25 हजार रुपये किया जाएगा।
- स्थानीय निकाय से आवासीय पट्टा जारी हो जाने पर पूर्व के अपंजीकृत दस्तावेजों यथा एग्रीमेंट टू सेल, सोसायटी पट्टा आदि पर स्टाम्प ड्यूटी डीएलसी के 20 प्रतिशत पर देय है। इसी तर्ज पर स्थानीय निकाय का पट्टा नहीं होने पर भी उक्त छूट लागू रहेगी।
- मल्टी-स्टोरी भवनों में 50 लाख रुपये तक के फ्लैट्स की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी को वर्तमान में निर्धारित 6 प्रतिशत से कम करके 5 प्रतिशत किया जाएगा।
- निर्माणाधीन फ्लैट्स एवं भवनों पर देय जीएसटी राशि पर ली जा रही स्टाम्प ड्यूटी से आमजन को राहत प्रदान करते हुये इसको माफ किया जाएगा।
- स्टाम्प एक्ट के अन्तर्गत रैफरेंस, अपील के माध्यम से निर्धारित की गई स्टाम्प ड्यूटी को निर्णय के एक माह के अन्दर जमा कराने पर ब्याज माफ किया जाएगा।

- दस्तावेज के निष्पादन के एक माह के भीतर उसका निरस्तीकरण कराये जाने पर स्टाम्प ड्यूटी घटाकर के स्थान पर एक हजार रुपये किया जाएगा।
- रजिस्ट्री सम्बन्धी कार्य को सुगम एवं समय पर संपादित करने के लिये मौका निरीक्षण हेतु सम्बन्धित पटवारी, गिरदावर, ग्राम विकास अधिकारी एवं नगर निकाय अधिकारी को भी मौका-निरीक्षक के रूप में अधिकृत किया जाएगा।
- बैंकों एवं वित्तीय कम्पनियों द्वारा ऋण उपलब्ध कराने सम्बन्धी मूल दस्तावेज के अतिरिक्त अन्य दस्तावेजों को स्टाम्प ड्यूटी मुक्त किया जाएगा।
- कम्पनियों के अमलगेमेशन एवं डीमर्जर पर स्टाम्प ड्यूटी में रियायत प्रदान करते हुये अलॉटेड, ट्रांसफर्ड शेयर्स के मूल्य पर वर्तमान में देय 4 प्रतिशत को कम करते हुए 1 प्रतिशत किया जाएगा। साथ ही इस हेतु निर्धारित अधिकतम राशि की सीमा को भी 50 करोड़ रुपये से घटाकर 25 करोड़ रुपये किया जायेगा।

वाणिज्यिक कट विभाग

- राज्य सरकार द्वारा नई राजनिवेश नीति-2024 (रिप्स-2024) लाई जायेगी, जिसमें राज्य में विक्रय या प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं पर विशेष प्रोत्साहन दिया जायेगा। साथ ही निवेशकों को और अधिक प्रोत्साहन देने की दृष्टि से रिप्स योजना के अन्तर्गत
 - ऊर्जा के अधिक उपयोग वाले उद्यमों में निश्चित समय-अवधि के लिये पीएनजी की वैट दर में 5 प्रतिशत तक कमी की जाएगी।
 - निवेशकों द्वारा सिक यूनिट को रिवाइव करने की स्थिति में भी इन्सेन्टिव्स का प्रावधान किया जाएगा।
 - 15 अगस्त, 2024 से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रचलित रिप्स के अन्तर्गत लाभ देना प्रारम्भ कर दिया जाएगा।
 - रिप्स के अन्तर्गत स्टाम्प ड्यूटी से छूट हेतु जारी पात्रता प्रमाण-पत्र की अवधि की वैधता को 1 वर्ष के स्थान पर 2 वर्ष किया जाएगा।
- 1 जुलाई, 2017 से सम्पूर्ण राष्ट्र में जीएसटी लागू होने के उपरान्त मात्र 6 क्मोडिटी पर ही वैट की देयता है। ऐसी स्थिति में वैट एक्ट के सरलीकरण की दृष्टि से नवीन वैट अधिनियम लाया जाना प्रस्तावित है।
- ग्रीन ग्रोथ प्रोत्साहन देने की दृष्टि से सीएनजी, पीएनजी पर प्रचलित वैट दर को 14.5 प्रतिशत से कम कर 10 प्रतिशत किये जाने की घोषणा करती हूँ।
- फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन (एफटीओ) एवं एयरक्राफ्ट टाइप ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन (एटीओ) की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु इनके लिये एविएशन टर्बाइन फ्यूएल(एटीएफ) पर लागू वैट दर को 26 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया जाएगा।
- कैप्टिव पावर का प्रयोग करने वाले उपक्रमों को राहत देते हुए उपक्रम हेतु उपयोग ली गई ऊर्जा से सम्बन्धित ऑग्निलरी पॉवर पर इलेक्ट्रिकल ड्यूटी समाप्त की जाएगी। साथ ही ऐसी ऑग्निलरी पॉवर पर बकाया इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का 10 प्रतिशत जमा कराने पर शेष मूल राशि तथा ब्याज, शास्ति माफ की जाएगी।

- एडीशनल रिसोर्स मोबिलाइजेशन (एआरएम) को ध्यान में रखते हुये ऑनलाइन गेमिंग, ई-कॉमर्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म आदि के लिये नवीन इन्टीग्रेटेड प्रणाली विकसित की जायेगी।

परिवहन विभाग

- प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने हेतु इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अन्तर्गत 200 करोड़ रुपये का e-Vehicle Promotion Fund गठित किया जायेगा।
- Stage Carriage वाहन के अन्य श्रेणी मार्ग पर 300 किलोमीटर से अधिक प्रतिदिन संचालन पर वर्तमान में देय मोटर वाहन कर (MV Tax) को 504 रुपये से घटाकर 400 रुपये प्रति सीट प्रतिमाह किया जायेगा।
- वाहन के स्वामित्व हस्तान्तरण (Ownership Transfer) में Procedural Simplification करते हुये वाहन को भौतिक रूप से प्रस्तुत किये जाने की अनिवार्यता से मुक्त किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, वाहन रजिस्ट्रेशन नम्बर Retention की सुविधा वाहन को Scrap कराये जाने पर भी प्रदान की जायेगी।
- परिवहन व्यवसायियों को राहत प्रदान करते हुये परिवहन वाहनों की Fitness के समय कर-चुकता प्रमाण-पत्र (Tax Clearance Certificate-TCC) की अनिवार्यता को समाप्त किया जाता है।
- नये वाहनों को पंजीयन के पश्चात् परमिट प्राप्त करने पर देय Spare Tax में छूट को 15 दिवस से बढ़ाकर 30 दिवस किया जाता है। यह छूट पुराने वाहनों का परमिट सरेण्डर करने के उपरान्त नया परमिट प्राप्त करने पर भी देय होगी।
- Private Service Vehicle, Tourist Vehicle तथा Special Permit में एकबारीय कर (One Time Tax) की वर्तमान प्रचलित दर को 10 प्रतिशत कम किया जायेगा।
- बाईस (22) सीट से अधिक बैठक क्षमता के यात्रा वाहनों के Special Permit पर मोटर वाहन कर की दर को एक समान 600 रुपये तथा पर्यटक यात्रा वाहनों का कर एक समान 875 (आठ सौ पचहत्तर) रुपये किया जायेगा।



अजमेर रोड स्थित हीरापुरा बस टर्मिनल पहुँचकर व्यवस्थाओं का जायजा लेते मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा

आबकारी विभाग

- वर्ष 1950 से प्रचलित राजस्थान आबकारी अधिनियम के वर्तमान समय में अप्रासंगिक (Irrelevant) होने के कारण राजस्व-संग्रहण में Efficiency लाने तथा अवैध मदिरा पर अंकुश लगाने की दृष्टि से नया आबकारी कानून लाया जायेगा।



खान एवं पेट्रोलियम विभाग

- वर्ष 2015 से खनन कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन होने के उपरान्त राज्य में वर्तमान में प्रचलित खनिज नीति-2015 ऑब्सोलेट हो गई है। अतः नवीन खनिज नीति-2024 लायी जाएगी।
- बलुआ पत्थर, चेजा पत्थर आदि खनिजों के सम्बन्ध में स्थानीय निवासियों को प्रोत्साहन देने के लिये 1 हेक्टेयर से छोटे क्षेत्रों की नीलामी में सिक्योरिटी राशि 10 लाख रुपये से घटाकर 2 लाख रुपये की जायेगी।
- माइनर मिनरल्स खनन पट्टाधारी, क्वारी लाईसेंस धारकों को राहत देते हुये लाईसेंस की बढ़ी हुई अवधि (अर्थात् वर्ष 2040 तक) के देय प्रीमियम की राशि को किस्तों में जमा कराये जाने का प्रावधान किया जायेगा।
- प्रदेश में बजरी सम्बन्धी समस्या के निदान के लिये-
 - कतिपय स्थानों पर राज्य सरकार के उपक्रम राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड (आरएसएमएमएल) के माध्यम से भी बजरी उत्पादन किया जाएगा।
 - साथ ही बजरी के विकल्प के रूप में एम-सैण्ड को बढ़ावा देने के लिये नवीन एम-सैण्ड पॉलिसी लायी जाएगी।
- प्रदेश में खनन सम्बन्धी गतिविधियों को गति देने हेतु केन्द्र सरकार की नीति के अनुरूप प्राइवेट सेक्टर को भी एक्सप्लोरेशन हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। जहां गत 7 वर्षों में प्रधान खनिज के केवल 54 ब्लॉक्स की नीलामी की गई, वहीं अब नीलामी की संख्या को लगभग दो गुणा करते हुये 100 से अधिक ब्लॉक्स की नीलामी की जायेगी। इसी प्रकार पहली बार चिन्हित ब्लॉक्स की प्री एम्बेडेड क्लियरेंसेस के साथ नीलामी किया जाना भी प्रस्तावित है। प्रथम चरण में ऐसे 8 ब्लॉक की नीलामी की जायेगी।

- खनिजों के क्षेत्र में रिसर्च एण्ड डवलपमेंट की दृष्टि से बीकानेर में सिरेमिक्स तथा उदयपुर में रेयर अर्थ एलीमेंट्स के लिए सैंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। इन पर 10 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा।
- अप्रधान खनिजों के उत्पादन एवं निर्गमन में वॉल्यूमेट्रिक असेसमेंट पद्धति चरणबद्ध रूप से लागू की जायेगी। इस हेतु लीज क्षेत्र की विसंगतियों के सम्बन्ध में खनन क्षेत्र का समुचित निर्धारण करने हेतु स्पष्ट मानक पद्धति लागू की जायेगी। साथ ही, इस क्रम में एकमुश्त समाधान योजना लायी जाकर देय ब्याज व शास्ति की छूट दी जाएगी।
- प्रदेश में परिवारों, विशेष कर महिलाओं को अतिरिक्त सुविधा एवं सुरक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य के 8 नगरों जयपुर, कोटा, अलवर, जोधपुर, उदयपुर, बूंदी, अजमेर व पाली में 2 हजार किलोमीटर लम्बाई की गैस पाइपलाइन बिछाकर 1 लाख से अधिक गैस कनेक्शन्स जारी किये जायेंगे।

निवेश प्रोत्साहन हेतु अन्य बिन्दु

उद्योग विभाग-

- I. रीको एरिया से 1 किमी की परिधि में भी लैण्ड कन्वर्जन के लिये रीको की अनापत्ति (एनओसी) की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। इसके साथ ही 'निजी औद्योगिक पार्क योजना' भी लायी जायेगी।
- II. प्रदेश में भू-संसाधन के समुचित एवं ऑप्टिमम उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु लैण्ड एग्रीगेशन एण्ड मॉडर्नाइजेशन पालिसी लायी जायेगी। साथ ही इसे सशक्त करने के लिए एग्रीगेशन ऑफ प्राइवेट लैण्ड एक्ट लाया जाएगा।

राजस्व विभाग

- I. रीको को हस्तान्तरित औद्योगिक क्षेत्रों के भू-रूपान्तरण एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए ट्रांसफर ऑफ इन्डस्ट्रीयल लैण्ड्स वैलिडेशन एक्ट लाया जाएगा।
- II. पर्यटन एवं एग्रो-प्रोसेसिंग जैसे प्रोजेक्ट्स, जिनके लिये कृषि भूमि का कन्वर्जन आवश्यक नहीं है, उनके लिये निःशुल्क ऑनलाइन डीमंड कन्वर्जन ऑर्डर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायेगी, जिससे निवेशकों को अपने प्रोजेक्ट्स के लिए ऋण लेने में समस्या का सामना नहीं करना पड़े।

- **स्वायत्त शासन विभाग-** 15 मीटर की ऊंचाई तक के भवनों के फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट हेतु वर्तमान में निर्धारित एकमुश्त फीस 50 रुपये प्रति वर्गमीटर को घटाकर 15 रुपये प्रति वर्गमीटर 5 वर्ष के लिये कर दिया गया है।
- **कृषि विभाग-** कृषि एवं हॉर्टीकल्चर क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी-2024 लायी जाएगी। साथ ही, इस नीति के अन्तर्गत श्रीअन्न प्रमोशन एजेंसी की स्थापना करते हुये श्रीअन्न हेतु विशेष प्रावधान किये जायेंगे।

एमनेस्टी (Amnesty)

- उद्यमिता एवं निवेश को प्रोत्साहित करने के साथ ही आमजन को राहत देने के लिये एमनेस्टी योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में 31 दिसम्बर, 2023 तक की शेष रही बकाया राशि 31 दिसम्बर, 2024 तक जमा करने पर निम्न अनुसार छूट दी जाएगी-
 - I. ऊर्जा एमनेस्टी- कटे हुए कनेक्शन वाले विद्युत उपभोक्ताओं हेतु ब्याज, शास्ति की छूट।
 - II. उपनिवेशन क्षेत्र संबंधी एमनेस्टी- कृषि भूमि आवंटन की बकाया किस्तों पर ब्याज की छूट।
- उक्त के अतिरिक्त निम्न विभागों की नवीन एमनेस्टी योजनाएं लायी जानी प्रस्तावित हैं, जिसमें 31 दिसम्बर, 2024 तक राशि जमा कराने पर निम्नानुसार छूट दी जायेगी -
 - I. वैट एमनेस्टी (2017 के उपरान्त रिपील्ड एक्ट्स के प्रकरणों हेतु) - (a) 10 लाख रुपये तक की मांग राशि के प्रकरणों की समस्त बकाया माफ होगी। (b) अन्य प्रकरणों में बकाया राशि का श्रेणीवार 10 से 20 प्रतिशत जमा करवाने पर शेष राशि माफ की जायेगी।
 - II. खनन एमनेस्टी- बकाया प्रकरणों में कुल राशि का श्रेणीवार मात्रा 10 से 30 प्रतिशत जमा कराने पर शेष राशि माफ की जायेगी।
 - III. परिवहन एमनेस्टी- 30 जून, 2024 तक के बकाया प्रकरणों में ई-स्वन्ना हेतु दी जा रही प्रशमन या कम्पाउण्डिंग राशि की छूट में प्रशमन की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये की जायेगी।
 - IV. स्टाम्प एमनेस्टी- स्टाम्प ड्यूटी की मांग के प्रकरणों में ब्याज एवं पैनल्टी में शत-प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
 - V. आबकारी एमनेस्टी- 31 मार्च, 2024 तक के बकाया प्रकरणों में श्रेणीवार ब्याज एवं मूल राशि में छूट दी जायेगी।

संस्थागत उन्नयन

- राजस्व अर्जन सम्बन्धी समस्त विभागों में एफिसिएंसी बढ़ाने के साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) को ध्यान में रखते हुए आईटी इनेबलमेंट, मॉबिलिटी एन्हांसमेंट, प्रोसीजरल री-इंजीनियरिंग एवं सिस्टेमेटिक री-स्ट्रक्चरिंग सम्बन्धित कार्य किये जायेंगे, जो इस प्रकार हैं-

क्र.सं.	कार्य/विवरण
1.	पंजीयन एवं मुद्रांक- ई-पंजीयन 3.0 पोर्टल प्रारंभ कर नागरिकों, विभागीय अधिकारियों एवं अन्य सभी Stakeholders को Online Transaction करने की सुविधा दी जायेगी। साथ ही, Reference एवं अन्य Legal Procedure को भी ई-पंजीयन पोर्टल पर लाकर Automated किया जायेगा।
2.	वाणिज्यिक कर- विभागीय कार्य की विविधता एवं कार्यभार में वृद्धि तथा करदाताओं की सुविधा के दृष्टिगत वाणिज्यिक कर विभाग का पुनर्गठन किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही Firms का पंजीकरण 'आधार'-आधारित Bio-Metric Authentication के माध्यम से किया जायेगा।



“ गत 6 माह में हमारी सरकार ने अपने कुशल वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से राजस्व में बढ़ोतरी की है। हमारी सरकार एक विजन के साथ बजट लेकर आई है, जिससे अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंच सकेगा। ”

बजट हाईलाइट्स

खनिज नीति 2024 आएगी।

परिवहन वाहन फिटनेस के समय टीसीसी की अनिवार्यता समाप्त।

निजी औद्योगिक पार्क योजना आएगी।

श्री अन्न प्रमोशन एजेंसी की स्थापना होगी।

पर्यटन एवं एग्रो प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट के लिए कृषि भूमि का कन्वर्जन जरूरी नहीं।

3.	परिवहन- स्वच्छ एवं पारदर्शी Administration की स्थापना की दिशा में कदम बढ़ाते हुये वाणिज्यिक कर तथा आबकारी विभागों के तर्ज पर परिवहन विभाग में भी Faceless Management की व्यवस्था प्रारम्भ की जानी प्रस्तावित है। साथ ही वाहनों के दस्तावेजों की जांच वाहनों को रोके बिना e-Detection प्रणाली के जरिये की जायेगी।
4.	आबकारी- वर्तमान प्रशासनिक संरचना को सुदृढ़ करते हुये "एकीकृत आबकारी प्रवर्तन व निरोधक बल" का गठन किया जायेगा।
5.	खान- खनन सम्बन्धी प्रक्रियाओं को Online करते हुये ब्लॉक्स का निर्धारण GIS प्रणाली पर करना, खनिज परिवहन हेतु RFID तथा GPS Tracking का प्रावधान लागू करना तथा उत्खनन की Quantity व सम्बन्धित Penalty का निर्धारण ड्रोन सर्वे के आधार पर किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, खान विभाग में कार्य-कुशलता की दृष्टि से राजस्व अधिकारियों के पद भी सृजित किये जायेंगे।

- इन कर-प्रस्तावों के अतिरिक्त कुछ अधिनियमों के प्रावधानों में भी संशोधन किया जाएगा। इन संशोधनों के संबंध में विस्तृत उद्देश्य और प्रयोजन वित्त विधेयक में वर्णित हैं।
- इन प्रस्तुत कर-प्रस्तावों और घोषणाओं की क्रियान्विति के लिये तथा अन्य प्रयोजनार्थ इनके साथ कुछ अधिसूचनाएं जारी की जायेंगी।

परिवर्तित बजट अनुमान (Modified Budget Estimates) 2024-25

- वर्ष 2024-25 के लिए परिवर्तित बजट अनुमानों का संक्षिप्त विवरण है-

1.	राजस्व प्राप्तियां 2 लाख 64 हजार 461 करोड़ 29 लाख रुपये (दो लाख चौसठ हजार चार सौ इकसठ करोड़ उन्नतीस लाख रुपये)
2.	राजस्व व्यय 2 लाख 90 हजार 219 करोड़ 40 लाख रुपये (दो लाख नब्बे हजार दो सौ उन्नीस करोड़ चालीस लाख रुपये)
3.	राजस्व घाटा 25 हजार 758 करोड़ 11 लाख रुपये (पच्चीस हजार सात सौ अठावन करोड़ ग्यारह लाख रुपये)
4.	पूंजी खाते में प्राप्तियां 2 लाख 31 हजार 148 करोड़ 5 लाख रुपये (दो लाख इकतीस हजार एक सौ अड़तालीस करोड़ पांच लाख रुपये)
5.	पूंजी खाते में व्यय 2 लाख 5 हजार 247 करोड़ 70 लाख रुपये (दो लाख पांच हजार दो सौ सैतालीस करोड़ सत्तर लाख रुपये)
6.	राजकोषीय घाटा 70 हजार 9 करोड़ 47 लाख रुपये (सत्तर हजार नौ करोड़ सैतालीस लाख रुपये)

राजस्व घाटा (Revenue Deficit) एवं राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit)

- वर्ष 2024-25 में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 1.45 प्रतिशत एवं राजकोषीय घाटा 3.93 प्रतिशत रहने का अनुमान है। बजट 2024-25 में राज्य में व्यापक स्तर पर इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट हेतु विस्तृत रोड मैप प्रस्तुत किया गया है, जिसके लिए फिस्कल डेफिसिटी को एफआरबीएम की अनुमत सीमा तक रखते हुए समुचित संसाधनों की व्यवस्था की गयी है।

राज्य सकल घरेलू उत्पाद (Gross State Domestic Product - GSDP)

- राज्य सरकार द्वारा अल्प अवधि में ही कुशल वित्तीय प्रबन्धन के साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के फलस्वरूप गत सरकार के कार्यकाल में दिसम्बर, 2023 तक जीएसडीपी की वृद्धि दर जो कि 11.58

प्रतिशत थी वह मार्च, 2024 में बढ़कर 12.56 प्रतिशत हो गई है। इसी प्रकार सदन में लेखानुदान प्रस्तुत करते समय वर्ष 2024-25 के लिये अनुमानित जीएसडीपी भी 17 लाख 1 हजार 843 करोड़ रुपये से बढ़कर 17 लाख 81 हजार 78 करोड़ रुपये होना अपेक्षित है।

ऋण तथा अन्य दायित्व (Debt and other Liabilities)

- फिस्कल कन्सोलिडेशन पाथ राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसी कारण वर्ष 2024-25 में राज्य का कुल ऋण एवं अन्य दायित्व जीएसडीपी का 35.97 प्रतिशत रहना अनुमानित है जो कि एफआरबीएम द्वारा निर्धारित सीमा 38.20 प्रतिशत से कम होने के साथ ही यह गत वर्ष के 37.34 प्रतिशत से भी कम है।

मार्गोपाय अग्रिम (Ways and Means Advance) एवं विशेष आहरण सुविधा (Special Drawing Facility) के द्वारा कुशल राजकोषीय प्रबंधन

- राज्य सरकार द्वारा दायित्वों के समयबद्ध निर्वहन एवं फण्ड फ्लो, लिक्विडिटी को कुशलता से मैनेज करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में मार्गोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) एवं विशेष आहरण सुविधा एसडीएफ द्वारा राजकोषीय प्रबंधन के फलस्वरूप राज्य को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 150 करोड़ रुपये की बचत संभव हो सकेगी।;

पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure)

- राज्य का पूंजीगत व्यय जो वर्ष 2023-24 में 26 हजार 646 करोड़ रुपये था उसे 65.94 प्रतिशत बढ़ाकर वर्ष 2024-25 में 44 हजार 216 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

कृषि बजट (Agriculture Budget)

- कृषि बजट के अन्तर्गत कृषि विकास एवं कृषकों के कल्याण हेतु बजटरी एण्ड एक्स्ट्रा बजटरी प्रावधानों को योजनावार एवं बजट मदवार विस्तृत रूप से बजट संबंधी सारगर्भित विवरण भाग-III में सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया। कृषि बजट के अन्तर्गत वर्ष 2024-25 में समेकित निधि राज्य की स्वायत्तशाही, सहकारी एवं अन्य संस्थाओं के स्वयं के संसाधनों सहित कुल राशि 96 हजार 787 करोड़ 27 लाख रुपये का कृषि विकास एवं कृषकों के कल्याण हेतु प्रावधान किया गया है। कृषि बजट में से राशि 52 हजार 270 करोड़ 12 लाख रुपये समेकित निधि से व्यय किया जाएगा।

राज्य के समावेशी एवं संतुलित विकास हेतु Alternate Funding Mechanism

- राज्य के राजकीय उपक्रमों के एफिशिएंट रिसोर्स मोबिलाइजेशन हेतु भारत सरकार द्वारा किये गये सुधारों एवं दिशा-निर्देशों के अनुसरण में वित्तीय स्रोतों को लीवरेज कर अल्टरनेट, इनोवेटिव फाइनेंसिंग की व्यवस्था की गयी है, फलस्वरूप न केवल ऑपरेशनल एफिसिएंसी में सुधार हुआ है अपितु फाइनेंसियल टर्नअराउण्ड भी सुनिश्चित हुआ है। इसके अन्तर्गत-

1. **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य** - राज्य में हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के साथ ही नवीन मेडिकल कॉलेजों की स्थापना एवं संचालित मेडिकल



कॉलेजों की ऑपरेशनल एफिसिएंसी में सुधार करने के लिये आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी (राजमेस) एवं राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन (आरएमएससीएल) के स्वयं के राजस्व को लीवरेज कर की जा रही है।

II. **जल प्रबंधन** - केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन तथा प्रदेश के लिए महत्त्वपूर्ण ईआरसीपी परियोजना का क्रियान्वयन जल प्रदाय तथा सीवरेज निगम (आरडब्ल्यूएसएससी) व ईआरसीपी कॉर्पोरेशन के माध्यम से करने के साथ ही विभिन्न जलदाय योजनाओं के ऑपरेशन एवं मैन्टेनेंस का कार्य भी चरणबद्ध रूप से इन स्पेशल परपज व्हीकल्स (एसपीवीज) को हस्तान्तरित किया जाएगा।

- यह भी उल्लेखनीय है कि, भारत सरकार द्वारा स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के तहत यूजर चार्जस रिफॉर्म हेतु इन्सेन्टिव प्रदान किये गये हैं। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा किये गए फिस्कल रिफॉर्म की उपादेयता एवं सफलता को दृष्टिगत रखते हुये राज्य सरकार आने वाले समय में भी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ इफेक्टिव एण्ड एफिशिएंट पब्लिक सर्विस डिलिवरी हेतु अन्य पीएसयूज उदाहरणस्वरूप- आरएसआरटीसी, जेसीटीएसएल एवं आरटीडीसी आदि को भी अल्टर्नेट फण्डिंग मैकेनिज्म के द्वारा फण्ड्स उपलब्ध कराकर इनकी ऑपरेशनल एफिसिएंसी को सुधारेगी तथा इन्हें सेल्फ रिलायंट बनाएंगे।
- वर्ष 2024-25 का परिवर्तित वार्षिक वित्तीय विवरण विधानसभा के पटल पर 10 जुलाई को रखा गया। साथ ही, राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (Rajasthan Fiscal Responsibility And Budget Management Act, 2005) की अपेक्षानुसार मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण (Medium Term Fiscal

Policy Statement) राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण (Fiscal Policy Strategy Statement) एवं प्रकटीकरण विवरण (Disclosure Statement) भी सभा पटल पर रखते हुए बजट पत्रों के साथ अनुदान की मांगें भी प्रस्तुत की गईं।

- इस मौके पर उपमुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता एवं सदन को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार प्रदेश को विकास और खुशहाली के पथ पर निरन्तर आगे लेकर जाएगी। इन्हीं भावनाओं के साथ उन्होंने बजट प्रस्तावों को स्वीकृत करने की संस्तुति के साथ माननीय सदन के विचारार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया। बजट पर बहस के बाद 16 जुलाई को बहस का उत्तर देते हुए उन्होंने कई अन्य कई घोषणाएं की।
- माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 29 जुलाई को सदन में अपने भाषण में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश की जनता के लिए अपना संकल्प व्यक्त करते हुए कहा...

“

चाहता हूँ कुछ यूँ हो,
सबको उनके हिस्से की राहत मिले।
चैन की नींद आए सबको,
सपनों के फूल खिलें।
प्रगति के उजाले से अछूता न रहे कोई।
कारज सारे सिद्ध हो,
संकल्प हमारा है यही।

”

ॐ जय हिन्द ॐ



16वें वित्त आयोग का राजस्थान दौरा

प्रदेश की विशेष भौगोलिक परिस्थिति एवं जनाकांक्षाओं के अनुरूप अनुदान की मांग

सविता सिंह, सहायक जनसंपर्क अधिकारी

सो लहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में आयोग का प्रतिनिधिमंडल 1 और 2 अगस्त, 2024 को प्रदेश के दौर पर रहा। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के साथ हुई बैठक में आयोग ने प्रदेश की वित्तीय आवश्यकताओं सहित अन्य आर्थिक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की।

मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थिति, बिखरी हुई आबादी, जल संसाधनों की अत्यधिक कमी, अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत आदि को देखते हुए वित्त आयोग से सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और केन्द्र सरकार से राजस्थान को अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की सिफारिश करने का आग्रह किया। राज्य सरकार ने वित्त आयोग से प्रदेश की 8 करोड़ जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप एक मानक दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया।

पानी की कमी के लिए अनुदान पर हो विचार

प्रदेश में मानसून की अनियमितता एवं अनिश्चितता यहां की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है। सीमित एवं निरन्तर घटते हुए जल संसाधनों के कारण राज्य को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। गिरते भूजल स्तर को देखते हुए राज्य सरकार ने वित्त आयोग को पानी की कमी (वाटर डेफिसिट) के लिए अनुदान देने पर भी विचार करने को कहा।

हीट वेव एवं टिड्डियों से नुकसान को माना जाए प्राकृतिक आपदा

मरूस्थली प्रदेश होने के कारण हीट वेव एवं टिड्डियों से होने वाले फसलों के नुकसान को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रतिनिधिमंडल से आग्रह किया कि हीट वेव एवं टिड्डियों के खतरे को प्राकृतिक आपदा माना जाए और इन्हें राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) में प्राकृतिक आपदा की परिभाषा में शामिल किया जाए।

क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने का बने साधन

मुख्यमंत्री ने वित्त आयोग से केन्द्रीय करों के वितरण के लिए ऐसा फार्मूला विकसित करने का अनुरोध किया, जो कि क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने का

साधन बने और समाज के सभी क्षेत्रों और वर्गों के लिए महत्वपूर्ण न्यूनतम बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए अधिक संसाधन आवंटित करने में सहायक हो। उन्होंने केन्द्रीय कर से प्राप्त आय में राज्यों की हिस्सेदारी को अंतिम रूप देते समय, राज्य के क्षेत्रफल को विशेष महत्व दिये जाने का आग्रह किया। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने वित्त आयोग से प्रदेश के स्थानीय निकायों को अनुदान बढ़ाने की सिफारिश प्रदान करने का भी अनुरोध किया।

उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं पंजाब के बाद राजस्थान चौथा राज्य है जहां वित्त आयोग राज्य सरकार से चर्चा एवं मशविरा करने पहुंचा। आयोग के अध्यक्ष श्री अरविंद पनगड़िया के अनुसार राज्यों का दौरा कर उनसे प्राप्त सुझावों को गंभीरता से सुना जा रहा है। प्राप्त सुझावों के समुचित आकलन एवं परीक्षण के पश्चात आयोग तर्कसंगत आधार पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करता है। इस प्रतिनिधिमंडल में सदस्य श्री अजय नारायण झा, श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉ. मनोज पाण्डा, डॉ. सौम्य कांति घोष एवं सचिव श्री ऋत्विक् पाण्डेय शामिल थे। उल्लेखनीय है कि सोलहवें वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति ने डॉ. अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 31 दिसम्बर, 2023 को एक अधिसूचना के माध्यम से किया था। आयोग 1 अप्रैल, 2026 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से पांच साल की अवधि के लिए अपनी सिफारिशें करेगा।

इसके अन्तर्गत केन्द्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय का वितरण, जो संविधान के प्रथम अध्याय के भाग 12 के तहत उनके बीच विभाजित किया जाना है, या किया जा सकता है और ऐसी आय के संबंधित शेषों का राज्यों के बीच आवंटन। साथ ही, वे सिद्धांत जो अनुच्छेद के खंड (1) के प्रावधानों में निर्दिष्ट उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत भारत की संचित निधि से राज्यों की आय की अनुदान सहायता और उनकी आय की भुगतान की जाने वाली अनुदान सहायता राशि को नियंत्रित करते हैं। इसके लिए राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों के पूरक के लिए राज्य की समेकित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय भी इसके अन्तर्गत आते हैं। •



ऐतिहासिक बजट, ऐतिहासिक उत्साह

- मुख्यमंत्री का आभार जताने ढोल-नगाड़ों के साथ पहुंचे किसान
- युवा, किसान, उद्यमी सभी वर्गों में बजट का उत्साह

राज्य के परिवर्तित बजट 2024-25 में सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए की गई ऐतिहासिक बम्पर घोषणाओं से प्रदेश के हर वर्ग में उत्साह है। युवा, किसान, ग्रामीण, शहरी, नौकरीपेशा, उद्योगपति, श्रमिक सभी खुश हैं। बजट आने के बाद कई समूह ढोल-नगाड़ों के साथ अपूर्व बजट के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल को धन्यवाद देने, उनका सम्मान और उनसे मुलाकात करने पहुंचे।

मुख्यमंत्री निवास पर ऐतिहासिक घोषणाओं के लिए अभिनन्दन और आभार समारोह में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को खुशहाल बनाने के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही है। राज्य के विभिन्न जिलों से आए किसानों ने 'किसानों को मिला पूरा सम्मान, विकसित बनता राजस्थान' जैसे नारे भी लगाए। केकड़ी, लालसोट और अन्य जिलों से आए लोगों ने ऐतिहासिक बजट देने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और उनका सम्मान किया।

परिवर्तित बजट 2024-25 के लिए धन्यवाद ज्ञापित करने पहुंचे उत्साहित युवाओं से उन्होंने कहा कि युवा ऊर्जा तथा उत्साह से राजस्थान प्रगति की एक नई इबारत लिखेगा। कार्यक्रम में प्रदेशभर से बड़ी संख्या में आए युवाओं ने 'दमदार फैसले... दमदार मुख्यमंत्री' जैसे नारों से पूरा पाण्डाल गूंज दिया।



अपराध मुक्त राजस्थान का होगा निर्माण नवीन कानून बनेंगे मील का पत्थर



राज्य सरकार अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। अपराधमुक्त राजस्थान बनाने तथा शीघ्र, सुलभ न्याय के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से देशभर में 1 जुलाई से लागू नवीन 'भारतीय न्याय संहिता', 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' तथा 'भारतीय साक्ष्य अधिनियम' से संविधान की मूल भावना और बलवती हुई है।

जहां पुराने कानूनों में केवल सजा का प्रावधान था, लेकिन अब इन नए कानूनों में न्याय पर जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने नवीन आपराधिक कानूनों को आमजन तक पहुंचाने के संबंध में गृह विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि 1860 में बनी भारतीय दंड संहिता की जगह "भारतीय न्याय संहिता", 1898 में बनी दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता" तथा 1872 में बने एविडेंस एक्ट की जगह "भारतीय साक्ष्य अधिनियम" लागू होने से कानून में भारतीयता की आत्मा को दुबारा स्थापित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने वर्तमान समय में अनुपयोगी पुराने आपराधिक कानूनों को हटाकर उनके स्थान पर नवीन आपराधिक विधियों को लागू करवाया है। प्रधानमंत्री जो कहते हैं, वो कर के भी दिखाते हैं। मुख्यमंत्री ने

नवीन आपराधिक विधियों का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है।

नियत समय में न्याय मिलने का प्रावधान

नवीन आपराधिक विधि में आपराधिक मामले के महत्वपूर्ण चरणों को नियत समय-सीमा में बांधा गया है। इन कानूनों में परिवादी को 90 दिन होने पर मुकदमे की प्रगति से पुलिस द्वारा अवगत कराना, प्राथमिक जांच को 14 दिन में सम्पन्न करना, बलात्कार संबंधी मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन में प्रदान करना, न्यायालय द्वारा पहली सुनवाई के 60 दिन में आरोप तय करना और विचार पूरा होने के 45 दिन में निर्णय देने जैसे प्रावधान शामिल हैं, जिससे पीड़ित को त्वरित न्याय मिल सकेगा। इन आपराधिक कानूनों में छोटे-मोटे अपराधों के लिए ई-चालान, ई-समन जैसे प्रावधान, मॉब लिंग को परिभाषित किया जाना, ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग, राजद्रोह के कानूनी प्रावधान को समाप्त कर देशद्रोह को स्थान देना जैसे प्रावधानों से देश में न्याय और कानून के शासन को बल मिलेगा।

नए क्रिमिनल लॉज के तहत राजस्थान में "ई-साक्ष्य" एप लॉन्च

देशभर में एक जुलाई से लागू नवीन आपराधिक कानूनों के तहत डिजिटल साक्ष्यों को एप के माध्यम से संकलित कर उन्हें क्लाउड पर स्टोरेज की राजस्थान पुलिस द्वारा नई शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के द्वारा तैयार ई-साक्ष्य एप को पूरे प्रदेश के लिए लॉन्च कर दिया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) में किसी भी अपराध से संबंधित एविडेंस को डिजिटल रूप में संकलित एवं सुरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। एप को अनुसंधान अधिकारी (आईओ) अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करके घटना से संबंधित साक्ष्यों को डिजिटल फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकेंगे। सभी प्रकार के सर्वे एवं सीजर की वीडियोग्राफी भी इस एप से की जाएगी। वीडियोज की "हैष वेल्यू" तत्समय ही निकाली जायेगी एवं न्यायालय में पहुंचने तक इसे सुरक्षित रखा जाएगा। वहीं इस एप पर संकलित साक्ष्यों को सीधे "क्लाउड" पर डाल दिया जाएगा। ऐसे में क्लाउड पर सुरक्षित डिजिटल साक्ष्यों से किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं की जा सकेगी और पारदर्शी तरीके से अनुसंधान का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रदेश के अलग-अलग पुलिस जिलों से 4000 ट्रायल वीडियो मंगा कर इस एप का परीक्षण किया गया। सफल परीक्षण के बाद इस एप के पूरे प्रदेश में उपयोग के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। •

नवीन आपराधिक विधियाँ

दिनांक 01.07.2024 से प्रभावी

भारतीय न्याय संहिता, 2023
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023



जनता के साथ जन-जन की सरकार

आपदा में आमजन के साथ सरकार

प्रदेश में अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थितियों को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क रही। आमजन को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो इसके लिए सभी जरूरी इंतजाम सुनिश्चित किये गए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने स्वयं भारी बारिश के बीच जयपुर शहर का सघन दौरा कर बारिश से उपजे हालातों का जायजा लिया और अधिकारियों को समस्याओं के तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने आमजन से संवेदनशीलता के साथ संवाद भी किया। मुख्यमंत्री ने अतिवृष्टि प्रभावित पूर्वी राजस्थान के जिलों करौली, दौसा और भरतपुर का हवाई सर्वेक्षण कर स्थितियों का जायजा भी लिया। उन्होंने जलभराव वाले क्षेत्रों में प्रभावित लोगों को पेयजल, खाद्य सामग्री, दूध, चिकित्सा सुविधा सहित जरूरी चीजों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और विद्युत आपूर्ति सुचारू किए जाने के भी निर्देश दिए। •



दिनेश शर्मा, सहायक जनसंपर्क अधिकारी



देश का स्वाभिमान है तिरंगा



स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश-प्रदेश में 'हर घर तिरंगा' अभियान की धूम रही। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत वर्ष 2022 से शुरू अभियान के अंतर्गत बड़ी संख्या में लोगों ने अपने घरों पर तिरंगा फहराया और सेल्फी अपलोड की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भी अभियान के तहत अपने आवास पर तिरंगा फहराया। श्री शर्मा ने कहा कि तिरंगे की आन-बान-शान के लिए लाखों भारतीयों ने स्वतंत्रता प्राप्ति में अपने प्राणों की आहुति दी थी और आज भी देश की सीमा पर खड़ा जवान इस तिरंगे के लिए मर मिटने को तैयार है। •

राइजिंग राजस्थान



राजस्थान के आर्थिक विकास को नई ऊंचाई देने और राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार आगामी 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में 'राइजिंग राजस्थान' इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में इस संबंध में आयोजित एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आयोजन का उद्देश्य देशी-विदेशी कंपनियों, अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं और निवेशकों को प्रदेश की ओर आकर्षित करना है। राज्य सरकार प्रदेश में औद्योगिक निवेश का बेहतर माहौल सुनिश्चित करने के लिए हर संभव पहल कर रही है। इन्वेस्टमेंट समिट के आयोजन से प्रदेश के विकास के साथ रोजगार के भरपूर अवसर सृजित होंगे। •

कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के सम्बन्ध में त्रिपक्षीय एमओयू



कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नगरीय विकास विभाग एवं नागरिक उड्डयन विभाग के मध्य त्रिपक्षीय एमओयू पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में हस्ताक्षर हुए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल ने कहा कि इस एयरपोर्ट के निर्माण से प्रदेश में पर्यटन के साथ ही शिक्षा एवं व्यापारिक गतिविधियों में भी इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान के लक्ष्य की प्राप्ति में विमानन क्षेत्र का विकास अहम है। शिक्षा एवं उद्योगों की नगरी कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण से हाइवे अंचल के लाखों निवासियों को हवाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। हमारी सरकार के संकल्प की सिद्धि में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। •

संकल्पों से साकार होगी विकसित राजस्थान-2047 की संकल्पना



मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 27 जुलाई को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की नौवीं बैठक में शिरकत कर विकसित राजस्थान-2047 का रोडमैप काउंसिल के सामने रखा। “प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से वार्तालाप करते मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा एवं मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव।”



राज्यपाल का मरुधरा पर अभिनन्दन

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने नवनियुक्त महामहिम राज्यपाल श्री हरिभाऊ किसनराव बागड़े को पुष्पगुच्छ भेंट कर मरुधरा पर उनका अभिनन्दन किया और मंत्री परिषद के सदस्यों से उनका परिचय करवाया। राजस्थान के महामहिम राज्यपाल श्री हरिभाऊ किसनराव बागड़े ने 31 जुलाई, 2024 को ईश्वर के नाम पर राजस्थान के राज्यपाल की शपथ ली। उन्हें मुख्य न्यायाधिपति श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव ने राज्यपाल पद की शपथ दिलाई। मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु द्वारा जारी राज्यपाल की नियुक्ति का वारंट पढ़कर सुनाया। शपथ लेने के बाद श्री हरिभाऊ किसनराव बागड़े को राजभवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। •



मुख्यमंत्री का स्वर्ण नगरी जैसलमेर का दौरा

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जैसलमेर दौरे के दौरान सोनार किले से हरी झण्डी दिखाकर 'हर घर तिरंगा यात्रा' को रवाना किया। अखेपोल गेट से हनुमान सर्किल तक निकली इस यात्रा में मुख्यमंत्री हाथ में तिरंगा थामे शामिल हुए और राष्ट्रीय एकता एवं गौरव का संदेश दिया। बैंड की धुनों और देशभक्ति नारों से सोनार किला गुंजायमान हो गया। मुख्यमंत्री ने जैसलमेर के ऐतिहासिक श्री मातेश्वरी तनोट राय मंदिर में देवी माँ के दर्शन कर देश और प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की। उन्होंने इण्डो-पाक बॉर्डर पर सुरक्षा बलों से मुलाकात कर वीर शहीदों को नमन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सीमा सुरक्षा बल की अविचल प्रहरी सैनिक बहनों से राखी बंधवाई। मुख्यमंत्री ने जैसलमेर के फतेहगढ़ में उच्च शिक्षा विभाग के विभिन्न महाविद्यालयों के भवनों और कक्षा-कक्षों के लोकार्पण समारोह में शिरकत भी की। •



राज्य के पहले उड़ान प्रशिक्षण केन्द्र का किया उद्घाटन



मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने किशनगढ़ एयरपोर्ट पर अब्याना एविएशन एकेडमी के फ्लाइट स्कूल का फीता काटकर उद्घाटन किया तथा विमान को उड़ान के लिए झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि यह फ्लाइट स्कूल राज्य का पहला उड़ान प्रशिक्षण केन्द्र है। यह युवाओं को कैरियर में नए अवसर उपलब्ध कराकर उनके सपनों को हकीकत में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विकसित राजस्थान की यात्रा में विमानन क्षेत्र अहम पड़ाव है, इसलिए सरकार ने इसे बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। •



रक्षाबंधनश्च शुभाशयाः

प्रदेश की वीरांगनाओं, बहनों और छात्राओं ने मुख्यमंत्री की कलाई पर बांधा रक्षासूत्र

“ भाई-बहन के रिश्तों की अटूट डोर का यह पर्व न केवल हमारे सांस्कृतिक मूल्यों की प्रगाढ़ता को बताता है बल्कि यह पर्व महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना को भी मजबूत करता है। मैं आपका भाई हूँ और अपनी बहनों की हरसंभव मदद के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। हमारी सरकार रक्षाबंधन के पर्व पर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए उनके द्वार पर पहुंची है। जिसके तहत प्रदेशभर की लगभग 1 हजार 500 वीरांगनाओं को सम्मान स्वरूप रक्षाबंधन के अवसर पर 2100 रुपये, मिठाई, श्रीफल और शॉल प्रदान किए जा रहे हैं। ”

श्री भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री



राजभवन



मुख्यमंत्री निवास



स्वाधीनता दिवस हमें हमारे वीर शहीदों की कुर्बानी और त्याग की याद दिलाता है। यह दिन हमें अहसास कराता है कि आज जिस आजाद हवा में हम श्वास ले रहे हैं, उसके लिए भारत मां के न जाने कितने ही सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। आइए, हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने प्रदेश को एक ऐसे भविष्य की ओर ले जाएंगे, जहाँ हर व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और सुरक्षा का अधिकार मिलेगा। आइए, हम सब मिलकर अपने राजस्थान को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले चलें।

भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री

शासन सचिवालय




78 वें स्वतंत्रता दिवस की झलकियाँ

अमर जवान ज्योति



नमो स्वतंत्र भारत की ध्वजा, नमो, नमो...

राज्य स्तरीय समारोह सवाई मानसिंह स्टेडियम



"एक पेड़ मां के नाम"

अभियान से सार्थक हो रहा

हरियाळी राजस्थान

सोनु शर्मा, सहायक जनसंपर्क अधिकारी



राजस्थान की धरा पर वीर-वीरांगनाओं ने स्वाधीनता, स्वाभिमान के साथ पर्यावरण की रक्षा के लिए भी अपने प्राण न्यीछावर किये है। यहां प्राचीन काल से ही पानी और पेड़ों को देवतुल्य मानकर पूजा जाता रहा है। इतिहास में यहां प्रकृति संरक्षण की दिशा में किये गए ऐसे प्रेरणादायी उदाहरण मिलते हैं, जिनका अनुसरण देश में अन्य राज्यों के लोगो ने भी किया। सन् 1730 में

जोधपुर और तत्कालीन मारवाड़ रियासत में 363 नर-नारियों ने वृक्षों को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। जब रियासत के सैनिकों ने महल बनाने के लिए खेजड़ी के पेड़ों को काटना शुरू किया तो अमृता देवी उन पेड़ों से लिपट गयीं और "सिर साटै रूख रहे तो भी सस्तो जाण" अर्थात प्राणों से भी कीमती पेड़ हैं, कहते हुए अपने प्राण दे दिए। पेड़ों के लिए किया गया ऐसा बलिदान विश्व में अद्वितीय है। अमृता देवी से प्रेरित होकर उनकी 3 बेटियां और 83 गांवों के 363 लोग खेजड़ी के पेड़ों से लिपटकर प्रकृति पर बलिदान हो गए। राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों के पर्यावरण संरक्षण के प्रति इस समर्पण और प्रेम को देखते हुए वृक्षारोपण के कार्यक्रम को आमजन की सक्रिय भागीदारी से पूर्ण करने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा एवं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार हरियाळी राजस्थान के संकल्प को पूरा करने के लिए निरंतर काम कर रही है। विश्व पर्यावरण दिवस(5 जून) के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा प्रारम्भ "एक पेड़ मां के नाम अभियान" को प्रदेश सरकार ने वृहत जनअभियान में परिवर्तित कर दिया है। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत हरियाळी तीज के अवसर पर 7 अगस्त को सम्पूर्ण प्रदेश में 2 करोड़ से अधिक पौधरोपण कर राजस्थान ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मुख्यमंत्री ने दूदू जिले में आयोजित 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम में इस वर्ष 7 करोड़ एवं आगामी 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य को गति प्रदान की। उन्होंने प्रदेशवासियों को हरा-भरा राजस्थान बनाने में अपना यथासंभव सहयोग देने का आह्वान किया।

पौधरोपण के बाद उनकी सुरक्षा और देखभाल भी

सामान्यतः पौधरोपण के बाद समुचित देखभाल के अभाव में पौधों का जीवित रहना कठिन हो जाता है। प्रदेश सरकार ने इस हेतु



“यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किया गया “एक पेड़ मां के नाम” अभियान अब जनअभियान बन गया है। यह अभियान उनका प्रकृति की सेवा करने एवं मां के प्रति सम्मान का भाव दर्शाता है। उनकी प्रेरणा से प्रदेश में भी “मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान” प्रारम्भ कर इस वर्ष 7 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। हरियाली तीज के अवसर पर “एक पेड़ मां के नाम” अभियान के तहत वृहत स्तर पर पौधे लगाए गए। मेरा निवेदन है कि हर व्यक्ति “एक पेड़ मां के नाम” जरूर लगाये एवं उसकी देखभाल भी करे।”

विस्तृत कार्ययोजना बनाई है, इसके तहत पौधों को लगाने के बाद उनके संरक्षण के लिए 2 हजार सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वन मित्र के रूप में संरक्षक की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसी क्रम में लगाए गए पौधों की मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से जिओ टैगिंग कर बड़े होने तक उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इस अभियान की सफलता के लिए राज्य के विभिन्न विभागों, ग्राम पंचायतों, शहरी निकायों एवं आमजन को पौधों के साथ तकनीकी सहयोग भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्रत्येक जिले में मातृ वन की स्थापना

मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच से वृक्षारोपण के पुनीत कार्य में नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित होने से हरियाळो राजस्थान कार्यक्रम ने एक महाअभियान का स्वरूप ले लिया है, जिसका लाभ निश्चित ही भविष्य में मरुधरा को मिलेगा। वृक्षारोपण को गति देने के लिए सरकार द्वारा स्मृति वन की तर्ज पर राज्य के हर जिले में मातृ वन की स्थापना की जाएगी। इन वनों में बरगद, पीपल, गूलर सहित विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष लगाये जायेंगे। साथ ही वृक्ष प्रेमियों को 'राज जिओ ट्री एप' के माध्यम से 51 लाख प्रशस्ति पत्र वितरित किये जायेंगे।

तकनीक से तरक्की की ओर

हरियाळो राजस्थान के लक्षित उद्देश्यों की पूर्ति आधुनिक तकनीकों के बिना संभव नहीं है, मुख्यमंत्री ने इसकी महत्ता को समझते हुए वन महोत्सव के

अवसर पर ड्रोन तकनीक से बीजारोपण किया। इस तकनीक के जरिये पहाड़ी क्षेत्रों में वृहत स्तर पर वृक्षारोपण किया जा सकेगा। इससे पूर्व उन्होंने पीपल का पौधा लगाकर मोबाइल एप के माध्यम से उसकी जिओ टैगिंग भी की। वन विभाग द्वारा सभी नर्सरी, उपलब्ध पौधों की सम्पूर्ण जानकारी व्यूआर कोड के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। आमजन अब मोबाइल पर कोड स्कैन कर उचित दर पर पौधे खरीद रहे हैं।

अमृता देवी स्मृति पुरस्कार

वन विकास एवं वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने वन महोत्सव कार्यक्रम में अमृता देवी स्मृति पुरस्कार प्रदान किये। वन विकास एवं वन्यजीव सुरक्षा श्रेणी में उदयपुर की वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति को वर्ष 2020 के लिए पुरस्कृत किया गया। वन विकास, संरक्षण एवं वन सुरक्षा श्रेणी में श्री नारायण लाल कुमावत (वर्ष 2019), राजसमंद के श्री श्याम सुन्दर पालीवाल (वर्ष 2020), सीकर की सुश्री अभिलाषा व भरतपुर के श्री बच्चू सिंह वर्मा (वर्ष 2021) तथा कोटा के श्री पवन कुमार जैन (वर्ष 2022) को सम्मानित किया गया। इसी प्रकार वन्यजीव संरक्षण एवं सुरक्षा श्रेणी में नागौर के श्री गजेन्द्र सिंह मांझी (वर्ष-2020), उदयपुर के श्री पदम सिंह राठौर (वर्ष 2021) तथा जयपुर के श्री मोहित शर्मा व सुश्री दिव्या शर्मा (वर्ष 2022) को संयुक्त रूप से पुरस्कृत किया गया। •





नरेन्द्र सिंह शेखावत, सहायक जनसंपर्क अधिकारी

किया हर मैदान फतह...

महेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह की जोड़ी ने किया शानदार प्रदर्शन



शूटिंग के स्कीट मिक्सड डबल्स प्रतियोगिता में चौथे स्थान किया हासिल

फ्रांस की राजधानी पेरिस में 26 जुलाई से 11 अगस्त, 2024 तक आयोजित हुए ओलंपिक के 33वें संस्करण में राजस्थान के अनंतजीत सिंह नरुका और महेश्वरी चौहान ने ना केवल मरुधरा की नुमाइंदगी की बल्कि अपने सटीक निशानों और बेहतरीन प्रदर्शन से दुनियाभर में मरुधरा का नाम रोशन किया। शूटिंग के स्कीट मिक्सड डबल्स प्रतियोगिता में अनंतजीत सिंह और महेश्वरी चौहान की जोड़ी ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए चौथा स्थान हासिल किया। यह जोड़ी भले ही पदक प्राप्त करने से चूक गई हो लेकिन अपनी कड़ी मेहनत, अद्वितीय समर्पण एवं विलक्षण प्रतिभा के दम पर खेल के मैदान में अपने सुनहरे प्रदर्शन की छाप छोड़ी है। अनंतजीत सिंह नरुका और महेश्वरी चौहान ने उभरती हुई खेल प्रतिभाओं के लिए स्वयं को विशाल प्रेरणास्रोत के रूप में स्थापित किया है।

राजस्थान सरकार का प्रयास...खिलाड़ी करें हर मैदान फतह

खेल मैदान में मरुधरा की प्रतिभाएं पल्लवित हों और प्रतिभा का विश्व पटल पर प्रदर्शन कर देश प्रदेश का नाम रोशन कर सकें इसके लिए राजस्थान सरकार खेल और खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राजस्थान सरकार ओलंपिक में भाग लेने के लिए प्रदेश के 50 प्रतिभाशाली युवाओं को विश्वस्तरीय सुविधायें एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की दृष्टि से मिशन ओलंपिक-2028 की घोषणा की गई है जिसके तहत जयपुर में 100 करोड़ की लागत से सेंटर ऑफ एक्सिलेंस फोर स्पोर्ट्स स्थापित किया जा रहा है। खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं और प्रशिक्षण मुहैया करवाने के लिए खेल नीति-2024 तैयार की जा रही है। राजस्थान खेल आधुनिकरण की स्थापना करते हुए खेल क्षेत्र के लिए गत वर्ष प्रावधित 475 करोड़ रुपये की बजट राशि को चरणबद्ध रूप से दोगुना किया जाना प्रस्तावित है। खेल प्रशिक्षक एवं खेल विशेषज्ञ तैयार करने के लिए 250 करोड़ की लागत से महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। संभागीय स्तर पर 50-

50 करोड़ रुपये की लागत से खेल महाविद्यालय स्थापित किये जाएंगे। प्रदेश में एक जिला-एक खेल योजना लागू कर प्रत्येक जिले में चरणबद्ध रूप से प्रचलित खेलों की अकादमियां स्थापित की जाएंगी। अन्तरराष्ट्रीय पदक विजेताओं को श्रेणीवार 25 लाख रुपये तक दुर्घटना एवं जीवन बीमा कवरेज दिया जाएगा।

राजस्थान में खेल प्रतिभाओं को तलाशने और तराशने के लिए खेलो इंडिया की तर्ज पर ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने बजट में इन खेलों के आयोजन के लिए 50 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। राज्य स्तर के खिलाड़ियों के लिए फिजिलक हेब हेतु जयपुर में 15 करोड़ रुपये व्यय कर समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। साथ ही जयपुर, भरतपुर एवं उदयपुर में बालिकाओं के लिए 25-25 करोड़ की लागत से बालिका खेल आवासीय संस्थान स्थापित किया जाना भी प्रस्तावित है। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अन्तरराष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण एवं अभ्यास सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर में स्टेट ऑफ आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर स्थापित किया जाएगा।

ग्रामीण युवाओं को खेल प्रतियोगिता के लिए तैयार करने की दृष्टि से ग्राम पंचायत स्तर पर चरणबद्ध रूप से ओपन जिम एवं खेल मैदान बनाये जायेंगे। प्रथम चरण में 10 हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों पर यह सुविधायें विकसित की जाएंगी। खिलाड़ियों के Sports Certificate के लिए Digital Repository बनायी जायेगी। साथ ही, प्रस्तावित खेल नीति के अन्तर्गत पैरा एथलिट के लिए पृथक से विशेष प्रावधान किये जायेंगे। राजस्थान सरकार के खेलों एवं खिलाड़ियों के उन्नयन का ही नतीजा है की खेलों इंडिया यूथ गेम्स में प्रदेश के खिलाड़ियों ने 13 स्वर्ण पदक, 17 रजत पदक एवं 17 कांस्य पदक सहित कुल 47 पदक हासिल कर राजस्थान का नाम रोशन किया है। •

ॐ श्री श्याम देवाय नमः



खाटू श्याम जी

मंदिर का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर होगा विकास

बजट 2024-25 में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान

सी कर जिले के खाटू गांव स्थित खाटूश्यामजी मंदिर देश के करोड़ों लोगों की आस्था का एक प्रमुख केंद्र है, जहां वर्षभर भक्त शीश नवाने आते हैं। इसी जनआस्था को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने मंदिर को भव्य एवं आकर्षक रूप प्रदान करने का संकल्प लिया है। इसके तहत मंदिर को काशी- विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार ने बजट 2024-25 में मंदिर के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। खाटूश्यामजी लोकमंगल के देवता बनकर लोगों की श्रद्धा एवं भक्ति के केन्द्र बने हुए हैं। यहां दूर-दूर से श्रद्धालु निशान (ध्वजा) लेकर आते हैं, कनक दण्डवत करते हैं, मनौतियां मांगते हैं, जड़ूले करते हैं, सेवा करते हैं और मनौती पूर्ण होने पर सवामणी करते हैं। यहां प्रतिवर्ष फाल्गुन शुक्ल एकादशी और द्वादशी को विशाल मेला भरता है। •

• राकेश कुमार ढाका, सहायक जनसंपर्क अधिकारी

रामगढ़ क्रेटर

राज्य की पहली घोषित जियो हेरिटेज साइट



वैविध्यपूर्ण प्राकृतिक सम्पदा को संजोए हमारा प्रदेश न केवल पर्यटन की दृष्टि से विश्व मानचित्र पर विशेष स्थान रखता है, बल्कि यहां की प्राकृतिक विशिष्टताएं राज्य की अर्थव्यवस्था में भी अपनी विशेष भूमिका निभाती हैं। बारां जिले के रामगढ़ गांव के समीप लगभग 165 मिलियन वर्ष पुराने रामगढ़ क्रेटर को हाल ही में भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के परामर्श से राज्य की पहली जियो हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। रामगढ़ क्रेटर 3.5 किलोमीटर व्यास का एक गर्त है जिसका निर्माण उल्का पिण्ड के टकराव से हुआ माना जाता है। रामगढ़ क्रेटर क्षेत्र को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत संरक्षित रिजर्व घोषित किया गया है, ताकि यहां स्थित प्राकृतिक सम्पदा का संरक्षण एवं संवर्धन किया जा सके। क्रेटर के अंदर स्थित वेटलैंड (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 के तहत अधिसूचित पुष्कर तालाब परिसर जो क्षेत्र की सुंदरता और विविधता को और बढ़ाता है। यहां 10वीं सदी में चंदेल राजवंश द्वारा निर्मित ऐतिहासिक खजुराहो शैली का भंडदेवरा मंदिर आमजन की आस्था एवं धार्मिक पर्यटन का महत्वपूर्ण स्थल है। राज्य सरकार ने हाल ही में बजट 2024-25 में रामगढ़ क्रेटर के विकास की घोषणा की है।

आलेख एवं छाया: मोहन लाल
सहायक जनसंपर्क अधिकारी



राजस्थान सुजस का यह अंक
<https://dipr.rajasthan.gov.in/pages/ism/government-order/attachments/134/85/10/1702>
पर देखा जा सकता है।

#DIPRRajasthan

